प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम ने इन दस्तावेजों को संक्षिप्त और समझने में आसान बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है।

चूंकि मूल दस्तावेज बहुत विशाल हैं और छात्रों के लिए उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए, यह पुस्तक सभी उम्मीदवारों का कीमती समय बचाएगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सभी क्षेत्रों को संक्षेप में कवर किया गया है। यह पुस्तक उन सभी उम्मीदवारों की मदद करेगी जो HPAS, HP-NT, HP-Allied और अन्य सभी हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

हम इस खंड को प्रकाशित करने में दीपक बिजलवान तथा शंकर नेगी के योगदान और ईमानदार प्रयासों के लिए उनके आभारी हैं।

हम पाठकों की रचनात्मक सलाह और टिप्पणियों का स्वागत करते हैं, जो भविष्य के संकलनों में हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। तकनीकी या मानवीय त्रुटि के कारण इस पुस्तक में किसी भी त्रुटि के लिए, कृपया हमें nimbusias@gmail.com पर मेल करें ।

राजीव कुमार
अभिषेक गौरव
जीवेश कुमार

.

हिमाचल प्रदेश

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और बजट 2025-26

सामग्री

1. सामान्य समीक्षा 5
2. राज्य आय-दीर्घकालीन आर्थिक अवलोकन 10
3. सार्वजनिक वित्त एवं कराधान 17
4. बैंकिंग संस्थागत वित्त 25
5. मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन 35
6. कृषि और बागवानी 42
7. पशुपालन 58
8. वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन प्रबंधन 67
9. उद्योग 81
10. ऊर्जा 96
11. श्रम और रोजगार 104
12. पर्यटन, सड़क एवं परिवहन 110
13. शिक्षा 116
14. स्वास्थ्य 127
15. समाज कल्याण 133
16. ग्रामीण विकास और पंचायती राज 140
17. आवास और शहरी विकास 144
18. डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन 149
19. हिमाचल प्रदेश बजट विश्लेषण 2025-26 155

.

हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

अध्याय 1

सामान्य समीक्षा

मुख्य अंश:

- ओईसीडी आर्थिक परिदृश्य 2024 में अनुमान लगाया गया है कि **2025** तक वैश्विक विकास दर **3.3 प्रतिशत** रहेगी।
- **भारत और दक्षिण एशिया** वैश्विक स्तर पर प्रमुख विकास चालकों के रूप में उभरे हैं, जो मजबूत घरेलू मांग और संरचनात्मक सुधारों को दर्शाते हैं।
- MoSPI के अग्रिम अनुमानों (AE) के अनुसार, **वित्त वर्ष 2024-25** के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी **वृद्धि 6.4%** रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023-24 (पीई) में **8.2%** से कम है।
- मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान है कि यह **9.7%** होगी, जो पिछले वित्त वर्ष वर्ष के **9.6%** से थोड़ी अधिक है।
- भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों (2011-12) पर **184.88 लाख करोड़** रुपये अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2023-24 (पीई) में **173.82 लाख करोड़** रुपये से अधिक है।
- भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय मौजूदा कीमतों पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **₹2,00,162** अनुमानित है।
- हिमाचल प्रदेश का जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2023-24 (एफआर) में **₹2,10,662 करोड़** होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022-23 (एसआर) में **₹1,91,659 करोड़ से 9.9%** अधिक है।

अवलोकन: विश्व अर्थव्यवस्था

- वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर काफी हद तक मध्यम बनी हुई है।
- 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था **3.3 प्रतिशत** बढ़ेगी।
- **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि** 2024 में **3.2 प्रतिशत** तथा 2025 और 2026 दोनों में **3.3 प्रतिशत** रहने का अनुमान है।

2024, 2025 और 2026 के लिए चयनित अर्थव्यवस्थाओं के वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान

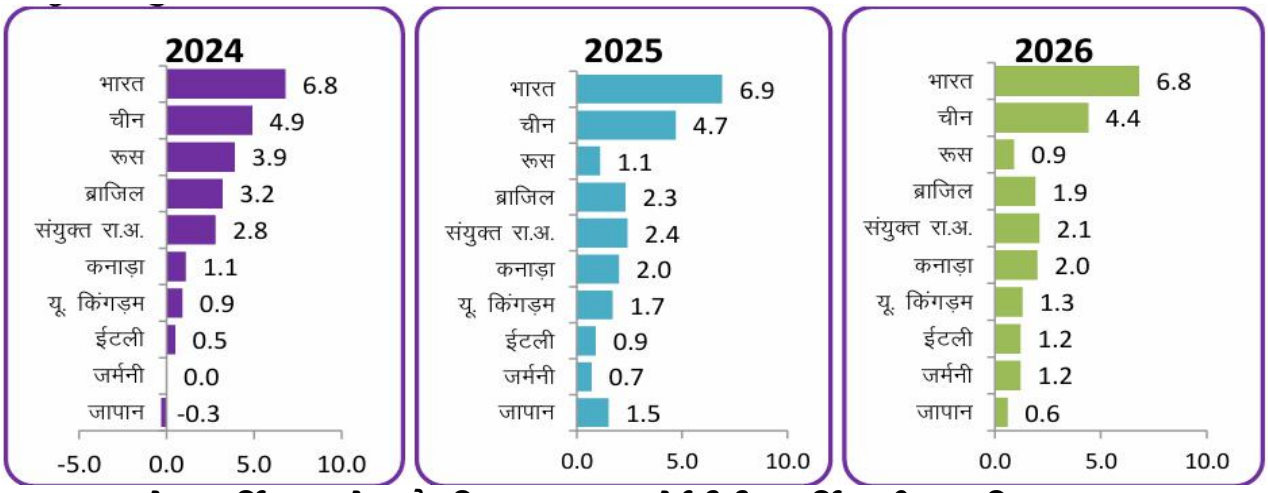

स्रोत: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), आर्थिक परिदृश्य, दिसंबर 2024

- भारत 2024, 2025 और 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी।
- आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2023 में 3.3% से घटकर 2024-2025 में 3.2% हो जाएगी, तथा 2029 तक 3.1% तक पहुंच जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत की **जीडीपी वृद्धि दर 6.8%** रहने का अनुमान है, जिसे जुलाई 2024 में संशोधित कर **7.0% तथा 2025 के लिए 6.5%** किया गया है।
- वैश्विक आर्थिक प्रॉस्पेक्ट्स ने 2025 और 2026 के लिए विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुमानित विकास अनुमान लगाया है, जिसमें भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा।

अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास अनुमान और अनुमान: प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, दक्षिण एशिया क्षेत्र, भारत और उसके पड़ोसी (वार्षिक, प्रतिशत)

क्षेत्र /देश	2022	2023	2024	2025	2026
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.5	2.9	2.8	2.3	2.0
जापान	0.9	1.5	0.0	1.2	0.9
चीन	3.0	5.2	4.9	4.5	4.0
दक्षिण एशिया	5.8	6.6	6.0	6.2	6.2
बांग्लादेश	7.1	5.8	5.0	4.1	5.4
भूटान	4.8	5.0	5.3	7.2	6.6
भारत	**7.0**	**8.2**	**6.5**	**6.7**	**6.7**
मालदीव	13.9	4.1	4.7	4.7	4.6
नेपाल	5.6	2.0	3.9	5.1	5.5
पाकिस्तान	5.6	− 0.2	2.5	2.8	3.2
श्रीलंका	−7.3	− 2.3	4.4	3.5	3.1

- जापान सकारात्मक विकास दर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- दक्षिण एशिया विश्व में विकास दर के चालक के रूप में उभरा है।
- **भारत**अनुमान लगाया गया है कि भारत वह अर्थव्यवस्था होगी जो 2025 और 2026 में उच्चतम विकास दर हासिल करेगी।

2024 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ

रैंक	देश	सकल घरेलू उत्पाद (ट्रिलियन अमरीकी डॉलर)	अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (% परिवर्तन)	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्य) (000, USD)	वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा (%)
1	अमेरिका	29.17	2.8	86.6	14.99
2	चीन	18.27	4.8	12.97	19.05
3	जर्मनी	4.71	0.0	55.52	3.09
4	जापान	4.07	0.3	32.86	3.38
5	**भारत**	**3.59**	**7.0**	**2.70**	**8.23**
6	इंग्लैंड	3.59	1.1	52.42	2.2
7	फ्रांस	3.17	1.1	48.01	2.24
8	इटली	2.38	0.7	41.92	1.65
9	कनाडा	2.21	1.3	53.83	1.33
10	ब्राज़िल	2.19	3.0	10.23	2.42

अवलोकन: भारतीय अर्थव्यवस्था

- **2011 से 2019 के बीच** में अनुमान है कि देश में अत्यधिक गरीबी में रहने वाली आबादी का आधा हिस्सा प्रति व्यक्ति **प्रति दिन 2.15 डॉलर** रह गया है।
- महामारी के बाद से, शहरी बेरोजगारी, विशेष रूप से महिला श्रमिकों के बीच, वित्त वर्ष 2021-22 में **14.3%** से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में **9%** हो गई है।

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
शहरी युवा बेरोज़गारी दर	-	16.8%
वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर	8.2%	6.4%
मौद्रिक जीडीपी वृद्धि दर	9.6%	9.7%
वास्तविक जीवीए वृद्धि - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	1.4%	3.8%
वास्तविक जीवीए वृद्धि - निर्माण क्षेत्र	-	8.6%
वास्तविक जीवीए वृद्धि - वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ	-	7.3%

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर: क्षेत्रवार

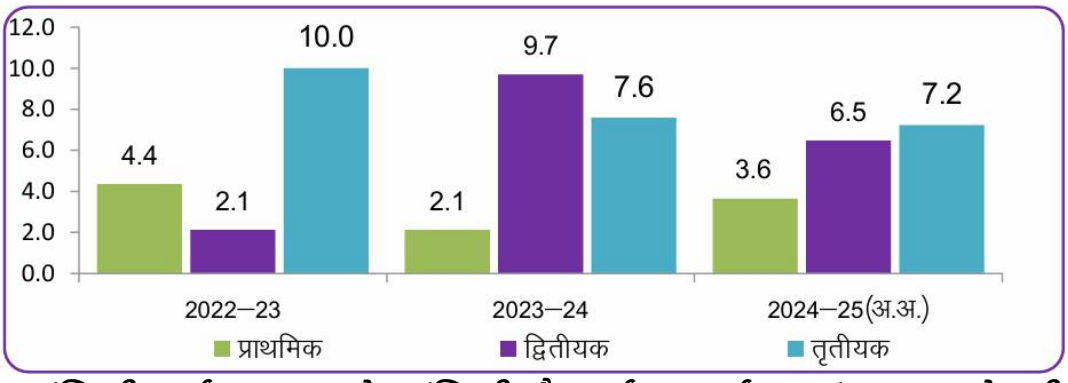

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार (जीओआई)।

मूल मूल्यों पर जीवीए वृद्धि (2011-12 मूल्य)

- वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र ने **9.1%** की उच्चतम जीवीए वृद्धि दर्ज की, इसके बाद निर्माण क्षेत्र में **8.6% की वृद्धि** दर्ज की गई।
- वित्त वर्ष 2024-25 में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र ने सबसे कम **2.9% जीवीए वृद्धि** दर्ज की।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में **1.4%** से वित्त वर्ष 2024-25 में **3.8%** तक की वृद्धि हुई।
- व्यापार, होटल और रेस्तरां क्षेत्र, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, ने वित्त वर्ष 2024-25 में **5.8%** की वृद्धि दर दर्ज की

अवलोकन: हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था

- प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी वित्त वर्ष 2023-24 (एफआर) में ₹2,10,662 करोड़ होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022-23 (एसआर) में ₹1,91,659 करोड़ से अधिक है, और 9.9% की वृद्धि दर्शाता है।
- स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीएसडीपी वित्त वर्ष 2023-24 (एफआर) में ₹1,37,320 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 (एसआर) में यह ₹1,28,779 करोड़ थी, जो 6.6% की वृद्धि दर्ज करती है।

- राज्य की जनसंख्या का **53.98%** प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) **₹2,34,782** है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में **₹2,14,489 से 9.5%** अधिक है।

1950-51 से 2323-24 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान:

वर्ष	कृषि क्षेत्र (%)	द्वितीयक क्षेत्र (%)	तृतीयक क्षेत्र (%)
1950-51	70.37	7.41	22.22
1990-91	35.06	26.50	38.44
2011-12	17.16	43.81	39.03
वित्त वर्ष 2023-24	**14.74**	**39.98**	**45.28**

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ओईसीडी आर्थिक आउटलुक 2024 ने 2025 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान लगाया है:
A) 3.1% B) 3.3%
C) 3.5% D) 3.7%

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र ने 9.1% की उच्चतम जीवीए वृद्धि दर्ज की
कथन II: वित्त वर्ष 2024-25 में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र ने सबसे कम 2.9% जीवीए वृद्धि दर्ज की।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

3. हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी 9.9% की वृद्धि दर्शाता है
2. स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीएसडीपी में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई है
3. राज्य की लगभग 53.98% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है।
4. वित्त वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) ₹2,34,782 है
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
A) केवल 1 और 2 B) केवल 1, 2 और 3
C) 1, 2, 3, 4 D) केवल 3 और 4

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. शहरी बेरोजगारी धीरे-धीरे सुधरकर वित्त वर्ष 2024-25 में 9% हो गई है।
2. वित्त वर्ष 2024-25 में शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 16.8% पर बनी रहेगी।
3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.2% रहने का अनुमान है।
4. वित्त वर्ष 2024-25 में नाममात्र जीडीपी में 9.7% की वृद्धि दर देखी गई है
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
A) केवल 1 और 2 B) केवल 1, 2 और 4
C) 1, 2, 3, 4 D) केवल 3 और 4

5. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है?
A) 1.4% B) 3.8%
C) 2.5% D) 5.0%

6. वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत अनुमानित है।

2. क्षेत्रवार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई।
3. नाममात्र जीडीपी 324.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
A) 1, 2, 3, 4 B) केवल 1 और 2.
C) केवल 2 और 3 D) केवल 1 और 3

7. वित्त वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में कृषि का योगदान है ?
A) 14.74% B) 17.16%
C) 35.06% D) 70.37%

8. हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) ₹2,34,782 है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है?
A) 8.0% B) 9.5%
C) 10.2% D) 7.5%

9. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) के अनुसार, वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2023 में 3.3% से घटकर 2029 तक कितने प्रतिशत होने का अनुमान है?
A) 3.1% B) 3.2%
C) 3.5% D) 3.0%

10. 2024-2026 के लिए वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जापान की अर्थव्यवस्था सकारात्मक विकास दर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।
2. दक्षिण एशिया में 2026 में 6.2% की स्थिर विकास दर बरकरार रहने की उम्मीद है।
3. भारत द्वारा 2025 और 2026 में उच्चतम विकास दर हासिल करने की उम्मीद है।
4. 2024 के लिए विश्व की जीडीपी रैंकिंग में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?
A) 1, 2, 3, 4 B) केवल 1, 2 और 4
C) केवल 2, 3 और 4 D) केवल 1, 3 और 4

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	B	B	A	A	B	A	A

अध्याय 2
राज्य आय-वृहद आर्थिक दृष्टिकोण

मुख्य अंश:

- **प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी (मौद्रिक जीएसडीपी):** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **₹2,32,185 करोड़** अनुमानित, जो 10.2% की वृद्धि दर को दर्शाता है।
- **स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीएसडीपी (वास्तविक जीएसडीपी):** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **6.7%** की वृद्धि दर दर्ज करते हुए **₹1,46,553 करोड़** का अनुमान है।
- **प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई):** वित्त वर्ष 2024-25 में **₹2,57,212** तक बढ़ने का अनुमान है, जो **9.6%** की वृद्धि दर दर्शाता है
- वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि में, **PCI 8.6%** की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ **₹87,721 से बढ़कर ₹2,57,212** हो गई है।
- **वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार जीवीए (स्थिर मूल्य पर) में क्षेत्रवार योगदान**
  - ✓ तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी 45.3% है
  - ✓ द्वितीयक क्षेत्र **39.5%** के साथ दूसरे स्थान पर है।
  - ✓ प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा **15.2%** है।
- **वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्य पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए):**
  - ✓ **प्राथमिक क्षेत्र: वित्त वर्ष 2024-25 में ₹16,625 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 3.2% की वृद्धि दर को दर्शाता है।**
  - ✓ **द्वितीयक क्षेत्र:** वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर दर्ज करते हुए **₹65,134 करोड़** तक बढ़ने का अनुमान है जो **8.1%** वृद्धि दर को दर्शाता है।
  - ✓ **तृतीयक (सेवा) क्षेत्र: तृतीयक क्षेत्र जीएसवीए में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जिसका अनुमानित मूल्य वित्त वर्ष 2024-25 में ₹56,654 करोड़ है, जो 5.9% की वृद्धि दर को दर्शाता है।**
- वित्त वर्ष 2023-24 में कार्यरत कार्यबल द्वितीयक (22.01%) और तृतीयक (24.01%) क्षेत्रों का योगदान उनके संबंधित योगदान से काफी कम था। सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वितीयक क्षेत्र में **39.98%** और तृतीयक क्षेत्र में **45.28%** था। यह दर्शाता है कि कम श्रमिक आर्थिक उत्पादन का अधिक हिस्सा पैदा कर रहे हैं।

परिचय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष, में बिना दोहराव के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है।

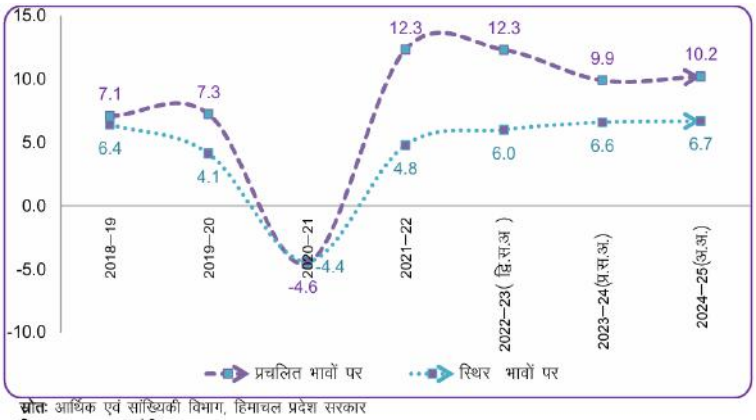

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
द्वि.स.अ.= दूसरा संशोधित अनुमान
प्र.स.अ.= प्रथम संशोधित अनुमान
अ.अ.= अग्रिम अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक दृष्टिकोण

प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई)

- प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) की गणना राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) को संबंधित वर्ष की राज्य की अर्धवार्षिक जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है।

- अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर पीसीआई **2,57,212 रुपये** रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह **2,34,782 रुपये** थी, जो **9.6% की वृद्धि** को दर्शाता है।
- पिछले कई वर्षों से राज्य की पीसीआई लगातार अखिल भारतीय औसत से ऊंची बनी हुई है।
- वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, राज्य की पीसीआई ने **8.6%** की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है, जबकि इसी अवधि में भारत की पीसीआई में **9.2%** की सीएजीआर दर्ज की गई है।

क्षेत्रीय विकास पथ:

अर्थव्यवस्था को तीन व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

आर्थिक क्षेत्र	उप-क्षेत्रों
प्राथमिक क्षेत्र	फसलें, पशुधन, वानिकी और कटाई, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन
द्वितीयक क्षेत्र	विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ और निर्माण
तृतीयक क्षेत्र	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं

प्राथमिक क्षेत्र

- वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) स्थिर मूल्यों पर **3.2%** की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का जीवीए **₹16,625 करोड़** तक पहुंचने की उम्मीद है
- पिछले कुछ वर्षों में, स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की जीवीए वृद्धि में उतार-चढ़ाव आया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में **1.7%,** वित्त वर्ष 2023-24 में **-1.7%** और वित्त वर्ष 2024-25 में **3.2%** दर्ज की गई है।
- प्राथमिक क्षेत्र राज्य की **53.98%** आबादी को रोजगार देता है।

स्थिर मूल्य पर उप-क्षेत्रवार जीवीए और विकास दर

उप-क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24 (एफआर) (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2024-25 (अक्तूबर) (₹ करोड़)	विकास दर (%)
फसल क्षेत्र	₹7,573	₹7,692	**1.6%**
वानिकी एवं लॉगिंग	₹5,105	₹5,310	**4.0%**
पशुधन क्षेत्र	₹2,806	₹2,952	**5.2%**
खनन एवं उत्खनन	₹498	₹528	**6.1%**
मत्स्य पालन क्षेत्र	₹134	₹143	**7.0%**

द्वितीयक क्षेत्र

वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, द्वितीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर **₹65,134 करोड़** अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **8.1%** की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है।

स्थिर मूल्य पर उप-क्षेत्रवार जीवीए और विकास दर

उप-क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24 (एफआर) (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2024-25 (अक्तूबर) (₹ करोड़)	विकास दर (%)
उत्पादन	41,177	44,109	**7.1%**
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	8,224	9,169	**11.5%**
निर्माण	10,837	11,856	**9.4%**

तृतीयक (सेवा) क्षेत्र

- राज्य के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, स्थिर (2011-12) मूल्यों पर इसका जीवीए **₹56,654 करोड़** रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **5.9%** की वृद्धि दर दर्शाता है।

स्थिर मूल्य पर उप-क्षेत्रवार जीवीए और विकास दर

उप-क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24 (एफआर) (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2024-25 (अक्तूबर) (₹ करोड़)	विकास दर (वित्त वर्ष 2024-25 एई) (%)
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां	10,145	10,962	**8.1%**
परिवहन, भंडारण और संचार	6,700	7,329	**9.4%**
वित्तीय सेवाएं	4,046	4,383	**8.4%**
रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएँ	13,516	14,244	**5.4%**
लोक प्रशासन	6,572	6,763	**2.9%**
अन्य सेवाएँ	12,503	12,973	**3.8%**

स्थिर मूल्यों पर जीवीए की तुलनात्मक क्षेत्रवार वृद्धि दर (2018-19 से 2024-25)

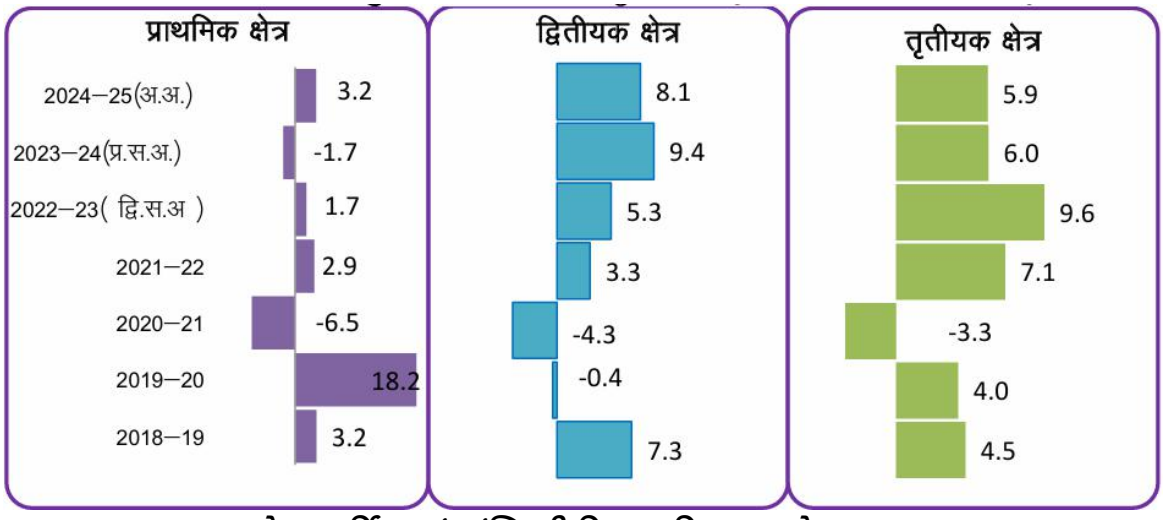

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

क्षेत्रीय योगदान:

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीवीए के उन्नत अनुमान के अनुसार, तृतीयक क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर राज्य के जीवीए में **45.3%** का योगदान दिया, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र ने **39.5%** और प्राथमिक क्षेत्र ने **15.2%** का योगदान दिया।
- राज्य के मूल्य संवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और इसलिए यह राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए की क्षेत्रीय संरचना (2018-19 से 2024-25)

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त वर्ष 2023-24 (एफआर) और वित्त वर्ष 2024-25 (एई) के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीवीए का क्षेत्रवार योगदान:

वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के लिए जीवीए **32,868 करोड़** रुपये, द्वितीयक क्षेत्र के लिए **85,706 करोड़** रुपये और तृतीयक (सेवा) क्षेत्र के लिए **98,245 करोड़** रुपये अनुमानित है।

सेक्टर्स	2023-24 (एफआर) (₹ करोड़)	2024-25 (अ.अ.) (₹ करोड़)
प्राथमिक क्षेत्र**(कृषि, संबद्ध गतिविधियाँ, खनन एवं उत्खनन)**	29,124	32,868
द्वितीयक क्षेत्र**(विनिर्माण, बिजली, उपयोगिता और निर्माण)**	79,017	85,706
तृतीयक क्षेत्र**(सेवाएं)**	89,499	98,245
मूल मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए)	1,97,640	2,16,819
करों के बाद शुद्ध (उत्पाद कर - सब्सिडी)	13,022	15,366
बाजार मूल्य पर जीएसडीपी	2,10,662	2,32,185

मूल्य संवर्धन और रोजगार का क्षेत्रवार वितरण

- हिमाचल प्रदेश में कुल कार्यबल का **53.95 प्रतिशत** कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत है। जबकि भारत के लिए यह **46.08 प्रतिशत** है।

सकल मूल्य वर्धन और रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी हिमाचल बनाम भारत 2023-24

सेक्टर्स	जीवीए में शेयर		रोजगार में हिस्सेदारी	
	हिमाचल प्रदेश	भारत	हिमाचल प्रदेश	भारत
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	14.27	18.19	53.95	46.08
खनन और उत्खनन	0.47	2.00	0.03	0.23
प्राथमिक	**14.74**	**20.19**	**53.98**	**46.31**
उत्पादन	26.66	14.34	8.60	11.44
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	5.59	2.45	1.89	0.54
निर्माण	7.73	8.84	11.52	11.98
माध्यमिक	**39.98**	**25.63**	**22.01**	**23.96**
व्यापार, होटल परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवा	13.09	17.88	12.41	17.86
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ	15.35	22.39	1.14	1.94
लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ	16.84	13.91	10.46	9.93
तृतीयक	**45.28**	**54.18**	**24.01**	**29.73**
	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत: (जीएसवीए), अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, (जीवीए), राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और (रोजगार में हिस्सेदारी), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24।

- **2023-24 में** द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने **22.01%** और **24.01%** कार्यबल को रोजगार दिया, जबकि जीवीए में **39.98%** और **45.28%** का योगदान दिया। यह प्रति कर्मचारी उच्च उत्पादकता का सुझाव देता है और छिपी हुई बेरोजगारी को कम करने के लिए कृषि से कार्यबल के पुनर्वितरण की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **रोज़गार**2023-24 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सेवा क्षेत्र में रोजगार दर **24.01%** अनुमानित की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह **29.73%** है।

हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक विकास दर

अवधि		औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	
योजना	वर्ष/वर्ष	हिमाचल प्रदेश	भारत
पहली योजना	1951-56	1.6	3.6
दूसरी योजना	1956-61	4.4	4.1
तीसरी योजना	1961-66	3.0	2.4
वार्षिक योजनाएँ	1966-67 से 1968-69	-	4.1
चौथी योजना	1969-74	3.0	3.4
पांचवी योजना	1974-78	4.6	5.2
वार्षिक योजनाएँ	1978-79 से 1979-80	-3.6	0.2
छठी योजना	1980-85	3.0	5.3
सातवीं योजना	1985-90	8.8	6.0
वार्षिक योजना	1990-91	3.9	5.4
वार्षिक योजना	1991-92	0.4	0.8

आठवीं योजना	1992-97	6.3	6.2
नौवीं योजना	1997-02	6.4	5.6
दसवीं योजना	2002-07	7.6	7.8
ग्यारहवीं योजना	2007-12	8.0	8.0
बारहवीं योजना	2012-17	7.2	7.1
वार्षिक योजनाएँ	2017-18	6.2	6.8
	2018-19	6.4	6.5
	2019-20	4.1	3.9
	2020-21	-4.4	-5.8
	2021-22	4.8	9.7
	2022-23	6.0	7.0
	2023-24	6.6	8.2
	2024-25	6.7	6.4

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी (नाममात्र जीएसडीपी) की वृद्धि दर अनुमानित है:

ए) 9.5% बी) 10.2%
सी) 11.0% डी) 8.8%

2. हिमाचल प्रदेश के लिए वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (PCI) वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी बढ़ने का अनुमान है?

A) ₹2,34,782 B) ₹2,57,212
C) ₹2,45,600 D) ₹2,67,890

3. निम्नलिखित में से कौन से उप-क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं?

1. फसलें
2. वानिकी और कटाई
3. जल आपूर्ति
4. खनन और उत्खनन

A) केवल 1 और 2 B) केवल 1, 2, और 4
C) केवल 2, 3 और 4 D) केवल 1, 3 और 4

4. सूची I (उप-क्षेत्र) को सूची II (वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर) के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची I (उप-क्षेत्र)	सूची II (वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर)
a) फसल क्षेत्र	1. 1.6%
b) वानिकी एवं कटाई	2. 4.0%
c) पशुधन क्षेत्र	3. 5.2%
d) खनन एवं उत्खनन	4. 6.1%

A) a-1, b-2, c-3, d-4 B) a-2, b-3, c-1, d-4
C) a-3, b-4, c-2, d-1 D) a-4, b-1, c-2, d-3

5. हिमाचल प्रदेश में सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: राज्य के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है।

कथन II: वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, स्थिर (2011-12) मूल्यों पर इसका जीवीए पिछले वर्ष की तुलना में 6.9% की वृद्धि दर दर्शा रहा है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

6. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीवीए के उन्नत अनुमान के अनुसार, वर्तमान मूल्यों पर राज्य के जीवीए में तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या है?

A) 39.5% B) 45.3%
C) 15.2% D) 50.1%

7. 2023-24 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत कार्यबल सेवा क्षेत्र में कार्यरत थे?

A) 22.01% B) 24.01%
C) 29.73% D) 46.08%

8. सूची I (क्षेत्र) को सूची II (हिमाचल प्रदेश के लिए रोजगार में हिस्सेदारी) के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

सूची I (क्षेत्र)	सूची II (एचपी के लिए रोजगार में हिस्सेदारी)
A) प्राथमिक क्षेत्र	1. 53.98%
B) विनिर्माण	2. 8.60%
C) बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	3. 1.89%
D) निर्माण	4. 11.52%

A) A-1, B-2, C-3, D-4 B) A-2, B-1, C-4, D-3
C) A-3, B-4, C-1, D-2 D) A-4, B-3, C-2, D-1

9. सूची I (क्षेत्र) को सूची II (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य करोड़ रुपये में) के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सूची I (क्षेत्र)	सूची II (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य करोड़ रुपये में)
A) प्राथमिक क्षेत्र	1. 32,868
B) द्वितीयक क्षेत्र	2. 85,706
C) तृतीयक क्षेत्र	3. 98,245
D) बाजार मूल्य पर जीएसडीपी	4. 2,32,185

A) A-1, B-2, C-3, D-4 B) A-2, B-1, C-4, D-3
C) A-3, B-4, C-1, D-2 D) A-4, B-3, C-2, D-1

10. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) क्या है?

A) ₹1,95,000 करोड़ B) ₹2,10,500 करोड़
C) ₹2,32,185 करोड़ D) ₹2,50,000 करोड़

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	A	C	B	B	A	A	C

अध्याय 3
सार्वजनिक वित्त और कराधान

मुख्य अंश:

- **वित्त वर्ष 2024-25** के बजट अनुमान (बीई) के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां **₹42,153 करोड़ हैं,** जो **4.22 प्रतिशत** की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- राज्य का कर राजस्व (केंद्रीय करों सहित) वित्त वर्ष **2024-25 (बीई) में 14.99 प्रतिशत** की वृद्धि के साथ **25,225 करोड़** रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
- शिक्षा के लिए **₹9,812 करोड़** का बजट आवंटित किया गया है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र को **वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में ₹3,390 करोड़** प्राप्त होने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष **2024-25** (बजट अनुमान) में केंद्र से अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का **24.1 प्रतिशत रहेगा,** जो वित्त वर्ष **2024-25** (बजट अनुमान) में लगभग **3.5 प्रतिशत** कम है।
- वित्त वर्ष **2024-25** (बीई) के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का **18.15 प्रतिशत** है।
- आर्थिक सेवाएं, गैर-कर राजस्व का सबसे अधिक योगदान देने वाला घटक - जिसमें बिजली, गैस और जल आपूर्ति शामिल हैं - वित्त वर्ष **2024-25** (बीई) में राज्य की कुल प्राप्तियों का **4.8 प्रतिशत** हिस्सा है।
- वित्त वर्ष **2024-25** के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय **₹58,444 करोड़** है।
- बजट में वित्त वर्ष **2024-**25 (बीई) में पूंजीगत व्यय के लिए **₹6,270 करोड़** और राजस्व व्यय के लिए **₹46,667 करोड़** आवंटित किए गए हैं।
- वित्त वर्ष 2**024-25** (बीई) में कुल प्रतिबद्ध व्यय **33,463 करोड़** रुपये अनुमानित है, जो कुल व्यय का **57.26 प्रतिशत** है और जीएसडीपी का **14.41 प्रतिशत** है।
- वित्त वर्ष **2022-23** में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण **39.99 प्रतिशत** रहा।
- वित्त वर्ष **2024-25** (बीई) के लिए जेंडर बजट **3,065 करोड़ रुपये** अनुमानित है।

परिचय

सार्वजनिक वित्त यह नियंत्रित करता है कि सरकार समाज के लाभ के लिए धन कैसे जुटाती है, आवंटित करती है और खर्च करती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए धन जुटाने के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों से कर एकत्र करना शामिल है।

राज्य के वित्तीय संसाधन कर राजस्व (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), गैर-कर राजस्व (जैसे शुल्क, प्रभार और जुर्माना), कर राजस्व में केंद्र सरकार का हिस्सा, तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान-सहायता के मिश्रण से आते हैं।

हिमाचल प्रदेश की वित्तीय रुपरेखा

राज्य की राजकोषीय रूपरेखा में मुख्य रूप से प्राप्तियां, व्यय और ऋण शामिल हैं

राज्य के राजकोषीय संकेतक (करोड़ में): राज्य सरकार, प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, गैर-कर राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र सरकार से अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाती है।

- **कुल राजस्व प्राप्तियां** वित्त वर्ष 2024-25 (बजटीय बजट) में **₹42,153 करोड़** अनुमानित है।

- **कर राजस्व (केन्द्रीय हिस्से सहित)** वित्त वर्ष 2024-25 (बजटीय बजट) में **14.99% बढ़कर ₹25,225 करोड़** होने का अनुमान है।
- **सहायता अनुदान** वित्त वर्ष 2020-21 में **₹18,413 करोड़** से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 (बजट) में **₹13,287 करोड़** हो गया।
- **गैर-कर राजस्व** वित्त वर्ष 2024-25 (बजट) में बढ़कर **₹3,641 करोड़** होने की उम्मीद है।
- **कुल व्यय** वित्त वर्ष 2024-25 (बजट) के लिए **₹58,444 करोड़** का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- **राजस्व व्यय ₹46,667 करोड़** अनुमानित है, जो कुल व्यय का **79.85%** है।
- **पूंजीगत व्यय ₹6,270 करोड़** अनुमानित है, जो कुल व्यय का **10.73%** है।
- **ब्याज भुगतान** वित्त वर्ष 2024-25 (बजटीय बजट) में **10.55% बढ़कर ₹6,255 करोड़** हो गया है।
- सरकार के कुल व्यय में से मुख्य आवंटन शिक्षा के लिए **₹9,812 करोड़** और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए **₹3,390 करोड़** है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व और कुल व्यय क्रमशः **18.15%, 10.86%** और **25.17%** होने की उम्मीद है।

क) कर राजस्व

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के (ब.अ.) के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 (स.अ.) में **₹21,936 करोड़** की तुलना में कर राजस्व (केंद्रीय करों सहित) **14.99** प्रतिशत की वृद्धि के साथ **₹ 25,225 करोड़** अनुमानित है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह **₹12,837 करोड़** था।
- **कुल प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत** वित्त वर्ष 2024-25 (बजट) में बढ़कर **27.4%** हो गया है।
- **कुल प्राप्तियों में केंद्रीय करों का हिस्सा** वित्त वर्ष 2024-25 (बजट) में बढ़कर **18.3%** हो गई।
- **राज्य का अपना गैर-कर राजस्व कुल प्राप्तियों में** वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में बढ़कर **6.6%** हो गई।
- **सहायता अनुदान प्राप्तियों से कुल प्राप्तियों तक** वित्त वर्ष 2022-23 (ए) में 27.6% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में 24.1% हो गया।

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व के घटक

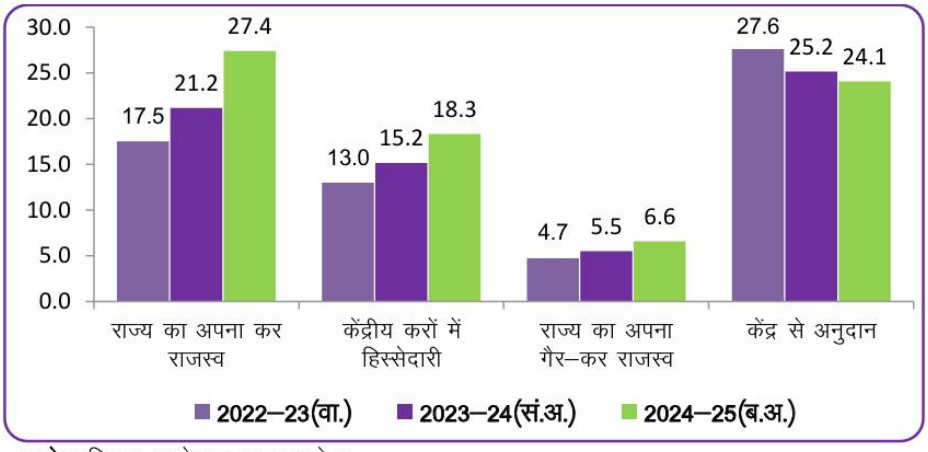

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज

ख) गैर-कर राजस्व

- वित्त वर्ष 2023-24 (बीई) में गैर-कर राजस्व बढ़कर **₹3,641 करोड़** होने की संभावना है, जो **9.50 प्रतिशत** की वृद्धि है।
- सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में **आर्थिक सेवाओं** का योगदान सबसे अधिक है।

- **सामाजिक सेवाएं** और ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और मुनाफे के साथ, राज्य की गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में सबसे कम योगदानकर्ता हैं।

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर-कर राजस्व के घटक

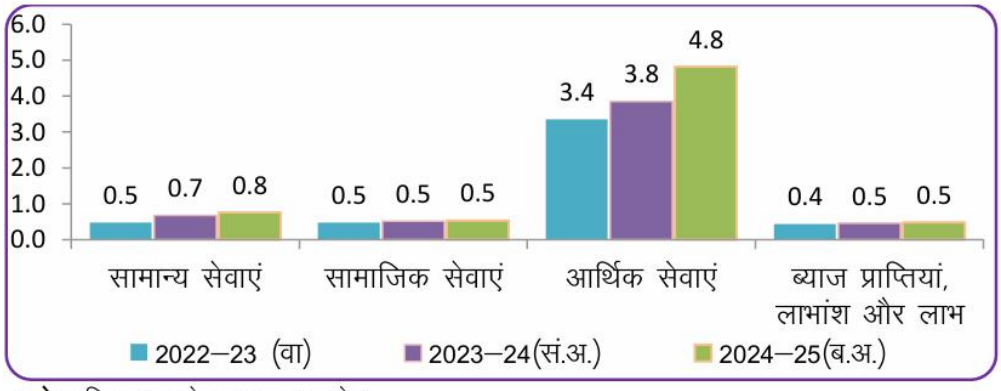

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बजट दस्तावेज

ग) सहायता अनुदान

- पूर्ण रूप से, वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में सहायता अनुदान घटकर **₹13,287 करोड़** रह गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में कुल प्राप्तियों में अनुदान सहायता का योगदान **24.1%** है, जो वित्त वर्ष 2022-23 (एई) की तुलना में **3.5 प्रतिशत** अंक कम है।

घ) गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

- गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण और अग्रिम की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के बजट अनुमान में ऋणों की वसूली के रूप में **₹28.00 करोड़** और विनिवेश से आय की परिकल्पना की गई है।

राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतक वृद्धि (प्रतिशत में)

- वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में कर राजस्व में सबसे अधिक **वृद्धि 14.99%** होगी, इसके बाद ब्याज भुगतान में **10.55% की वृद्धि** अनुमानित है।

राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतक वृद्धि (प्रतिशत में)

	मद / वर्ष	2020–21	2021–22	2022–23 (वा.)	2023–24 (सं.अ.)	2024–25 (ब.अ.)
1.	राजस्व प्राप्तियां	8.77	11.58	2.09	6.19	4.22
2.	कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित)	4.36	32.93	8.29	18.71	14.99
3.	गैर–कर राजस्व	–12.51	19.37	10.10	15.59	9.50
4.	सहायता अनुदान	15.51	–4.23	–5.10	–9.26	–12.50
5.	ब्याज भुगतान	5.62	3.76	4.05	17.18	10.55
6.	कुल व्यय	16.82	–6.59	29.18	1.52	–5.16
7.	राजस्व व्यय	9.13	7.93	22.74	3.38	1.61
8.	पूंजीगत व्यय	2.61	13.56	–0.01	12.47	–7.54

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

- **राजस्व व्यय** वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के दौरान कुल व्यय में **5.16%** और पूंजीगत व्यय में **7.54%** की नकारात्मक वृद्धि हुई है।

- **सरकार से प्राप्त** वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में **12.50%** की उच्चतम गिरावट का अनुभव किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 (ए) में **5.10%** की गिरावट आई थी।

राजकोषीय संकेतकों का जीएसडीपी प्रतिशत

- वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का **18.15%** अनुमानित हैं।
- **कर राजस्व** वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए जीएसडीपी का **10.86%** अनुमानित है,
- **गैर-कर राजस्व** वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में जीएसडीपी का **1.57%** होने का अनुमान है
- वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में राज्य का कुल व्यय जीएसडीपी का **25.17%** रहने का अनुमान है, जिसमें राजस्व व्यय जीएसडीपी का 20.10% और पूंजीगत व्यय जीएसडीपी का **2.70%** होगा।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक

मद / वर्ष		2020–21	2021–22	2022–23 (वा.)	2023–24 (सं.अ.)	2024–25 (ब.अ.)
1.	राजस्व प्राप्तियां	22.01	21.86	19.87	19.20	18.15
1.1	कर राजस्व (केंद्रीय हिस्से सहित)	8.45	10.00	9.64	10.41	10.86
1.2	राज्य की अपनी (गैर–कर आय)	1.44	1.53	1.50	1.58	1.57
1.3	सहायता अनुदान	12.12	10.33	8.73	7.21	5.72
2.	विनिवेश प्राप्तियां (गैर–ऋण प्राप्तियां)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
3.	ऋणों की वसूली	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01
4.	कुल व्यय	33.12	27.53	31.67	29.25	25.17
5.	राजस्व व्यय	22.08	21.21	23.18	21.80	20.10
6.	पूंजीगत व्यय	3.50	3.53	3.15	3.22	2.70
7.	वितरित ऋण	0.21	0.22	0.06	0.03	0.01
8.	ब्याज भुगतान	2.94	2.72	2.52	2.69	2.69

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार

सरकारी व्यय

- राजस्व और पूंजीगत व्यय सरकारी व्यय के मुख्य घटक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में कुल व्यय का **79.85%** राजस्व व्यय पर खर्च किया जाएगा, जबकि उसी वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए **10.73%** आवंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, **0.05%** ऋण (अग्रिम) और **9.38%** सार्वजनिक ऋण (पुनर्भुगतान) के लिए आवंटित किया जाएगा।
- शिक्षा के लिए **₹9,812 करोड़** का पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र को वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में **₹3,390 करोड़** आवंटित किए गए हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के बजट अनुमानों के अनुसार, राज्य सरकार का कुल व्यय **₹58,444 करोड़** होने का अनुमान है, जिसमें **₹46,667 करोड़** राजस्व व्यय के लिए निर्धारित हैं।

क) राजस्व व्यय

- वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में राजस्व व्यय का बजट अनुमान **₹46,667 करोड़** है, जो लगभग **5.05%** की वृद्धि दर्शाता है।

- **राजस्व व्यय**वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में जीएसडीपी का **20.10%** होने का अनुमान है।

ख) पूंजीगत व्यय

- बजट में पूंजीगत व्यय **₹6,270 करोड़** होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए जीएसडीपी का **2.70%** है, जो **3.99%** की वृद्धि दर्शाता है।
- **पूंजीगत व्यय**वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) के दौरान कुल व्यय का **10.73%** हिस्सा होने की उम्मीद है।

राजस्व व्यय की संरचना:

वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में कुल व्यय का **57.26%** प्रतिबद्ध व्यय होने की उम्मीद है, जिसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी शामिल हैं। कुल प्रतिबद्ध व्यय **₹33,463 करोड़** है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए जीएसडीपी का **14.41%** है।

वस्तु	2024-25 (बीई)
वेतन और मजदूरी	**₹17,247 करोड़**
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी	29.51%
वेतन और मजदूरी जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	7.43%
पेंशन	**₹9,961 करोड़**
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पेंशन	17.04%
दिलचस्पी	**₹6,255 करोड़**
कुल व्यय पर % के रूप में ब्याज	10.70%
कुल प्रतिबद्ध व्यय	**₹33,463 करोड़**
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में कुल प्रतिबद्ध व्यय	57.26%
कुल प्रतिबद्ध व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	14.41%
सब्सिडी	**₹1,189 करोड़**
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	2.03%
कुल व्यय	**₹58,444 करोड़**

राज्य की ऋण स्थिति:

- वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण **39.99%** था।

राज्य सरकार की ऋण स्थिति (करोड़ रूपये में)

सामान	2021-22	2022-23
ए. लोक ऋण (A1+A2)	**46,715**	**58,951**
A1. आंतरिक ऋण	**44,376**	**55,975**
A2. ऋण और केंद्र सरकार से अग्रिम	**2,339**	**2,976**
बी. लोक खाता और अन्य देनदारियाँ	**17,021**	**17,700**
सी. कुल देनदारियाँ (ए+बी)	**63,736**	**76,651**
जीएसडीपी	**1,70,654**	**1,91,659**
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण	**37.35%**	**39.99%**

लैंगिक बजट:

- इसका अर्थ है बजट को लैंगिक परिप्रेक्ष्य में परखना, बजट के प्रत्येक चरण में महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राजस्व और व्यय को समायोजित करना शामिल है।
- महिलाएं, जेंडर बजट के प्रमुख हितधारक हैं।
- महिला एवं बाल विकास विभाग लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए श्रेणीवार लैंगिक बजट (लाख रुपये में)

क्रमांक।	विभाग	बजट अनुमान		कुल
		श्रेणी – I (100 प्रतिशत महिलाएं)	श्रेणी – II (< 100 प्रतिशत महिलाएँ और अन्य)	
1	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम	26793.22	119902.00	146695.22
2	महिला बाल विकास	10476.00	35593.60	46069.60
3	ग्रामीण विकास	86.00	31830.00	31916.00
4	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	3.00	18050.00	18053.00
5	पुलिस	763.90	-	763.90
6	उच्च शिक्षा	414.36	7302.09	7716.45
7	स्वास्थ्य	14200.33	1780.52	15980.85
8	तकनीकी शिक्षा	43.78	239.00	282.78
9	परिवहन	80.00	8537.00	8617.00
10	अन्य विभाग*	-	30358.05	30358.05
कुल		**52860.59**	**253592.26**	**306452.85**

स्रोत: जेंडर बजट विवरण, हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग

नोट: *शहरी विकास, कृषि, उद्योग, पशुपालन, कला एवं संस्कृति, बागवानी, प्रारंभिक शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन और हिमऊर्जा।

राजकोषीय घाटा/राजस्व घाटा:

- **राजकोषीय घाटा** सरकारी खर्च और राजस्व के बीच का अंतर है। ज़्यादा घाटा मतलब ज़्यादा उधारी।
- **राजस्व घाटा** यह सरकार के राजस्व में वर्तमान व्यय की तुलना में कमी को दर्शाता है।

राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)

आइटम/वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23 (ए)	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+)	-5700.09	-5224.86	-12379.84	-12294.75	-10783.87
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	-96.66	1114.76	-6335.76	-5479.92	-4513.55

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश बजट अनुमान (बीई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹42,153 करोड़ हैं।
2. केन्द्रीय करों सहित राज्य के कर राजस्व में 14.99% की वृद्धि हुई है।
3. शिक्षा के लिए 9,812 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
4. केन्द्र से प्राप्त अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का 14.1% है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1 और 2 B) केवल 3 और 4
C) केवल 1, 2, और 3 D) उपरोक्त सभी

2. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश बजट अनुमान (बीई) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलत कथन की पहचान करें:

1. वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का 18.15% हैं।
2. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय ₹58,444 करोड़ है।
3. कुल प्रतिबद्ध व्यय ₹33,463 करोड़ होने की उम्मीद है
4. वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए जेंडर बजट ₹4,500 करोड़ होने का अनुमान है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

A) केवल 1 B) केवल 2 और 3
C) केवल 4 D) केवल 1 और 4

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन I: वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में कुल प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत बढ़कर 27.4% हो गया।

कथन II: वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में कुल प्राप्तियों में केंद्रीय करों का हिस्सा बढ़कर 18.3% हो गया।

निम्न में से कौन सा सही है?

A) केवल कथन I सही है
B) केवल कथन II सही है
C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
D) न तो कथन I न ही कथन II सही है

4. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश बजट अनुमान (बीई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में आर्थिक सेवाओं का योगदान सबसे अधिक है।
2. समग्र रूप से, वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में अनुदान सहायता घटकर ₹13,287 करोड़ रह गई है।
3. राजस्व व्यय में 5.61% की मामूली वृद्धि देखी गई है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3 D) उपरोक्त सभी

5. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश के बजट अनुमान (बीई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन I: वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का 18.15% अनुमानित हैं।

कथन II: वित्त वर्ष 2024-25 (बजट अनुमान) में राज्य का कुल व्यय जीएसडीपी का 25.17% होने का अनुमान है।

निम्न में से कौन सा सही है?

A) केवल कथन 1 सही है
B) केवल कथन 2 सही है
C) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं

D) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है

6. सूची I (व्यय का प्रकार) को सूची II (वित्त वर्ष 2024-25 बीई में प्रतिशत आवंटन) के साथ मिलाएं:

सूची I (व्यय का प्रकार)	सूची II (प्रतिशत आवंटन)
A. राजस्व व्यय	1. 10.73%
B. पूंजीगत व्यय	2. 9.38%
C. ऋण (अग्रिम)	3. 0.05%
D. सार्वजनिक ऋण (पुनर्भुगतान)	4. 79.85%

A) A-4, B-1, C-3, D-2 B) A-1, B-4, C-2, D-3
C) A-2, B-3, C-1, D-4 D) A-4, B-2, C-1, D-3

7. हिमाचल प्रदेश में जेंडर बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महिलाएँ लिंग बजट की प्रमुख हितधारक हैं।
2. लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है।

निम्न में से कौन सा सही है?
A) केवल कथन 1 सही है
B) केवल कथन 2 सही है
C) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं
D) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है

8. राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर है।
2. उच्च राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार द्वारा अधिक उधार लेना।

निम्न में से कौन सा सही है?
A) केवल कथन 1 सही है
B) केवल कथन 2 सही है
C) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं
D) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है

9. 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की ऋण स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कुल सार्वजनिक ऋण (आंतरिक ऋण + केंद्र सरकार से ऋण) ₹58,951 करोड़ था।
2. कुल देयताएं (सार्वजनिक ऋण + सार्वजनिक लेखा और अन्य देयताएं) ₹76,651 करोड़ थीं।
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹1,91,659 करोड़ था।
4. ऋण-जीएसडीपी अनुपात 36.5% था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?
A) केवल 1 और 2 B) केवल 3 और 4
C) केवल 4 D) केवल 2 और 4

10. वित्त वर्ष 2024-25 (बीई) में हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या है?

A) ₹5,850 करोड़ B) ₹6,270 करोड़
C) ₹7,100 करोड़ D) ₹6,500 करोड़

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	C	A	C	A	C	C	C	B

अध्याय 4
बैंकिंग और संस्थागत वित्त

मुख्य अंश:

- **हिमाचल प्रदेश** में 2,352 बैंक शाखाएँ हैं, जिनमें से 76% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
- अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक 60 नई शाखाएँ खोली गईं।
- कुल शाखाओं में से:
  - **1,793** ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
  - **451** अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 108 शिमला (राज्य का एकमात्र आरबीआई-वर्गीकृत शहरी केंद्र) में हैं।
- **सितंबर 2024 तक** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की 1,177 शाखाएँ थीं, जो राज्य के बैंकिंग नेटवर्क का 50% हैं।
- **पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)** की शाखाओं की संख्या सबसे अधिक 354 हैं। उसके बाद एसबीआई की 349 और यूको बैंक की 181 शाखाएँ हैं।
- निजी क्षेत्र के बैंकों में, कुल 298 निजी बैंक शाखाओं में से, एचडीएफसी बैंक की 108 शाखाएँ हैं। आईसीआईसीआई बैंक की 57 शाखाएँ हैं।
- **कांगड़ा जिला** में सबसे अधिक 431 बैंक शाखाएं हैं, जबकि लाहौल-स्पीति में 26 शाखाएं हैं।
- विभिन्न बैंकों द्वारा 2,120 एटीएम स्थापित किये जाने के साथ बैंकिंग आउटरीच का विस्तार हुआ है।
- सितंबर 2024 तक, बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों में कृषि ऋण का हिस्सा 16.73% है, जो आरबीआई के 18% के राष्ट्रीय लक्ष्य से कम है।
- सितंबर 2024 तक बैंकों में 18.55 लाख पीएमजेडीवाई खाते हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 16.60 लाख और शहरी क्षेत्रों में 1.95 लाख खाते हैं।
- **सितंबर 2024 तक राज्य में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 47.16% था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत बैंकों के 35.22 लाख ग्राहक हैं।**

परिचय:

हिमाचल प्रदेश में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी तीन बैंकों के बीच साझा की जाती है:

- **पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)** छह जिलों की देखरेख करता है: हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना।
- **यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO)** चार जिलों का प्रबंधन करता है: बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर।
- **भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)** यह दो जिलों के लिए जिम्मेदार है: चंबा और लाहौल-स्पीति।
- **यूको बैंक** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के लिए संयोजक बैंक के रूप में कार्य करता है
- हिमाचल प्रदेश की **2,352 बैंक शाखाएं** ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें **76%** से अधिक **ग्रामीण क्षेत्रों** में कार्य कर रही हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में प्रति 2,919 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11,000 है।
- **चार पेमेंट्स बैंक** राज्य में संचालित बैंक: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, वित्तीय समावेशन और परिचालन (फिनो) पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक।
- वर्तमान में राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा **11,340 बैंक मित्र** तैनात हैं।

राज्य में बैंक शाखाओं का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
1.	**बैंक शाखाओं की कुल संख्या**	**2,352**
	a. क्षेत्रवार बैंक	
	i. ग्रामीण	1,793
	ii. शहरी/अर्ध-शहरी	451
	iii. शहरी केंद्र (शिमला)	108
	कुल	**2,352**
	b. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	
	i. पंजाब नेशनल बैंक	354
	ii. भारतीय स्टेट बैंक	349
	iii. यूको बैंक	181
	iv. अन्य	293
	कुल	**1,177**
	c. निजी क्षेत्र के बैंक	
	i. एचडीएफसी	108
	ii. आईसीआईसीआई	57
	iii. लघु वित्त बैंक (4)	25
	vi. अन्य	108
	कुल	**298**
	d. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी)	**274**
	e. भुगतान बैंक	**13**
	f. हिमाचल प्रदेश सहकारी क्षेत्र के बैंक	
	i. हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (एचपीएससीबी)	263
	ii. कांगड़ा केंद्रीय सेंट्रल बैंक (केसीसीबी)	217
	iii. पांच शहरी सहकारी बैंक	26
	iv. अन्य	84
	कुल	**590**
2.	**खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या (अक्टूबर 2023 - सितंबर 2024)**	**60**
3.	**विभिन्न बैंकों द्वारा स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या**	**2,120**

हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बैंकिंग व्यवसाय राष्ट्रीय मापदंडों की स्थिति

- कृषि, लघु एवं सीमांत किसान, लघु उद्योग, कमजोर वर्ग और महिलाओं को कवर करते हुए, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित 7 राष्ट्रीय मापदंडों में से 5 को पूरा किया है।
- कुल ऋणों का **59.12%** कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास और माइक्रो ऋण सहित प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया है।
- बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सितम्बर, **2024** तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित **18 प्रतिशत** के राष्ट्रीय मानक की तुलना में **16.73** प्रतिशत कृषि ऋण प्रदान किए है। बैंको द्वारा कुल ऋण में कमजोर वर्ग तथा महिलाओं का क्रमशः

17.38 प्रतिशत तथा **12.60 प्रतिशत** अग्रिम राशि का भाग है, जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः **12 प्रतिशत** तथा 5 प्रतिशत होनी चाहिए। सितम्बर, **2024** तक राज्य में बैंकों का ऋण जमा अनुपात **47.16 प्रतिशत** रहा।

- यहां 30.09.2024 तक हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बैंकिंग व्यवसाय राष्ट्रीय मापदंडों की स्थिति के साथ-साथ राष्ट्रीय मापदंडों की तालिका दी गई है:

क्रम सं.	क्षेत्र	30.09.2024 तक अग्रिम का %	राष्ट्रीय पैरामीटर (%)
1	प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अग्रिम	59.12	40
2	कृषि अग्रिम	16.73	18
3	लघु एवं सीमांत किसानों को अग्रिम राशि	12.07	9
4	लघु उद्यमों को अग्रिम राशि	16.08	7.5
5	कमजोर वर्गों को अग्रिम सहायता	17.38	12
6	महिलाओं को अग्रिम सहायता	12.60	5
7	जमा एवं अग्रिम अनुपात (थोरट)	47.16	60
8	एमएसएमई अग्रिम (पीएससी)	46.25	-
9	एससी/एसटी (पीएससी) को अग्रिम	9.79	-
10	अल्पसंख्यकों को अग्रिम (पीएससी)	3.64	-

वित्तीय समावेशन पहल

प्रधानमंत्री जन धन योजना: (28 अगस्त 2014)

- राज्य में बैंकों ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) हो।
- सितंबर 2024 तक इस पहल के तहत कुल 18.55 लाख खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में **16.60 लाख** और शहरी क्षेत्रों में **1.95 लाख** खाते हैं।
- बैंकों ने **12.69 लाख** पीएमजेडीवाई खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं, जो इन खातों के **69%** से अधिक को कवर करते हैं।
- बैंक खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने के भी प्रयास किए गए हैं, सितंबर 2024 तक **84%** पीएमजेडीवाई खाते लिंक हो जाएंगे।

पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

- यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के बचत बैंक खाताधारकों को ₹2 लाख (आंशिक और स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1 लाख) का एक वर्षीय नवीकरणीय आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता कवर प्रदान करती है।
- इस योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम प्रति ग्राहक 20 रुपये है, जो प्रत्येक वर्ष 1 जून को नवीनीकृत किया जाता है।
- सितंबर 2024 तक, बैंकों ने प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 35.22 लाख ग्राहकों को नामांकित किया है।

2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

- इस योजना के अन्तर्गत **18 वर्ष से 50 वर्ष** के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक प्रति वर्ष **₹436.00** के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीनीकरण पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर **₹2.00 लाख** प्रदान किए जाते है तथा हर वर्ष 1 जून को नवीनीकरण होता है।

- सितंबर 2024 तक बैंकों ने इस योजना के तहत 12.67 लाख ग्राहकों को नामांकित किया है।

3. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को समर्थन देना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच किए गए योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000, या ₹5,000 की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- यदि 20 वर्षों तक लगातार योगदान दिया जाए तो सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है।
- राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड-डे मील श्रमिकों, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच एपीवाई को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
- सितंबर 2024 तक बैंकों ने एपीवाई के तहत 5.30 लाख ग्राहक पंजीकृत किए हैं।
- डाक विभाग भी इस योजना के कार्यान्वयन में योगदान दे रहा है।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): (8 अप्रैल, 2015)</u>

- यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में 10 लाख रुपये से कम ऋण आवश्यकता वाले सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिए कार्यान्वित की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इस श्रेणी में 8 अप्रैल 2015 के बाद स्वीकृत कोई भी ऋण पीएमएमवाई के अंतर्गत आएगा।
- सितंबर 2024 तक, हिमाचल प्रदेश में बैंकों ने 2024-25 के लिए 40,280 नए सूक्ष्म उद्यमियों को **₹990.31 करोड़** मंजूर किए हैं।
- पीएमएमवाई के तहत कुल ऋण वितरण **3,409.27 करोड़** रुपये तक पहुंच गया है, जिससे **1,76,606 उद्यमी** लाभान्वित हुए हैं।

<u>स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूआईएस)</u>

- स्टैंड अप इंडिया योजना निर्माण, व्यवसाय या सेवाओं में नए उद्यमों के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक उधारकर्ता और प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करके अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है।
- सितंबर 2024 तक, बैंकों ने 416 एससी/एसटी और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को ₹66.13 करोड़ मंजूर किए हैं।

<u>बैंकों की व्यवसायिक स्थिति:</u>

- सितंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में कुल बैंक जमा में **9.26** की वृद्धि हुई।
- कुल अग्रिम में **17.40%** की वृद्धि हुई।
- कुल बैंकिंग कारोबार **11.67%** बढ़कर **₹2,57,209 करोड़ से ₹2,87,237 करोड़** हो गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिक 62% है, इसके बाद सहकारी बैंक (18%), निजी बैंक (13%), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) (5%), और अन्य (2%) का स्थान है।

<u>वार्षिक जमा योजना के अंतर्गत प्रदर्शन:</u>

- बैंकों ने विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नाबार्ड के आकलन के आधार पर वार्षिक जमा योजना 2024-25 तैयार की है।
- इस वर्ष के लिए वित्तीय लक्ष्य 43,179 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में **14.49%** अधिक है।
- सितंबर 2024 तक बैंकों ने **₹26,665 करोड़** का ऋण वितरित कर दिया था, जो वार्षिक लक्ष्य का 62% था।

सितंबर, 2024 तक की स्थिति पर एक नज़र

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2024–25	उपलब्धि सितम्बर, 2024	प्रतिशत उपलब्धि सितम्बर–2024
1	कृषि प्रत्यक्ष	16858	5645	33
2	एम.एस.एम.ई.	14077	10985	78
3	शिक्षा	693	56	8
4	आवास	2650	563	21
5	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	1968	430	22
6	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 5)**	**36246**	**17679**	**49**
7	कुल गैर प्राथमिकता क्षेत्र	6933	8986	130
	कुल योग (6+7)	**43179**	**26665**	**62**

स्त्रोतः राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति शिमला, हिमाचल प्रदेश

सरकार प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन:

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर और गरीबों के लिए संस्थानों को मजबूत करके गरीबी को कम करना है। यह वित्तीय और आजीविका सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाता है।
- हिमाचल प्रदेश में यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचपीएसआरएलएम) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- हिमाचल प्रदेश में बैंकों को इस योजना के अंतर्गत 24,700 लाभार्थियों को कवर करने के लिए **300.00 करोड़ रुपये** का वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया गया है।
- सितंबर 2024 तक, बैंकों ने एनआरएलएम के तहत ₹55.81 करोड़ की राशि के 2,647 ऋण मामलों को मंजूरी दी है।

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:

- आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) द्वारा शुरू की गई इस योजना ने शहरी गरीबी उन्मूलन प्रयासों को बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का स्थान लिया है।
- एनयूएलएम का एक प्रमुख घटक, स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी), शहरी गरीबों के बीच व्यक्तिगत और समूह उद्यमों (आईजीई) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की स्थापना का समर्थन करने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।
- हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग और कई बैंकों ने सितंबर, 2024 तक एनयूएलएम ऋण में **₹4.06 करोड़** वितरित किए हैं।

3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- राज्य स्तर पर यह योजना केवीआईसी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।
- वर्ष 2024-25 के लिए बैंकों को इस योजना के अंतर्गत 1,174 नई इकाइयों को वित्तपोषित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें मार्जिन मनी संवितरण के लिए **32.16 करोड़** रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सितंबर 2024 तक बैंकों ने 495 इकाइयों के लिए मार्जिन मनी के रूप में **₹18.71 करोड़** मंजूर किए हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड

- बैंक अपनी ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं और संबंधित खर्चों के लिए एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं।
- सितंबर 2024 तक बैंकों ने **1,20,367 नए केसीसी** जारी किए हैं
- बैंकों ने सितंबर, 2024 तक केसीसी के माध्यम से **5,79,299 किसानों** को कुल **₹10,204 करोड़** का वित्त पोषण किया है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)** ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की एक पहल है।
- प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए समर्पित जिला-स्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, तथा उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना।
- राज्य के अग्रणी बैंकों, अर्थात् यूको बैंक, पीएनबी और एसबीआई ने दस जिलों (किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर) में आरएसईटीआई की स्थापना की है।
- आरएसईटीआई का लक्ष्य 2024-25 के दौरान **328** प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है और **4,992** युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

ग्रामीण अवसंरचना

- 1995-96 में अपनी स्थापना के बाद से, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) नाबार्ड की एक प्रमुख पहल रही है, जो राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण अवसंरचना विकास को समर्थन प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को चल रही परियोजनाओं को पूरा करने और चयनित क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, आरआईडीएफ वित्तपोषण का विस्तार 39 पात्र गतिविधियों तक हो गया है, जिन्हें कृषि और संबंधित क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण संपर्क में वर्गीकृत किया गया है।
- 2024-25 के लिए, राज्य को नई परियोजना स्वीकृतियों के लिए RIDF-XXX के तहत ₹900 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें हरित गतिशीलता और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 53 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयों के लिए वित्त पोषण शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, किसानों को दूध की बेहतर कीमत दिलाने में मदद के लिए कांगड़ा के धगवार में एक मेगा डेयरी प्रसंस्करण परियोजना को मंजूरी दी गई है।
- नाबार्ड ने मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे परियोजना को भी मंजूरी दी है, जो चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पंडोह को बाखली मंदिर से जोड़ेगी।

- इसकी स्थापना के बाद से, ग्रामीण सड़कों, पुलों, सिंचाई और ग्रामीण पेयजल से संबंधित परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ के तहत हिमाचल प्रदेश को संचयी रूप से **₹11,863.39 करोड़** मंजूर किए गए हैं।
- आरआईडीएफ किश्त XXX (वित्त वर्ष 2024-25) के अंतर्गत, **₹903.2 करोड़** स्वीकृत किए गए हैं, और 14 जनवरी 2025 तक राज्य सरकार को **₹526 करोड़** वितरित किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी सुविधा कोष (टीएफएफ):

- नाबार्ड ने प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और विस्तार देने के लिए **50 करोड़ रुपये** की प्रारंभिक निधि के साथ प्रौद्योगिकी सुविधा कोष (टीएफएफ) की स्थापना की है।

मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफएआईडीएफ):

- नाबार्ड एफएआईडीएफ (मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि) के तहत ऊना जिले के गगरेट स्थित कार्प फार्म में अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में राज्य सरकार को सहयोग दे रहा है, जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करना है।

पुनर्वित्तीय सहायता:

- नाबार्ड आवास, परिवहन, सिंचाई, डेयरी, कृषि मशीनीकरण और बागवानी आदि सहित विभिन्न ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान करता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 13 जनवरी 2025 तक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) सहित सहकारी बैंकों को दीर्घकालिक पुनर्वित्त के रूप में **₹335.99 करोड़** वितरित किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 में फसल ऋण वितरण के लिए **₹2,150 करोड़** की अल्पकालिक (एसटी) ऋण सीमा मंजूर की है

विशेष पुनर्वित्त योजनाएँ:

कोविड के बाद के युग में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड ने निम्नलिखित नई विशेष पुनर्वित्त योजनाएं शुरू की हैं

a) **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का बहु-सेवा केन्द्रों (एमएससी) में रूपांतरण** बैंकों को 3% पर रियायती पुनर्वित्त की पेशकश करके, लाभार्थियों के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।यह योजना फिलहाल केवल पैक्स द्वारा गोदाम निर्माण के लिए समर्थन तक सीमित है।

b) **जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त:** यह योजना बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती है ताकि वाश गतिविधियों में लगे पात्र लाभार्थियों और उद्यमियों के लिए समय पर और परेशानी मुक्त वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके। पात्र संस्थान हैं, सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी बैंक और नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ। वाश गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सतत विकास लक्ष्यों के तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पुनर्वित्त के लिए पात्र ऋण का 95 प्रतिशत पात्र होगा। नाबार्ड सभी पात्र बैंकों को तिमाही आधार पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से रियायती दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान करेगा।

नई कृषि विपणन अवसंरचना योजना:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना को क्रियान्वित कर रही है, जो एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) के अंतर्गत एक उप-योजना है। इस योजना को 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत अवधि ऋणों के लिए बढ़ा दिया गया है।

लघु ऋण:

- 15 जनवरी 2025 तक, **6,337 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)** को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान **₹296.52 करोड़** के ऋण के साथ क्रेडिट-लिंक किया गया है।
- केंद्रीय बजट 2014-15 में संयुक्त कृषि समूहों - "**भूमिहीन किसान**" (भूमिहीन किसान) के लिए वित्तपोषण की शुरुआत की गई, जिससे संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से भूमिहीन किसानों को समर्थन देने के नाबार्ड के प्रयासों को बल मिला।
- 30 सितंबर 2024 तक 15,765 संयुक्त देयता समूहों को कुल **₹98.58 करोड़** का ऋण वितरण प्राप्त हो चुका था।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नाबार्ड ने तीन वर्ष की अवधि में 200 संयुक्त देयता समूहों के संवर्धन और ऋण लिंकेज के लिए कई गैर सरकारी संगठनों को 8 लाख रुपये मंजूर किए हैं।

कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना

- नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में **124 एफपीओ** के गठन और संवर्धन के लिए **15.73 करोड़** रुपये का अनुदान मंजूर किया है।
- 26,332 किसानों की सदस्यता वाले इन एफपीओ ने अपने सदस्यों को **17.01 करोड़** रुपये मूल्य के इनपुट की बिक्री और उपज के विपणन में सहायता की है।
- केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, नाबार्ड "एक जिला, एक उत्पाद" पहल के अंतर्गत **10,000 एफपीओ** के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- एफपीओ को समर्थन और मजबूत करने के लिए, नाबार्ड क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) के साथ सहयोग करता है। इस पहल के तहत, हिमाचल प्रदेश में **₹10.47 करोड़** के स्वीकृत अनुदान के साथ 23 एफपीओ स्थापित किए गए हैं।

वाटरशेड विकास परियोजनाएं

- नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 52 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान स्वीकृत किया है।
- इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल **32.65 करोड़** रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे 40,380 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा और 10 जिलों के 365 गांव लाभान्वित होंगे।

जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के माध्यम से जनजातीय विकास

- नाबार्ड ने 31 दिसंबर, 2024 तक **23.55 करोड़** रुपये के अनुदान के साथ 15 आदिवासी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे **3,982** परिवार लाभान्वित होंगे।
- इन पहलों का ध्यान चयनित गांवों में WADI (छोटे बाग) और डेयरी इकाइयां स्थापित करने पर है, जिसके अंतर्गत सेब, नींबू, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी की खेती के लिए 2,838 एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) के माध्यम से सहायता

- नाबार्ड ने एफएसपीएफ के तहत कुल ₹4.80 करोड़ की 42 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 20,773 किसान लाभान्वित होंगे।
- यह निधि विभिन्न गतिविधियों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें सोलन के पिपलूघाट में पशु विकास केंद्र की स्थापना भी शामिल है

ग्रामीण कारीगरों/बुनकरों को सहायता

- नाबार्ड ने सरोआ हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत ऑफ-फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (ओएफपीओ) के गठन के लिए अनुदान सहायता के रूप में **90.11 लाख** रुपये मंजूर किए हैं।
- ओएफपीओ 503 बुनकरों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें से **90%** महिलाएं हैं, जिससे वे विभिन्न प्रकार के ऊनी उत्पाद तैयार करने में सक्षम हो जाती हैं

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स)

❖ **नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS)**नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कृषि, ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

❖ चालू वित्त वर्ष के दौरान, NABCONS निम्नलिखित मुख्य कार्यों में भाग ले रहा है:

- हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पराला और खरापत्थर में एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।
- हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर कृषि-अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत पीएमयू (परियोजना प्रबंधन इकाई) की स्थापना।
- नैबकॉन्स हिमाचल प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सूची I (बैंक शाखा वितरण) को सूची II (हिमाचल प्रदेश में शाखाओं की संख्या) के साथ सुमेलित करें:

सूची I (क्षेत्र)	सूची II (शाखाओं की संख्या)
A. ग्रामीण क्षेत्र	1. 108
B. अर्ध-शहरी क्षेत्र	2. 1,793
C. शिमला	3. 451
D. कुल शाखाएँ	4. 2,352

A) A-2, B-3, C-1, D-4 B) A-1, B-4, C-3, D-2
C) A-3, B-2, C-4, D-1 D) A-4, B-1, C-2, D-3

2. हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में प्रति 2,919 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है, जो कि प्रति शाखा 11,000 व्यक्तियों के राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
2. राज्य के बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी 7 राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा कर लिया है।
3. सितंबर 2024 तक, कृषि ऋण कुल ऋणों का 16.73% है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A) केवल 1 B) केवल 2
C) 2 और 3 D) 1 और 3

3. सितंबर 2024 तक, हिमाचल प्रदेश में पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कितने रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं?

A) 10.5 लाख B) 12.69 लाख
C) 14.2 लाख D) 9.8 लाख

4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए आयु पात्रता मानदंड क्या है?

A) 18 से 50 वर्ष B) 18 से 60 वर्ष
C) 18 से 40 वर्ष D) 18 से 70 वर्ष

5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम ऋण सीमा क्या है?

A) ₹5 लाख B) ₹10 लाख
C) ₹15 लाख D) ₹20 लाख

6. सूची I (बैंक का प्रकार) को सूची II (हिमाचल प्रदेश में बाजार हिस्सेदारी) के साथ सुमेलित करें:

सूची I (बैंक का प्रकार)	सूची II (बाजार हिस्सेदारी %)
A. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB)	1. 18%
B. सहकारी बैंक	2. 5%
C. निजी बैंक	3. 62%
D. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	4. 13%

A) A-3, B-4, C-1, D-2 B) A-4, B-1, C-3, D-2
C) A-3, B-1, C-4, D-2 D) A-1, B-3, C-2, D-4

7. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

A) यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

B) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

C) राज्य स्तर पर, केवीआईसी, केवीआईबी और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) इस योजना को कार्यान्वित करते हैं।

D) 2024-25 के लिए, बैंकों को योजना के तहत 1,174 नई इकाइयों को वित्त पोषित करने का लक्ष्य दिया गया था।

8. हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड द्वारा समर्थित अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है?

A) बिलासपुर B) कांगड़ा
C) ऊना D) मंडी

9. नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में कितने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अनुदान मंजूर किया है?

A) 100 B) 124
C) 150 D) 175

10. नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. नैबकॉन्स नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कृषि और ग्रामीण विकास में परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।
2. नैबकॉन्स पराला और खरापाथर में एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान कर रहा है।
3. एनएबीसीओएनएस राष्ट्रीय स्तर पर कृषि-अवसंरचना निधि (एआईएफ) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
4. नैबकॉन्स हिमाचल प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

A) केवल 1 और 2 B) केवल 3 और 4
C) केवल 3 D) केवल 2 और 3

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	A	B	C	B	C	B	C

अध्याय 5

मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन

मुख्य अंश:

- सीपीआई-सी मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 में 5.0% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.2% हो गई।
- **इसी अवधि के दौरान सीपीआई-ग्रामीण 5.1% से घटकर 4.4% हो गया, जबकि सीपीआई-शहरी 4.7% से घटकर 3.3% हो गया।**
- ईंधन और प्रकाश समूह का समग्र मुद्रास्फीति में सबसे कम योगदान है, जो कुल सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का (-) **20.2%** है।
- **आपूर्ति पक्ष में रुकावटें** वित्त वर्ष 2021-22 में मुद्रास्फीति को आरबीआई की अधिकतम सहनीय सीमा 6% से ऊपर ले गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से दिसंबर तक राज्य में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) **2.2%** थी।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सरकार की गरीबी उन्मूलन नीति के तहत 5,330 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करती है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ने **₹2100 करोड़** से अधिक का कुल कारोबार हासिल किया।
- वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान, हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ने राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न पंचायतों को **₹101.93 करोड़** मूल्य के **32,36,660 सीमेंट** बैग की खरीद और वितरण का प्रबंधन किया।
- **हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार, प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित मक्की की खरीद कृषि विभाग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की गई है।**

परिचय

- मूल्य सूचकांक एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग समय के साथ वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, और यह आर्थिक नियोजन में एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है
- वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है।
- मुद्रास्फीति की गणना थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके की जाती है।

वैश्विक मुद्रास्फीति

- **वैश्विक मुद्रास्फीति** 2022 में **8.7%** के उच्चतम स्तर पर थी जो 2024 में घटकर **5.7%** हो जाएगी।
- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 2024 में **5.4%** से घटकर 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में **4.9%** गई।

भारत की मुद्रास्फीति

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई भारत की मुख्य मुद्रास्फीति, वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में कम हुई है। यह गिरावट मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी के कारण है, जो वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) के बीच 0.9 प्रतिशत अंक कम हुई है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य हर पांच साल में निर्धारित किए जाते हैं। मार्च 2021 में, सरकार ने अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) मुद्रास्फीति के लिए क्रमशः 2 से 6 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के साथ 4 प्रतिशत के अपने लक्ष्य की पुष्टि की।

हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति का रुझान

- हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है
- वित्त वर्ष 2024-25 में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति घटकर **4.2%** हो गई
- **सीपीआई-ग्रामीण** वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर **4.4%** रह जाएगी
- **सीपीआई-शहरी** वित्त वर्ष 2024-25 में गिरकर **3.3%** हो गई
- **सीपीआई-औद्योगिक कर्मचारी** वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति बढ़कर **2.2%** हो गई
- **सीपीआई-कृषि श्रम** वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति बढ़कर **5.7%** हो गई
- **सीपीआई-ग्रामीण श्रम** वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति भी बढ़कर 5.5% हो गई
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीपीआई मुद्रास्फीति **2.2% और 5.7%** के बीच उतार-चढ़ाव करती रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपरी सहनीय स्तर के भीतर रही।

सूचकांकों	2023-24 (अप्रैल-दिसंबर)	2024-25 (पी) (अप्रैल-दिसंबर)
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अखिल भारत	-1.1	2.2
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (सीपीआई-आर)	5.1	4.4
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-शहरी (सीपीआई-यू)	5.1	3.3
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी)	5.1	4.2
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कर्मचारी (सीपीआई-आईडब्ल्यू)	1.8	2.2
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रम (सीपीआई-एएल)	4.6	5.7
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रम (सीपीआई-आरएल)	4.8	5.5

स्रोत: *WPI के लिए आर्थिक सलाहकार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), CPI (संयुक्त, ग्रामीण, शहरी) के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (MoSPI, GoI) और CPI औद्योगिक श्रमिक (IW), कृषि श्रमिक (AL), ग्रामीण श्रमिक (RL) के लिए श्रम ब्यूरो। #2020-21 के बाद के लिए CPI-IW मुद्रास्फीति नई श्रृंखला 2016=100 पर आधारित है*

पी=अनंतिम

टिप्पणी:

- ❖ **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** यह रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा संकलित की गई है।
- ❖ **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)** श्रेणियाँ:
- **संयुक्त (सीपीआई-सी), ग्रामीण (सीपीआई-आर), और शहरी (सीपीआई-यू)** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), भारत सरकार द्वारा संकलित किए जाते हैं।
- **औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई-आईडब्ल्यू)**, कृषि मजदूर (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूर (सीपीआई-आरएल) के आंकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किए जाते हैं।

विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति

- हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति 2024 तक उतार-चढ़ाव भरी रहेगी।
- जनवरी में **5.1%** से शुरू होकर अक्टूबर में **5.8%** के उच्चतम स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण हुई।

- जनवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति दर **4.19%** दर्ज की गई, जो अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत मध्यम थी।

अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति की तुलनात्मक स्थिति

राज्य	दिसंबर 2024	जनवरी 2025
उत्तराखंड	6.05%	4.85%
पंजाब	5.06%	4.28%
झारखंड	4.51%	2.56%
जम्मू और कश्मीर	5.44%	4.82%
हिमाचल प्रदेश	4.97%	4.19%
हरियाणा	6.02%	5.10%
छत्तीसगढ	7.52%	5.85%
भारत	5.22%	4.31%

<u>उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में योगदानकर्ता (संयुक्त) 2024 बनाम 2017</u>

- ईंधन और प्रकाश समूह समग्र मुद्रास्फीति में सबसे कम योगदानकर्ता रहा है। यह कुल सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का (-) **20.2%** है, जो दर्शाता है कि ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में परिवर्तन समग्र मुद्रास्फीति दर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह **41.6%** हिस्सेदारी के साथ, यह समग्र मुद्रास्फीति में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।
- दूसरा सबसे बड़ा योगदान पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों का था, जिनका कुल मुद्रास्फीति में योगदान वस्तुओं काथा।
- वस्त्र और जूते कुल मुद्रास्फीति में **19.0%** का योगदान दिया।
- विविध वस्तुओं का कुल मुद्रास्फीति में इसका योगदान **23.9%** था।

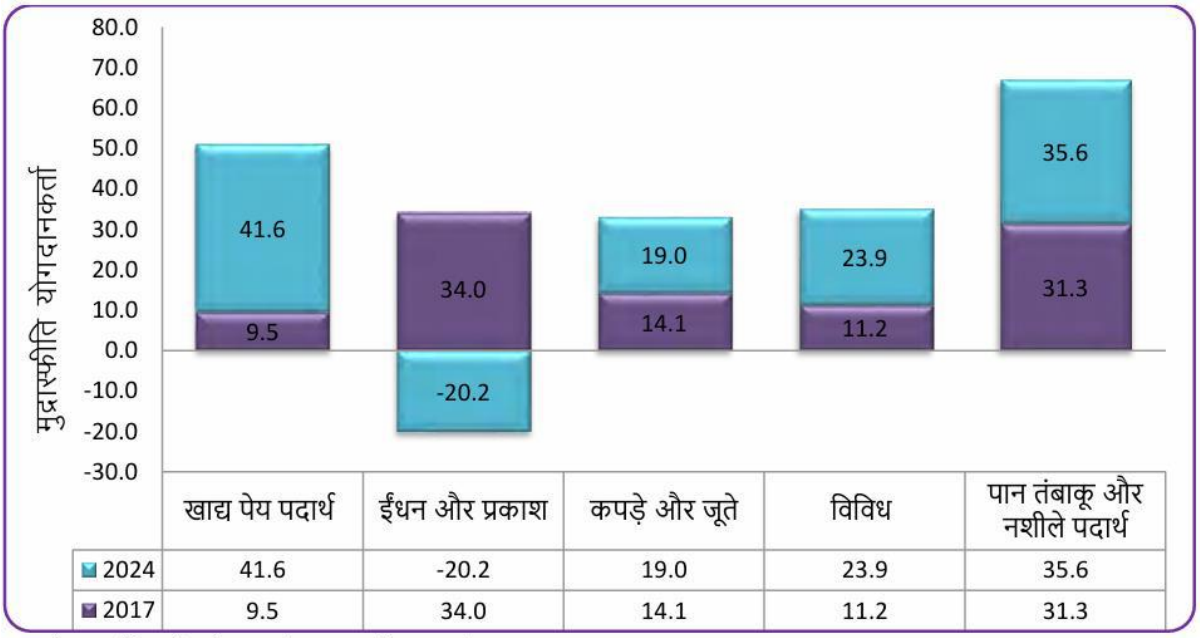

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

<u>औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू)</u>

- **सीपीआई-आईडब्ल्यू** यह औद्योगिक श्रमिकों के जीवन-यापन की लागत के आधार पर मुद्रास्फीति का एक माप है और इसे श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है।

- सितंबर 2020 में हिमाचल प्रदेश में CPI-IW के लिए आधार वर्ष 2001 से बदलकर 2016 कर दिया गया।

महीना	सीपीआई-आईडब्ल्यू हिमाचल प्रदेश	सीपीआई-आईडब्ल्यू अखिल भारतीय
अक्टूबर-24	5.2%	4.4%
नवम्बर-24	5.0%	3.9%

<u>मासिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI)</u>

- हिमाचल प्रदेश का आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को जिला सांख्यिकी कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से 160 वस्तुओं पर आंकड़ों का संग्रह, संकलन और विश्लेषण करता है।
- **जनवरी, 2024 के दौरान राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मासिक थोक मूल्य सूचकांक 151.2 था** जो जनवरी, 2025 में बढ़कर 154.7 (पी) हो गई, जो 2.31 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर दर्शाती है।
- अप्रैल से दिसंबर, 2023 की हालिया अवधि में, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में गिर गई, जो (-) 4.2 से (-) 4.8 प्रतिशत के बीच थी।
- जनवरी से दिसंबर 2024 तक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 0.2 से 3.4 प्रतिशत के बीच रहेगी।

मासिक थोक मुल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष 2023 और 2024 (जनवरी से दिसंबर) के बीच में तुलना

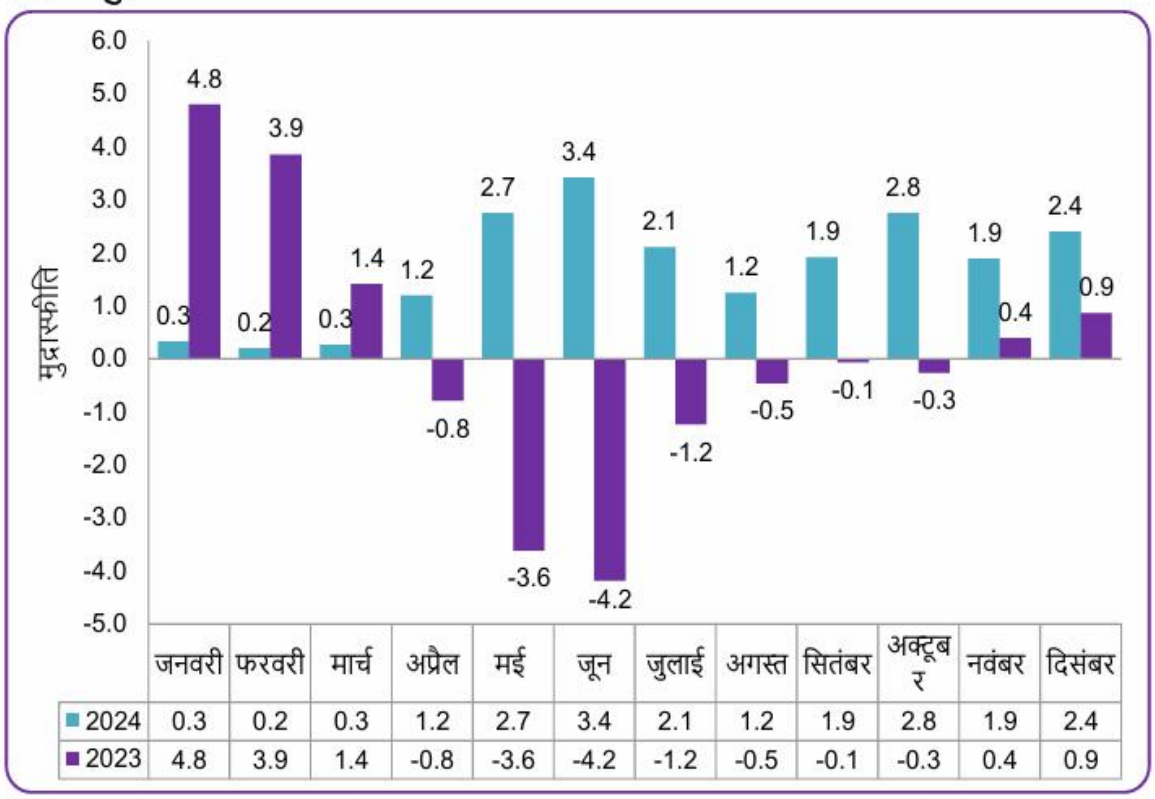

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर
2024	0.3	0.2	0.3	1.2	2.7	3.4	2.1	1.2	1.9	2.8	1.9	2.4
2023	4.8	3.9	1.4	-0.8	-3.6	-4.2	-1.2	-0.5	-0.1	-0.3	0.4	0.9

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग, और आंतरिक व्यापार भारत सरकार (डी.पी.आई.आई.टी.)

<u>2023 और 2024 के थोक मूल्य भिन्नता गुणांक</u>

- भिन्नता गुणांक का उपयोग 2023 (अप्रैल से दिसंबर) और 2024 (अप्रैल से दिसंबर) में मोटे अनाजों के थोक मूल्यों की अस्थिरता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- 31 दिसम्बर, 2024 तक राज्य में 5,330 उचित मूल्य की दुकानें थीं, जिनमें से 3,387 सहकारी समितियों द्वारा, 25 पंचायतों द्वारा, 48 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, 1,812 व्यक्तियों द्वारा, 23 स्वयं सहायता समूहों द्वारा तथा 35 महिला मण्डलों द्वारा संचालित की जा रही थीं।

क्र. सं.	स्वामित्व के प्रकार	इकाई
1	सहकारी समितियाँ	3,387
2	पंचायतों	25
3	एच.पी.एस.सी.एस.सी.	48
4	व्यक्तियों	1,812
5	स्वयं सहायता समूह	23
6	महिला मंडल	35
	कुल	5,330

- राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत **19,32,150** राशन कार्ड हैं।
- राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के एपीएल उपभोक्ताओं को सितम्बर, 2014 से प्रति परिवार प्रति माह 20 किलोग्राम गेहूं/फोर्टिफाइड गेहूं आटा तथा 15 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राज्य में सभी नियंत्रित और गैर-नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं के लिए "केन्द्रीय खरीद एजेंसी" है।

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एचपीएससीएससी)

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राज्य में सभी नियंत्रित और गैर-नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं के लिए "केन्द्रीय खरीद एजेंसी" है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक निगम ने **₹1681.76 करोड़** का कारोबार हासिल किया।
- निगम 2024-25 के दौरान लगभग **₹2100 करोड़** का कुल कारोबार हासिल करने की उम्मीद है।
- निगम नियंत्रित और गैर-नियंत्रित वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं का आटा, नमक, दालें, चीनी, खाद्य तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उचित दरों पर उपलब्ध कराता है। यह कार्य 121 थोक गोदामों, 47 खुदरा दुकानों, 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पंपों, 41 दवा दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) – सीमेंट आपूर्ति

- **2024-25 के दौरान (दिसंबर 2024 तक),** एचपीएससीएससी ने **32,36,660** सीमेंट बैगों की खरीद और वितरण का प्रबंधन किया।

राज्य के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा

- निगम जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, केरोसीन तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसानों से मक्का की खरीद

- मक्के का आटा "हिम भोग" ब्रांड नाम से बेचा जाता है।उपभोक्ताओं को वितरण के लिए 1 किग्रा और 5 किग्रा की पैकेजिंग में उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. ईंधन और प्रकाश समूह समग्र मुद्रास्फीति में सबसे अधिक योगदानकर्ता रहा है।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) 4,500 उचित मूल्य स्टोरों के माध्यम से गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करती है।
3. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ने ₹2,100 करोड़ से अधिक का कुल कारोबार हासिल किया।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-ग्रामीण) 5.1% से घटकर 4.4% हो गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1 और 2 B) केवल 3 और 4
C) केवल 1, 2, और 3 D) उपरोक्त सभी

2. भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का संकलन कौन सा संगठन करता है?

A) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)
B) श्रम ब्यूरो
C) आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी
D) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

3. जनवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (CPI-C) मुद्रास्फीति दर क्या दर्ज की गई?

A) 5.1% B) 4.19%
C) 3.75% D) 4.85%

4. जनवरी 2025 के लिए सीपीआई-सी मुद्रास्फीति दरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें:

A) हरियाणा > जम्मू और कश्मीर > पंजाब > हिमाचल प्रदेश
B) जम्मू और कश्मीर > हरियाणा > पंजाब > हिमाचल प्रदेश
C) हरियाणा > हिमाचल प्रदेश > जम्मू और कश्मीर > पंजाब
D) जम्मू और कश्मीर > हिमाचल प्रदेश > हरियाणा > पंजाब

5. निम्नलिखित में से कौन सा समूह 2024 में समग्र CPI-C मुद्रास्फीति में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था?

A) ईंधन और प्रकाश
B) खाद्य और पेय पदार्थ
C) पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ
D) कपड़े और जूते

6. 2024 में CPI-C मुद्रास्फीति योगदानकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?

समूह	सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में योगदान (%)
A) खाद्य एवं पेय पदार्थ	41.6%
B) कपड़े और जूते	11.2%
C) पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ	35.6%
D) ईंधन और प्रकाश	(-) 20.2%

7. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कितने राशन कार्ड पंजीकृत हैं?

A) 18,50,200 B) 19,32,150
C) 20,10,500 D) 17,95,300

8. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सा निगम जिम्मेदार है?

A) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (HPSCSC)
B) हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ (हिमफेड)
C) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
D) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, हिमाचल प्रदेश

9. हिमाचल प्रदेश में मक्के का आटा किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है?

A) हिम गौरी
B) हिम भोग
C) हिम अन्नपूर्णा
D) हिम फ्रेश

10. कौन सा संगठन हिमाचल प्रदेश में सभी नियंत्रित और गैर-नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं के लिए "केंद्रीय खरीद एजेंसी" के रूप में कार्य करता है?

A) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी)
B) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एचपीएससीएससी)
C) हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
D) हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ (HIMFED)

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	A	B	B	B	A	B	B

अध्याय 6
कृषि एवं बागवानी

मुख्य अंश:

- वित्त वर्ष 2024-25 (अग्रिम अनुमान - एई) में वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान **53%** बढ़ गया है।
- इसी अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में फसल क्षेत्र का योगदान **78%** बढ़ा है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर कुल जी.एस.वी.ए. में वानिकी का हिस्सा **3.10 प्रतिशत** और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जी.एस.वी.ए. का **21.09** प्रतिशत था। वानिकी उप-क्षेत्र वित्त वर्ष 2023-24 में **-1.5 प्रतिशत** के मुकाबले वित्त वर्ष 2024-25 में **4.0 प्रतिशत** बढ़ने का अनुमान है।
- मत्स्य पालन उप-क्षेत्र वर्तमान मूल्यों पर कुल जीएसवीए का **0.14%** और वर्तमान मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए का **0.94%** हिस्सा इसी उप-क्षेत्र का है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में मत्स्य उप-क्षेत्र में **7.0%** की वृद्धि होने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कुल फसल उत्पादन में खाद्यान्न का योगदान **41.75%** रहा। वाणिज्यिक फसलों ने कुल फसल उत्पादन में **58.25%** का योगदान दिया।
- वित्त वर्ष 2023-24 में सेब की खेती का क्षेत्रफल उल्लेखनीय रूप से **1,16,240 हेक्टेयर** बढ़ गया है।
- **वित्त वर्ष 2023-24 में कुल फल उत्पादन** 6.37 लाख टन था।
- वित्त वर्ष 2024-25 में कुल फल उत्पादन (31 दिसंबर 2024 तक) **5.92** लाख टन है।

परिचय

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की स्थापना 1929 में कृषि पर रॉयल आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी।

हिमाचल प्रदेश में कृषि

- **कृषि** राज्य में कुल श्रमिकों के 53.95% को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जीएसवीए में योगदान **14.70%** है।
- कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55.67 लाख हेक्टेयर में से परिचालनगत जोत क्षेत्रफल लगभग 9.44 लाख हेक्टेयर है।
- **औसत भूमि जोत** का आकार लगभग 0.95 हेक्टेयर है।
- **भूमि-स्वामित्व वितरण (2015-16 कृषि जनगणना):** 88.85% - लघु एवं सीमांत किसान। 10.85% - अर्ध-मध्यम एवं मध्यम किसान। 0.30% - बड़े किसान।

कृषि एवं उसके उप-क्षेत्रों का योगदान

- मौजूदा कीमतों पर वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25-एई तक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए में 53% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2024-25 में फसल क्षेत्र जीएसवीए में **78%** की वृद्धि होगी।
- कृषि, वानिकी, पशुधन और मत्स्य पालन जीएसवीए में 11.22% (2020-21 से 2024-25 - AE) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखी गई।

- फसल क्षेत्र **15.43 प्रतिशत** की सी.ए.जी.आर. के साथ इस वृद्धि का एक प्रमुख चालक था, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के जी.एस.वी.ए. में इस क्षेत्र का योगदान 2020-21 में **59.2 प्रतिशत** से बढ़कर 2024-25 में **68.7 प्रतिशत** हो गया है।
- पिछले पांच वर्षों में कुल जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 13-15% के बीच रही है.

कृषि एवं उसके उप-क्षेत्रों का विकास

- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीएसवीए में 3.07% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- फसल उप-क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जीवीए का 68.73% है तथा राज्य के कुल जीएसवीए में 10.1% का योगदान देता है।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए में पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी का योगदान क्रमशः 9.24%, 0.94% और 21.09% रहा।

कुल कृषि जी.एस.वी.ए. में कृषि उपक्षेत्रों का योगदान वर्ष 2024–25

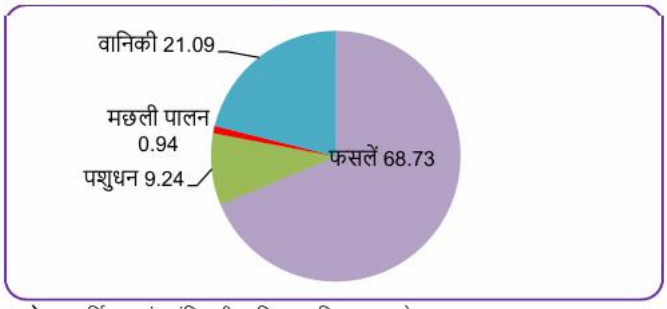

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वर्तमान मूल्यों पर 2020-21 और 2024-25 (अ.अ.) के बीच जीएसवीए में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान

वर्ष	फसलें (%)	पशुधन (%)	वानिकी एवं लॉगिंग (%)	मछली पकड़ना (%)
2023-24	9.40	1.34	3.39	0.14
2024-25 (अ.स.)	**10.10**	**1.36**	**3.10**	**0.14**

पशु

- वित्त वर्ष 2024-25 में पशुधन उप-क्षेत्र का कुल जीएसवीए में **1.36%** और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए में **9.24%** योगदान होगा तथा वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 5.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

वानिकी

- वित्त वर्ष 2024-25 में मौजूदा कीमतों पर वानिकी उप-क्षेत्र ने कुल GSVA में **3.10%** और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र GSVA में 21.09% का योगदान दिया। वित्त वर्ष 2024-25 में इसमें 4.0% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इसमें **-1.5%** की गिरावट आने का अनुमान है।

मछली पकड़ना

- वित्त वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर मत्स्य उप-क्षेत्र का कुल जीएसवीए में **0.14%** और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए में 0.94% योगदान होगा तथा वित्त वर्ष 2024-25 में इसमें 7.0% की वृद्धि होने का अनुमान है।

भूमि उपयोग का स्वरूप

- हिमाचल प्रदेश **55,673 वर्ग किलोमीटर** के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ भारत में **17वें** और विश्व में **126वें** स्थान पर है।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र में से:

- **11.49 प्रतिशत** क्षेत्र का कुल बोया गया क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है
- लगभग **24.55 प्रतिशत** क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है।
- गैर-कृषि उपयोगों के लिए भूमि का उपयोगलगभग **7.98 प्रतिशत** है,
- **परती भूमि** लगभग **1.53 प्रतिशत** है, तथा बंजर एवं अनुपयोगी भूमि **16.73 प्रतिशत** है।

भूमि उपयोग का स्वरूप

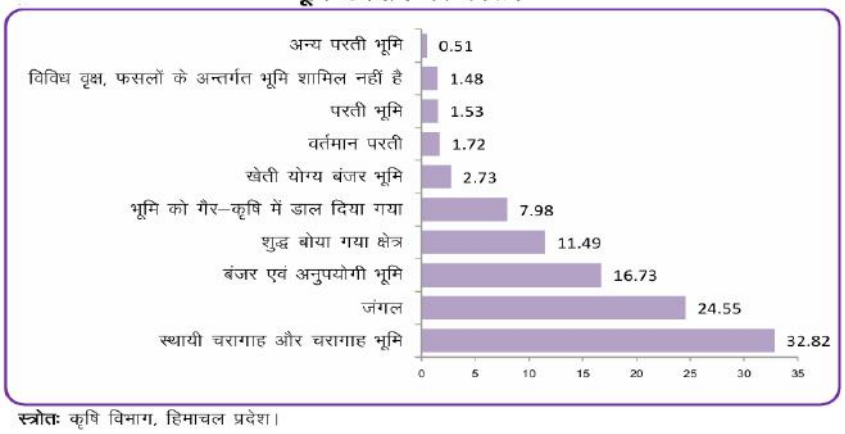

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

भूमि जोत का स्वरूप

- राज्य में कुल क्रियाशील जोतों की संख्या 9.97 लाख है, जो **9.44 लाख हेक्टेयर** क्षेत्र को कवर करती है।
- भूमि जोत का औसत आकार का क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर है।

हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का वितरण

आकार वर्ग (हेक्टेयर)	जोतों की संख्या (लाख में)	संचालित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर में)
सीमांत (1.0 से नीचे)	7.12	2.85	0.40
छोटा (1.0-2.0)	1.73	2.42	1.39
अर्ध मध्यम (2.0-4.0)	0.82	2.23	2.72
मध्यम (4.0-10.0)	0.26	1.46	5.62
बड़ा(10.0 और अधिक)	0.03	0.47	15.67
कुल	**9.97**	**9.44**	**0.95**

स्रोतः *कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार*

भूमि जोत का प्रतिशत

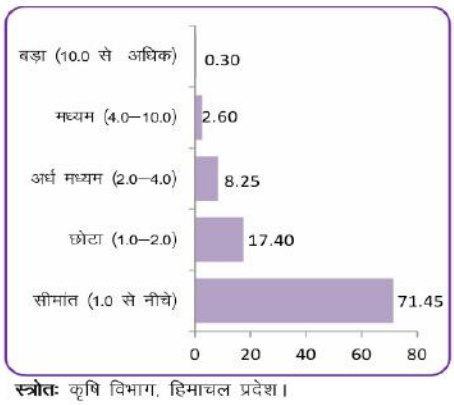

संचालित क्षेत्र का प्रतिशत

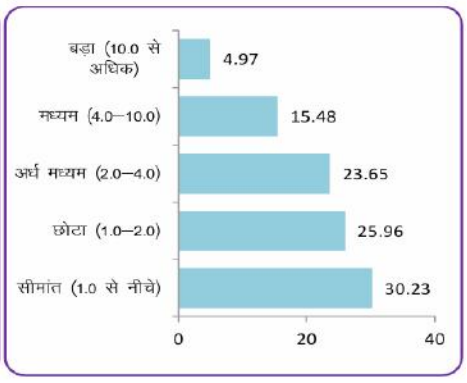

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वर्षा

- हिमाचल प्रदेश में जून से सितंबर 2024 तक 602 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा 734 मिमी से 132 मिमी कम है।
- इसी प्रकार, अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक राज्य में 50 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 83 मिमी से 33 मिमी कम है।
- 2023 में औसत वार्षिक वर्षा 1,557.2 मिमी होगी।
- राज्य में कृषि योग्य भूमि का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा वर्षा आधारित है।
- राज्य में औसतन 1,251 मिमी बारिश होती है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक बारिश होती है, उसके बाद चंबा, सिरमौर और मंडी का स्थान आता है।

सामान्य, वास्तविक वर्षा (मिमी में)

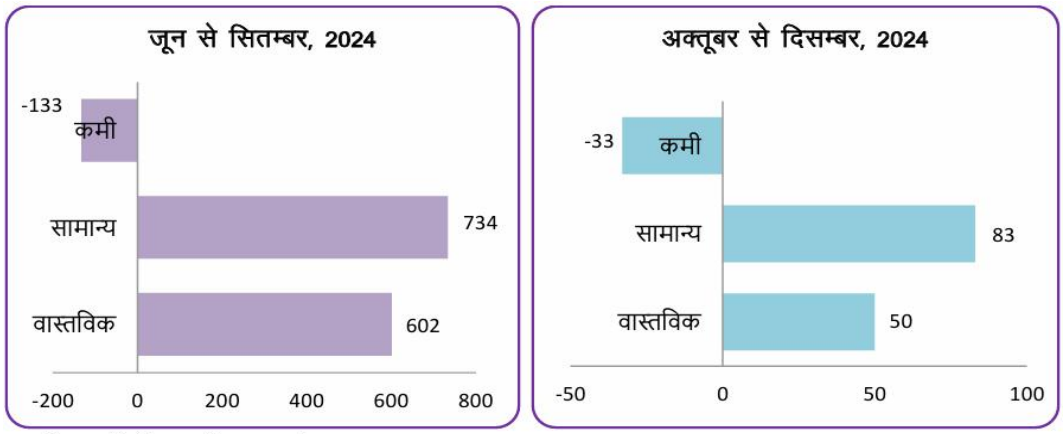

स्त्रोतः कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ: उत्पादन में रुझान

बोया गया क्षेत्र (एनएसए)

- शुद्ध बुवाई क्षेत्र (एनएसए) 527 हजार हेक्टेयर (2021-22) से मामूली रूप से बढ़कर 532 हजार हेक्टेयर (2022-23) हो गया है।
- **गेहूं, मक्का, चावल, जौ और दालें** ये प्रमुख फ़सलें हैं, जो कुल खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं।
- वर्तमान में, गेहूं (35.87 प्रतिशत) और मक्का (28.73 प्रतिशत) के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र कुल का **65 प्रतिशत** है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल फसल उत्पादन में खाद्यान्न का योगदान **41.75 प्रतिशत** रहा, जबकि वाणिज्यिक फसलों का योगदान **58.25 प्रतिशत** रहा।
- छोटे अनाज के उत्पादन में **76.15 प्रतिशत,** मक्का में **3.33 प्रतिशत** तथा गेहूं में **(-)19.76 प्रतिशत** की गिरावट आने का अनुमान है।

वर्ग	2023-24	2024-25 अनुमानित	2024-25 में वृद्धि (%) 2023-24	कुल उत्पादन में प्रतिशत योगदान 2024-25
1.कुल खाद्यान्न	1643.55	1504.35	-8.47	41.75
2.कुल वाणिज्यिक फसलें	2078.04	2099.00	1.01	58.25
कुल योग (1+2)	3721.59	3603.35	-7.46	100.00

उत्पादकता में प्रचलन

- वाणिज्यिक फसलों की ओर बढ़ते प्रचलन के कारण खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्र धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 1997-98 में जो क्षेत्र **853.88 हजार हेक्टेयर** था, वह 2023-24 में घटकर **688.69 हजार हेक्टेयर** रह गया है।

प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (मीट्रिक टन)

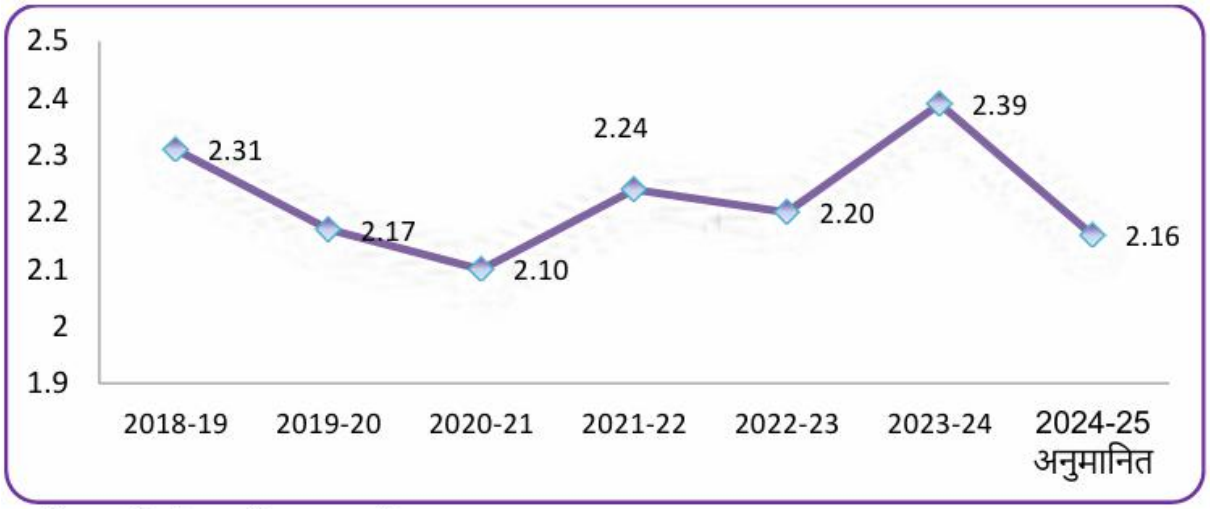

स्त्रोतः कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश।

कृषि विभाग के फार्म/विकास स्टेशन: कृषि विभाग संचालित करता है

- **20** बीज गुणन फार्म
- **3** सब्जी विकास स्टेशन
- **12** आलू विकास स्टेशन
- **1** अदरक विकास स्टेशन

उर्वरकों की खपत और सब्सिडी:

- हिमाचल प्रदेश में उर्वरक खपत का स्तर 1985-86 में **23,664 मीट्रिक टन** से बढ़कर 2023-24 में **51,470 मीट्रिक टन** हो गया है।

मृदा परीक्षण कार्यक्रम:

- हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग के पास: **11** मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, **3** उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएँ, **3** बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ, **2** जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएँ, **1** राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला, **1** जैव उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला।

सरकार की पहलें

राज्य प्रायोजित योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना (MMKSY): वर्ष 2022-23 में, एक विशेषज्ञ समूह की सलाह के आधार पर, दोहराव को रोकने और दक्षता में सुधार करने के लिए 8 समान योजनाओं को मिलाकर मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना (एमकेएसवाई) नामक एक कार्यक्रम बनाया गया है।

- **क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन योजना:** कृषि विभाग ने पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से सब्जी की खेती के लिए "क्लस्टर दृष्टिकोण" अपनाने का फैसला किया है। इसका मुख्य लक्ष्य लाभदायक सब्जी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

- **बीज गुणन श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना:** वर्तमान में, 36 विभागीय फार्म हैं जिनमें धान, माशा, सोयाबीन, गेहूं, बीज आलू और राजमा जैसी विभिन्न फसलों की खेती की जाती है।
- **प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (उर्वरक परीक्षण, मृदा परीक्षण, जैव नियंत्रण, बीज परीक्षण, जैव-उर्वरक और राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला):** हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग की निम्नलिखित प्रयोगशालाएँ हैं:
  - ✓ 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ।
  - ✓ 3 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएँ: शिमला, सुंदर नगर, हमीरपुर
  - ✓ 3 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं: सोलन, पालमपुर, मंडी
  - ✓ 2 जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएँ: पालमपुर, मंडी
  - ✓ 1 राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला: शिमला
  - ✓ 1 जैव-उर्वरक उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला: शिमला

2. मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (MMKUSY) :

- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना को लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹40.00 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें बंदरों जैसे जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए बाड़बंदी भी शामिल है।
- इस योजना के तहत किसानों को सोलर फेंसिंग, इंटरलिंक चेन फेंसिंग, कम्पोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग और कांटेदार तार फेंसिंग लगाने के लिए **70% सब्सिडी** मिलती है।

3. हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना (एचपीसीडीपी) – जेआईसीए चरण II

- चरण-II जेआईसीए ओडीए परियोजना को 9 वर्ष की अवधि में **₹1010.13 करोड़** के कुल परिव्यय के साथ हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा।
- भारत सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के बीच 26 मार्च 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **₹50.00 करोड़** का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं:
  - ✓ बुनियादी ढांचे का विकासलघु एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां, कृषि पहुंच सड़कें, सौर/विद्युत बाड़ लगाना।
  - ✓ किसानों का समर्थनइंजीनियरिंग एवं कृषि कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, सब्जी संवर्धन, बीज उत्पादन और प्रदर्शन।
  - ✓ मूल्य श्रृंखला एवं बाजार विकास
  - ✓ संस्थागत विकास

4. मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

- 2015-16 में शुरू की गई यह योजना कृषि मशीनरी दुर्घटनाओं के कारण चोट लगने या मृत्यु होने पर किसानों और कृषि मजदूरों को बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- योजना के अंतर्गत मुआवजा:
  - ✓ **₹10,000 से ₹40,000** आंशिक विच्छेदन के लिए।
  - ✓ **₹1.00 लाख** स्थायी विकलांगता के लिए।
  - ✓ **₹3.00 लाख** मौत के लिए.

5. कृषि विपणन:

- राज्य में कृषि विपणन हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन विकास और विनियमन अधिनियम, 2005 द्वारा शासित है।

- हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचपीएसएएमबी) और 10 जिला कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी) 71 मंडियों के माध्यम से कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिनमें 10 एपीएमसी मंडियां और 61 उप-मंडी मंडियां शामिल हैं।

6. शून्य बजट प्राकृतिक खेती (PKKKY-ZBNF) के अंतर्गत प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना

- पीकेकेकेवाई पहल खेती की लागत को कम करने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) को बढ़ावा देती है
- कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करना।
- इसके बजाय, कीटनाशकों/कीटनाशकों के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग जैव-कीटनाशकों और जैव-कीटनाशकों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।
- अब तक 2,19,383 किसानों ने 37,599 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को अपनाया है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्त 5,450 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए ₹15.00 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

7. जल से कृषि को बल योजना

- सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए "जल से कृषि को बल" परियोजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत चेक डैम और तालाब बनाए जाते हैं।
- इस योजना के तहत समुदाय आधारित मामूली जल-बचत प्रणाली को लागू करने की पूरी लागत सरकार वहन करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **₹8.00 करोड़** का बजट प्रावधान किया गया है।

8. प्रवाह सिंचाई योजना

- इस योजना के अंतर्गत कुहलों के स्रोत स्थान के नवीनीकरण के अलावा, सामान्य क्षेत्र में कुहलों को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया जा रहा है।
- सरकार समुदाय आधारित कार्य पर होने वाले व्यय का 100% वहन करती है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार सिंचाई प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों द्वारा बोरवेल और उथले कुओं के निर्माण के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए **₹8.00 करोड़** का बजट प्रावधान आवंटित किया गया है।

9. राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम:

- इस वर्ष सरकार अतिरिक्त कृषि उपकरणों जैसे चारा काटने की मशीन, मक्का छिलका हटाने की मशीन, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, टूलकिट, स्टेनलेस स्टील हल, मोल्ड बोर्ड हल, बीज डिब्बे, पानी के टब आदि पर 40% से 50% तक सब्सिडी दे रही है।

10. पोषक अनाजों को बढ़ावा

- बाजरे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYOM-2023) के रूप में मनाया जाएगा।
- किसानों को बाजरे की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का लक्ष्य उन्हें तकनीकी जानकारी और बाजार संपर्क के माध्यम से जागरूक करना, प्रोत्साहित करना और समर्थन देना है।

बाजरे की खेती को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित घटक प्रस्तावित किए गए हैं:

1. सब्सिडी पर बीज का वितरण
2. मिनिकिट्स का वितरण

3. बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन
4. किसानों की क्षमता निर्माणउत्पादन, कटाई के बाद की तकनीक और पोषण सुरक्षा में
5. बाजरे की फार्म गेट बिक्री (कैनोपी के माध्यम से)

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए **₹1.51 करोड़** का बजट प्रावधान आवंटित किया गया है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई रफ़्तार): यह योजना राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विस्तार में सहायक है।

मुख्य उद्देश्य:

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना।
- कृषि से संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन के लिए राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
- कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिला और राज्य स्तर पर कृषि योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं, फसलों और प्राथमिकताओं पर ध्यान दें।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए ₹16.23 करोड़ का बजट आवंटन स्वीकृत किया गया है।
- **कार्यान्वयन भागीदार:** विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचपीएसएएमबी), तथा उद्योग एवं बागवानी विभाग।

2. राष्ट्रीय बांस मिशन

- राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य गैर-वनीय सरकारी और निजी भूमि पर बांस के बागानों का विस्तार करना है, ताकि कृषि आय में वृद्धि हो, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़े और उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध हो सके।
- हिमाचल प्रदेश के कृषि निदेशक राज्य मिशन निदेशक हैं, जबकि कृषि विभाग एंकरिंग विभाग है।
- **प्रमुख हितधारकों:** वानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय।

3. फसल बीमा योजना

- खरीफ 2016 से, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर-डब्ल्यूबीसीआईएस) लागू की गई है।
- निवारक रोपण, कटाई के बाद की हानि, स्थानीय आपदाओं और खड़ी फसल की हानि (बुवाई से कटाई तक) से होने वाली कृषि हानि के जोखिमों को कवर करता है।
- मौसम संबंधी घटनाओं जैसे वर्षा, गर्मी, आर्द्रता, ओलावृष्टि और सूखे के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।
- स्वैच्छिक ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों किसानों के लिएखरीफ 2020 से.
- प्रीमियम सब्सिडी के राज्य हिस्से के रूप में 2024-25 के लिए **₹6.00 करोड़** का बजट प्रावधान किया गया है।
- पीएमएफबीवाई के अंतर्गत रबी सीजन के दौरान गेहूं और जौ की फसलों को कवर किया जाता है, जबकि खरीफ सीजन के दौरान मक्का और धान की फसलों को कवर किया जाता है।
- पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर-डब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत खरीफ मौसम के दौरान छह फसलों- आलू, अदरक, टमाटर, मटर, गोभी और फूलगोभी को कवर किया जाता है, जबकि रबी मौसम के दौरान आलू, टमाटर, लहसुन और शिमला मिर्च को कवर किया जाता है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर-डब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत खरीफ 2024 सीजन के दौरान **1,08,160 किसानों** को कवर किया गया है, और रबी 2024-25 सीजन के दौरान **1,12,055 किसानों** को कवर किया गया है।

.

4. विस्तार सुधार/कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन

- संशोधित विस्तार सुधार योजना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के तहत विस्तार तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न योजनाओं में हस्तक्षेप को समन्वित करने के लिए शुरू की गई थी।
- इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यपालन शामिल हैं।
- किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और कृषक पुरस्कार योजना के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए **₹18.89 करोड़** का बजट प्रावधान आवंटित किया गया है।

5. बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन (एसएमएसपी)

- इस योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा किसानों को गेहूं के बीज वितरित किए जाएंगे।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए **₹7.78 करोड़** का बजट आवंटन किया गया है।

6. कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम)

- यह योजना किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत मशीनरी और लिंग-संवेदनशील उपकरणों तक पहुंच प्रदान करती है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **कृषि उपकरणों पर सब्सिडी:**
  - ✓ **50% सब्सिडी** एससी/एसटी, लघु एवं सीमांत, तथा महिला किसानों के लिए।
  - ✓ **40% सब्सिडी** अन्य किसानों के लिए.
- **पात्र उपकरण:** ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, क्रॉप रीपर और रोटावेटर।
- **कस्टम हायरिंग सेंटर** मशीनरी तक साझा पहुंच को सुगम बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 1000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कार्यान्वयन हेतु **₹27.78 करोड़** का बजट आवंटन किया गया है।

7. कृषि वानिकी

- जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की संवेदनशीलता को कम करने के लिए, भारत सरकार ने फसलों और फसल प्रणालियों के साथ-साथ "हर मेड़ पर पेड़" के आदर्श वाक्य के तहत कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी योजना शुरू की।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस पहल के लिए **₹1.67 करोड़** का बजट प्रावधान आवंटित किया गया है।

8. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) का उद्देश्य जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

ज़रूरी भाग:

- ✓ वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
- ✓ कृषि विकास पहल

- ✓ जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ कृषि: निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग (सीसीएसएएमएमएन)
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा इसके लिए **₹7.77 करोड़** का बजट आवंटन किया गया है।

9. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

- एनएमएसए के तहत, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का उद्देश्य समूहों में किसानों को संगठित करना है ताकि वे अपने जैविक उत्पादों को प्रमाणित कर सकें और जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे सकें।खेती.

ज़रूरी भाग:

- ✓ क्लस्टर निर्माण एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रबंधन लागत
- ✓ जैविक/प्राकृतिक कृषि इनपुट पर किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रोत्साहन
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसके लिए कुल **₹8.29 करोड़ (केंद्र और राज्य)** का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) "हर खेत को पानी" के आदर्श वाक्य के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जो किसानों के लिए अंत-से-अंत सिंचाई समाधान सुनिश्चित करती है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए **22.22 करोड़ रुपये** का बजट प्रावधान आवंटित किया गया है।

11. कृषि पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (अब डिजिटल इंडिया मिशन)

- भारत सरकार ने कृषि पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत 'उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए कृषि में परिवर्तन' पहल शुरू की है, जिसे अब डिजिटल कृषि मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जो कृषोन्ति योजना का एक घटक है।
- इस मिशन के तहत देश भर में किसान डेटाबेस बनाया जाएगा। नियत प्रत्येक किसान को आधार की तरह एक विशिष्ट किसान आईडी दी जाएगी। इस विशिष्ट आईडी में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:
  - ✓ कृषि भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी
  - ✓ प्रत्येक कृषि भूमि के जीपीएस निर्देशांक
  - ✓ प्रत्येक भूखंड पर उगाई जाने वाली फसलें
  - ✓ किसान को मिलने वाले लाभ
- इसके अतिरिक्त, आधार यूपीआई के समान एक एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यूएफएसआई) को एग्रीस्टैक द्वारा विकसित और विनियमित किया जाएगा, जिससे कृषि में निर्बाध डिजिटल एकीकरण और शासन सुनिश्चित होगा।
- यह केंद्रीकृत, अंतर-संचालनीय डिजिटल अवसंरचनासक्षमइससे भारत भर के व्यवसायों को एकीकृत कृषि-बाज़ार तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- हिमाचल प्रदेश में डिजिटल मिशन कृषि डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और राज्य के कृषि परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए डिजिटल कृषि घटक के अंतर्गत **22.60 करोड़** रुपये का वार्षिक आवंटन (केंद्रीय हिस्सा) स्वीकृत किया गया है।

12. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम-कुसुम)

- भारत सरकार ने सुनिश्चित सिंचाई सुनिश्चित करने, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने और सौर पीवी पंपों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली का लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करने के लिए पीएम-कुसुम योजना शुरू की है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **वित्तीय सहायता:**
  - ✓ **85% सब्सिडी** छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए
  - ✓ **80% सब्सिडी** मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक आधारित दोनों स्थापनाएं)
- **सौर ऊर्जा चालित सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना** पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करना।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार ने ₹3.13 करोड़ जारी किए हैं, जिनमें से ₹1.62 करोड़ का उपयोग दिसंबर 2024 तक किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचपीएसएएमबी) और कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसीएस)

1. **एचपीएसएएमबी,** एपीएमसी के माध्यम से कृषि विपणन बुनियादी ढांचे की देखरेख करने वाली शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है, तथा कृषि और बागवानी फसलों के व्यापार, ग्रेडिंग और भंडारण के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है।
2. **79 थोक बाज़ारों** का संचालन और प्रबंधनफलों, सब्जियों और खाद्यान्नों के लिए, जिनमें शामिल हैं: 10 प्रमुख बाजार यार्ड (पीएमवाई), 69 उप बाजार यार्ड (एसएमवाई), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार (ई-एनएएम) के साथ एकीकृत 38 बाजार।
3. पूर्ण निर्माणबंद्रोल (कुल्लू), शिलारू और टूटू (शिमला), जच (मंडी), और परवाणू (सोलन) में थोक बाजार। मेहंदली, थर्माटी (शिमला) और पतलीकुहल (कुल्लू) में बाजारों का काम 85% पूरा हो गया है। लाहौल और स्पीति में पहला थोक बाजार शुरू किया गया (चरण 1 का काम प्रदान किया गया)।
4. सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और सोलन जिलों में उन्नत बाजार यार्ड।
5. एपीएमसी ने **41.74 लाख क्विंटल** के व्यापार को सुगम बनाया फलों और सब्जियों का वित्त वर्ष 2024-25 में (दिसंबर 2024 तक)।
6. सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन (निश्चित वजन) प्रणाली को हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श बैठकों के बाद 23 अप्रैल, 2024 को हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक तौर पर लागू किया गया।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा एपीएमसी शिमला एवं किन्नौर कृषि उपज के संरक्षण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए पराला और खड़ापत्थर में एक एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना स्थापित कर रहे हैं।
8. हिमाचल प्रदेश में **26 मंडियों** को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के साथ एकीकृत किया गया है।
9. 31 दिसंबर 2024 तक राज्य में ई-नाम पोर्टल पर कुल **1,25,517 किसान** पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, ई-नाम पोर्टल पर 123 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत हैं
10. किसानों और अन्य हितधारकों को बाजार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के 50 बाजार नोड्स को agmarknet.gov.in से जोड़ा गया है। पोर्टल.

बागवानी

- हिमाचल प्रदेश में बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 1950-51 के **792 हेक्टेयर** से बढ़कर 2023-24 में **2,36,950 हेक्टेयर** हो गया है।
- हिमाचल प्रदेश में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 1950-51 में 792 हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में **2,36,950 हेक्टेयर** हो गया। राज्य में बागवानी क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र (8,91,926 हेक्टेयर) का **26 प्रतिशत** योगदान देता है, जबकि वर्ष 2023-24 में (सब्जियों, कृषि फसलों का मूल्य **₹16,076 करोड़** है और बागवानी फसलों का मूल्य **₹4,461.59 करोड** का योगदान देता है) उपज के मूल्य के संदर्भ में यह क्षेत्र **22 प्रतिशत** योगदान देता है।
- 2007-08 और 2023-24 के बीच बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में **17.60 प्रतिशत** की वृद्धि हुई है।
- **सेब** हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फल फसल है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान फल फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल का **49.06 प्रतिशत** और कुल फल उत्पादन का **79.51 प्रतिशत** है।

- सेब की खेती का क्षेत्रफल 1950-51 में **400 हेक्टेयर** से बढ़कर 1960-61 में 3,025 हेक्टेयर और वित्त वर्ष 2023-24 में **1,16,240 हेक्टेयर** हो गया है।
- वित्त वर्ष 2007-08 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच सेब के अंतर्गत क्षेत्रफल में **21.4 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई है।
- शीतोष्ण फलों (सेब के अलावा) का क्षेत्रफल 1960-61 में 900 हेक्टेयर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में **27,373 हेक्टेयर** हो गया है।
- **मेवे और सूखे मेवे** के अंतर्गत क्षेत्रफल 1960-61 में 231 हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 9,277 हेक्टेयर हो जाएगा।
- **खट्टे फल** के अंतर्गत क्षेत्रफल 1960-61 में 1,225 हेक्टेयर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में **26,432 हेक्टेयर** हो गया है, जबकि अन्य उपोष्णकटिबंधीय फल 1960-61 में 623 हेक्टेयर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 57,628 हेक्टेयर हो गए हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 में कुल फल उत्पादन 6.37 लाख टन था। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर, 2024 तक कुल फल उत्पादन 5.92 लाख टन है।
- **1295.61 हेक्टेयर** क्षेत्र को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाया गया और **3.31 लाख** विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे वितरित किए गए।

बागवानी फसल का फलवार योगदान (2023-24)

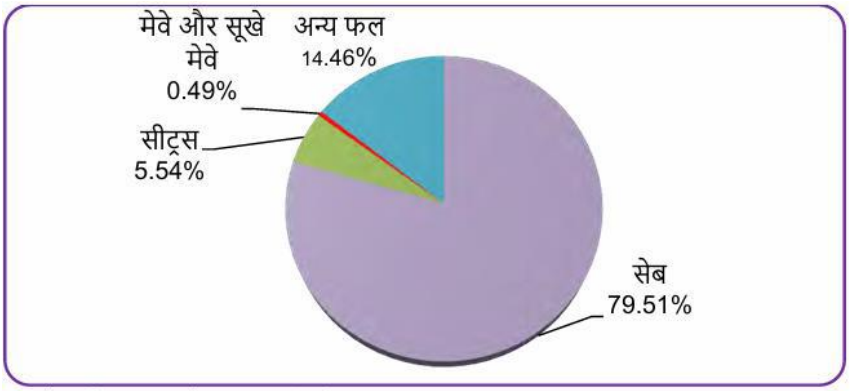

स्त्रोतः हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग।

कृषि तंत्र उप-मिशन (एसएमएएम)

- एसएमएएम के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और औजार खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
- राज्य कृषि विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बागवानी विभाग को ₹1.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई, जिसमें से ₹56.10 लाख व्यय किए गए, जिससे 31 दिसंबर 2024 तक 302 किसान लाभान्वित हुए।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 45.18 करोड़ रुपये मूल्य में **37,653.42 मीट्रिक टन** के सी-ग्रेड सेब फल की खरीद की गई।
- बागवानी में विविधता लाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में **285.72 हेक्टेयर** भूमि पर व्यावसायिक फूलों की खेती की जाएगी, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक **78.81 हेक्टेयर** भूमि पर फूलों की संरक्षित खेती की जाएगी।
- फूलों के उत्पादन और विपणन के लिए बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, शिमला और सोलन जिलों में 8 किसान सहकारी समितियां कार्यरत हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के तहत **1,549.92 मीट्रिक टन शहद** का उत्पादन किया गया।

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मशरूम के लिए 500.63 मीट्रिक टन पाश्चुरीकृत खाद का उत्पादन किया गया और सोलन, रामपुर, बजौरा और पालमपुर में विभागीय कार्यालयों के माध्यम से वितरित किया गया, जबकि 8,627.17 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन किया गया।

बागवानी के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएँ

राज्य योजनाएँ

1. बागवानी विकास योजना (एचडीएस):

- एच.डी.एस. के हिस्से के रूप में, मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बागवानों को सब्सिडी पर 1,005 पावर स्प्रेयर, 2,464 पावर टिलर (8 ब्रेक हॉर्स पावर) और 163 पावर टिलर (>8 ब्रेक हॉर्स पावर) वितरित किए गए।

2. ओलावृष्टि रोधी जाल योजना:

- ओलावृष्टि से फलों की फसलों को बचाने के लिए एंटी-हेल नेट लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। 31 दिसंबर 2024 तक 12.42 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 1,594 किसानों को लाभ मिला है।

3. मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना

- इस योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को ₹1.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से अब तक ₹26.00 लाख का उपयोग किया जा चुका है, जिससे 4 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 22 किसानों को लाभ मिला है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच):

- केन्द्र प्रायोजित योजना, एमआईडीएच का क्रियान्वयन राज्य बागवानी विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी के सभी उप-क्षेत्रों का व्यापक विकास करना है ताकि बागवानी उत्पादकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराई जा सके।
- मिशन विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए किसानों को 40-85 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करता है।
- भारत सरकार द्वारा ₹37.60 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है और ₹15.00 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
- मिशन के तहत 2003-04 से दिसंबर 2024 तक कुल 2,69,060 किसान लाभान्वित हुए हैं।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी):

- **पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी** यह एक अनूठी परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में 2015-16 से क्रियान्वित की जा रही है।
- यह योजना किसानों के लाभ के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करके फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।
- किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार टॉप-अप सब्सिडी प्रदान कर रही है।
- पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी दिशा-निर्देशों को 2017-18 में संशोधित किया गया था, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए **55 प्रतिशत** और बड़े किसानों के लिए **45 प्रतिशत सब्सिडी** का प्रावधान शामिल किया गया था। राज्य अतिरिक्त 25 प्रतिशत हिस्सा प्रदान कर रहा है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए **80 प्रतिशत** सब्सिडी संभव हो गई है।
- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी हेतु **687.76 लाख** रुपए मंजूर किए हैं।
- अब तक, **370.42 हेक्टेयर** क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है, जिससे 31 दिसंबर, 2024 तक 586 किसान लाभान्वित होंगे।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएआर)

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** का उद्देश्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना तथा बागवानी क्षेत्र में योजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन में लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक 150 किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया।

4. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर-डब्ल्यूबीसीआईएस)

- हिमाचल प्रदेश में, मौसम आधारित फसल बीमा पहली बार रबी 2009-10 के दौरान सेब की फसलों के लिए 6 ब्लॉकों और आम की फसलों के लिए 4 ब्लॉकों में शुरू किया गया था।
- इस तकनीक का प्रयोग अब सेब के लिए 36 ब्लॉकों, आम के लिए 56 ब्लॉकों, बेर के लिए 29 ब्लॉकों, आड़ू के लिए 16 ब्लॉकों, खट्टे फलों के लिए 58 ब्लॉकों, अनार के लिए 21 ब्लॉकों, लीची के लिए 38 ब्लॉकों और अमरूद के लिए 22 ब्लॉकों में किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, सेब, लीची और अनार को ओलावृष्टि से फलों की फसलों की सुरक्षा के लिए ऐड-ऑन कवर के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 2016-17 से इस कार्यक्रम का नाम बदलकर R-WBCIS कर दिया गया। 2023 में बीमा राशि को संशोधित किया गया और बोली प्रणाली लागू की गई।
- रबी सीजन 2023-24 के लिए, 66,289 किसानों को सेब, बेर, आड़ू, आम, नींबू, लीची, अमरूद और अनार की फसलों के लिए आर-डब्ल्यूबीसीआईएस के तहत कवर किया गया है।
- राज्य सरकार ने केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 हिस्सेदारी पैटर्न के तहत दावा देनदारियों को निपटाने के लिए राज्य के हिस्से के रूप में **₹20.00 करोड़** की प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान किया है।

हिमाचल प्रदेश विपणन निगम (एचपीएमसी)

- 1974 में स्थापित एचपीएमसी एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम है जो ताजे फलों और सब्जियों के विपणन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- 2023-24 के दौरान, एचपीएमसी ने ₹124.03 करोड़ का कुल कारोबार दर्ज किया।

राज्य में आम, सेब और खट्टे फलों की फसलों को समर्थन मूल्य पर बढ़ावा

क्र.सं.	फल का नाम	अधिप्राप्ति मूल्य (₹ प्रति किग्रा.)
1	आम (ग्राफ्टेड किस्में)	12.00
2	आम (सीडिंग किस्में)	12.00
3	आम अचारी (कच्चा)	12.00
4	सेब	12.00
5	किन्नू, माल्टा और संतरा (बी ग्रेड)	12.00
6	किन्नू, माल्टा और संतरा (सी ग्रेड)	12.00
7	गलगल (सभी ग्रेड)	12.00

- एचपीएमसी जिला शिमला के सेब उत्पादक क्षेत्रों में 4 सीए स्टोर सफलतापूर्वक संचालित कर रही है, जो जरोल टिक्कर (कोटगढ़) में स्थित हैं, जिनकी क्षमता 640 मीट्रिक टन, गुम्मा (कोटखाई) में 640 मीट्रिक टन, ओडी (कुमारसैन) में 700 मीट्रिक टन तथा रोहड़ू में 700 मीट्रिक टन है, जो सामूहिक रूप से कुल 2680 मीट्रिक टन सेब उत्पादन भंडारण करने में सक्षम हैं।
- एचपीएमसी ने हमीरपुर जिले के नादौन में एक आधुनिक सब्जी पैक हाउस और कोल्ड स्टोर स्थापित किया है, तथा बिलासपुर जिले के घुमारवीं में फलों, सब्जियों, फूलों और पाक-कला संबंधी जड़ी-बूटियों की पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए

कोल्ड रूम के साथ एक अन्य पैक हाउस की स्थापना की है। दोनों सुविधाओं के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एपीडा) से 7.89 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

- परवाणू में एप्पल जूस कंसन्ट्रेट (एजेसी) संयंत्र के उन्नयन के लिए एपीडा से **8.00 करोड़** रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ।
- उन्नत संयंत्र ने 2018 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त, एचपीएमसी एफपीपी जरोल (सुंदरनगर) और एफपीपी पराला (ठियोग) में भी एजेसी का उत्पादन कर रही है।
- 2024 सीज़न में, एचपीएमसी ने पराला, परवाणू और जारोल में अपने 3 फल प्रसंस्करण संयंत्रों के माध्यम से 2000 मीट्रिक टन का अपना अब तक का उच्चतम एजेसी उत्पादन हासिल किया है।
- एचपीएमसी ने एफपीपी परवाणू में एप्पल साइडर के निर्माण के लिए मेसर्स पीएच4 के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, मेसर्स माउंटेन बैरल के सहयोग से एफपीपी जारोल में रेड वाइन और अन्य फलों की वाइन का निर्माण किया जाता है।
- एचपीएमसी विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी) के माध्यम से राज्य में उत्पादित विभिन्न फलों की ग्रेडिंग, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए अपनी मौजूदा क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है।
- सीए स्टोर्स की कुल भंडारण क्षमता को मौजूदा 2,680 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7,328 मीट्रिक टन करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, नए सीए स्टोर्स भी स्थापित किए गए हैं।
- एचपीएमसी ने एचपीएचडीपी के अंतर्गत रिकांगपिओ, जिला किन्नौर और चच्योट, जिला मंडी में नए सीए स्टोर स्थापित किए हैं, जिनकी भंडारण क्षमता क्रमशः 250 मीट्रिक टन और 500 मीट्रिक टन है।
- टुटुपानी (शिमला), रोहडू (शिमला), गियाबोंग (किन्नौर) और चच्योट (मंडी) में नए ग्रेडिंग और पैकिंग हाउस स्थापित किए गए हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य अनार विकास परियोजना के अंतर्गत भुंतर (कुल्लू) में अनार ग्रेडिंग एवं पैकिंग हाउस की स्थापना की गई है।
- बागवानी विकास परियोजना के तहत पराला में एक आधुनिक एजेसी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन सेब को कुचलने की है। इस संयंत्र में एक वाइनरी भी है, जिसकी वाइन उत्पादन क्षमता 1,00,000 लीटर प्रति वर्ष है।
- एचपीएमसी ने अपने पराला एफपीपी के लिए प्लास्टिक (पीवीसी) क्रेटों का उपयोग करके एमआईएस के तहत सेब की खरीद भी शुरू कर दी है, जिससे एजेसी उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उपज में वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वित्त वर्ष 2024-25 (अग्रिम अनुमान - AE) में, वर्तमान मूल्यों पर GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत बढ़ा है?

A) 45% B) 50%
C) 53% D) 60%

2. सूची I (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप-क्षेत्र) को सूची II (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र GSVA में उनका योगदान) के साथ सुमेलित करें।

सूची I (उप-क्षेत्र)	सूची II (योगदान %)
(A) फसल	(1) 9.24%
(B) पशुधन	(2) 21.09%
(C) मत्स्य पालन	(3) 68.73%
(D) वानिकी	(4) 0.94%

A) A-1, B-2, C-3, D-4 B) A-3, B-1, C-4, D-2
C) A-2, B-3, C-1, D-4 D) A-3, B-4, C-1, D-2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन I: भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्यों में 17वें तथा विश्व में 126वें स्थान पर है, जो 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

कथन II: हिमाचल प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11.49% है।

निम्न में से कौन सा सही है?

A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं,
B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सत्य है।

4. सूची I (भूमि जोत का आकार वर्ग) को सूची II (हेक्टेयर में जोत का औसत आकार) के साथ सुमेलित करें और गलत जोड़ी की पहचान करें:

सूची I (आकार वर्ग - हेक्टेयर)	सूची II (औसत जोत आकार - हेक्टेयर)
1. सीमांत	0.40
2. छोटा	1.39
3. अर्ध-मध्यम	2.72
4. मध्यम	4.50

उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत है?
A) 1 और 2 B) 2 और 3
C) 3 और 4 D) केवल 4

5. हिमाचल प्रदेश में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शुद्ध बुवाई क्षेत्र (एनएसए) मामूली रूप से बढ़कर 532 हजार हेक्टेयर (2022-23) हो गया है।
2. गेहूं, मक्का, चावल, जौ और दालें प्रमुख फसलें हैं, जो कुल खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 80 प्रतिशत है।
3. गेहूं और मक्का के अंतर्गत खेती का क्षेत्रफल कुल खेती योग्य क्षेत्रफल का 75 प्रतिशत है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?
A) केवल 1 B) केवल 2
C) केवल 3 D) 1 और 3

6. हिमाचल प्रदेश में लघु बाजरा और बाजरा का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है:
A) 56.25% B) 66.10%
C) 76.15% D) 86.50%

7. मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (MMKUSY) के अंतर्गत किसानों को सोलर लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती हैबाड़ लगाना ?
A) 50% B) 60%
C) 70% D) 80%

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. इस योजना का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना है।
2. यह राज्यों को कृषि से संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन में लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करता है।
3. यह योजना हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग, एचपीएसएएमबी तथा उद्योग एवं बागवानी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
4. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹20.50 करोड़ का बजट आवंटन स्वीकृत किया गया है।
A) 1, 2, और 3 B) 2, 3, और 4
C) 1, 3, और 4 D) 1, 2, 3 और 4

9. सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन (निश्चित वजन) प्रणाली को हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया?
A) 15 मार्च, 2024 B) 23 अप्रैल, 2024
C) 10 मई, 2024 D) 5 जून, 2024

10. हिमाचल प्रदेश में कृषि विपणन और बुनियादी ढांचे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. हिमाचल प्रदेश की 26 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के साथ एकीकृत किया गया है।
2. एचपीएमसी ने नादौन (हमीरपुर) में आधुनिक सब्जी पैक हाउस और कोल्ड स्टोर स्थापित किया है
3. हिमाचल प्रदेश राज्य अनार विकास परियोजना के अंतर्गत पांवटा साहिब (सिरमौर) में अनार ग्रेडिंग एवं पैकिंग हाउस की स्थापना की गई है।
A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3 D) 1, 2, और 3

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	B	D	C	C	C	A	B	A

अध्याय 7
पशुपालन

मुख्य अंश:

- हिमाचल प्रदेश में संकर नस्ल के मवेशियों की आबादी 2012 की जनगणना की तुलना में 2019 की पशुधन जनगणना में 8.64% बढ़ी है। अब राज्य में कुल मवेशियों की आबादी में संकर नस्ल के मवेशियों की हिस्सेदारी **58.48%** है
- 2019 पशुधन जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में भारत के कुल पशुधन का **0.82%** और कुल मुर्गी आबादी का **0.16%** हिस्सा है।
- राज्य देश भर में मवेशी जनसंख्या में 20वें तथा मुर्गी जनसंख्या में 27वें स्थान पर है।
- हिमाचल प्रदेश में पशुधन से सकल उत्पादन मूल्य (जीवीओ) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2018-19 में ₹5,496 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹7,326 करोड़ हो गया है (अग्रिम अनुमान)।
- **हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 3.6% की सीएजीआर से बढ़कर अनुमानित 17.50 लाख टन हो गया है।**
- वित्त वर्ष 2024-25 में 1,10,136 भेड़ों की ऊन काटी गई, जिससे 600 प्रजनक परिवार लाभान्वित हुए।
- **हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड** में 1,148 दुग्ध सहकारी समितियां हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या 47,905 है।
- हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन 2012-13 और 2023-24 के बीच दोगुना से अधिक हो गया, जिसमें 3.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई।

परिचय-पशुपालन

हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका में योगदान देता है।

पशुधन जनसंख्या

- **बीस में से उन्नीस घरों** में किसी न किसी तौर पर पशुधन हैं, जिनमें गाय और भैंस सबसे आम हैं।
- पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में भारत के कुल पशुधन का 0.82% और कुल मुर्गी पालन का 0.16% हिस्सा है, जो देश में मवेशियों की संख्या में 20वें और मुर्गी पालन की संख्या में 27वें स्थान पर है।
- राज्य में पशुधन की कुल संख्या 44.13 लाख है, जिसमें मुर्गीपालन की संख्या 13.42 लाख है।
- **मवेशी पशुधन आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं** जो 18.28 लाख हैं, इसके बाद बकरियां, भेड़ और भैंसें हैं।
- संकर नस्ल के मवेशियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, 2012 की तुलना में 2019 की जनगणना में 8.64% की वृद्धि हुई है।
- **संकर नस्ल के मवेशी** अब कुल मवेशी आबादी का 58.48% हिस्सा है।

2019 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रजातिवार पशुधन जनसंख्या

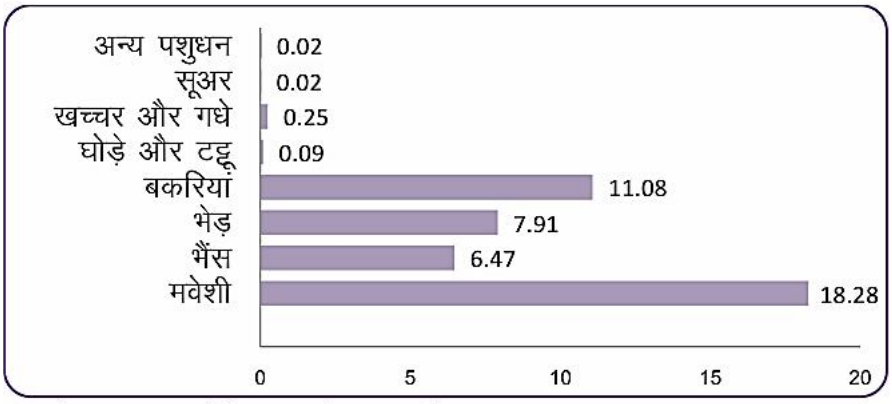

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता

हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन वित्त वर्ष 2012-13 में 11.39 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित 17.50 लाख टन हो गया है, जो 3.6% की सीएजीआर से बढ़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश में कुल दूध उत्पादन में लगभग 71% हिस्सा गाय के दूध का है, जबकि 26% भैंस और 3% हिस्सा बकरी के दूध का है।

हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2012-13 में 455 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 698 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है।

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)
2022-23	16.17	2.4	650
2023-24	17.49	8.20	698
2024-25 (अनुमानित)	17.50	0.10	698

मांस और मुर्गी उत्पादन

- **अंडा उत्पादन** हिमाचल प्रदेश में यह संख्या 10.50 लाख (2011-12) से मामूली रूप से घटकर 9.60 लाख (2024-25) हो गई है।
- राज्य में मांस उत्पादन 39.66 हजार टन (2011-12) से बढ़कर 55.50 हजार टन (2024-25) हो गया है।

पशुधन क्षेत्र का विकास

- **पशुपालन** कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है।
- यह वित्त वर्ष 2024-25 में कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) का 1.36% और कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए का 9.24% योगदान देता है।
- पशुधन से उत्पादन का सकल मूल्य (जीवीओ) लगातार बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2018-19 में ₹5,496 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर ₹7,326 करोड़ हो गया है (अग्रिम अनुमान - एई)।

हिमाचल प्रदेश में पशुधन जीवीओ का ब्यौरा (2024-25)

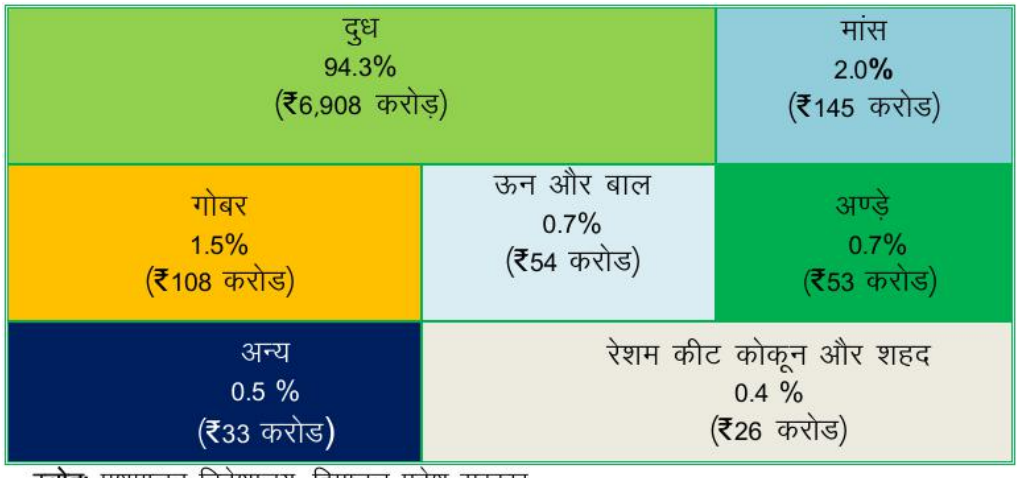

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

- पशुधन क्षेत्र में 2024-25 में 5.2% की वृद्धि देखी गई (अग्रिम अनुमान - AE)।
- 2018-19 से 2024-25 तक, पशुधन क्षेत्र में 5.7% की औसत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि फसल क्षेत्र में (-) 2.4% की वृद्धि हुई।

सरकारी पहल:

सरकारी पशुधन विकास रणनीतियों में शामिल हैं:

1. पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
2. पशु विकास
3. भेड़ प्रजनन और ऊन का विकास
4. पोल्ट्री विकास
5. आहार और चारा विकास
6. पशु चिकित्सा शिक्षा
7. पशुधन जनगणना

पशु स्वास्थ्य संस्थान

संख्या	संस्थान के प्रकार	संस्थान की संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय	3
3	पॉलीक्लिनिक	10
4	उपमण्डलीय पशु चिकित्सालय	60
5	पशु चिकित्सालय	362
6	केन्द्रीय पशु औषधालय	30
7	पशु निरीक्षण चौकियां	6
8	पशु औषधालय	1762
	कुल	**2234**

स्त्रोतः पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

- सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), ताल (हमीरपुर) और करछम (किन्नौर) राज्य में उन्नत भेड़ों की आपूर्ति कर रही हैं।
- मंडी जिले के नगवाईं में राम केंद्र कार्यरत है, जहां उन्नत मेढ़ों का पालन-पोषण किया जाता है तथा उन्हें संकर प्रजनन के लिए प्रजनकों को आपूर्ति की जाती है।
- चरवाहों के कल्याण के लिए **9 भेड़ एवं ऊन विस्तार केंद्र** कार्य कर रहे हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऊन उत्पादन 1,500 टन होने की उम्मीद है।
- अंगोरा ऊन के उत्पादन के लिए कंदवारी (कांगड़ा) और नगवाईं (मंडी) में **अंगोरा खरगोश फार्म** कार्यरत है।
- स्पीति नस्ल के घोड़ों की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए लाहौल-स्पीति जिले के **लरी** में एक घोड़ा प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है।

लरी फार्म में पशुधन की ताकत

क्र. सं.	विवरण	31 दिसम्बर, 2024
1	घोड़े	70
2	याक	48
3	चेगु बकरी	20
	कुल	**138**

स्त्रोतः पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश

पशुपालकों के लिए कल्याणकारी योजना

सामान्य बीपीएल किसानों के लिए योजना

- गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों के दौरान, सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों के स्वामित्व वाली देशी और संकर नस्ल की गायों को गर्भावस्था राशन (3 किलोग्राम प्रतिदिन) पर 50% सब्सिडी दी जाती है। इस योजना से 13,440 किसान लाभान्वित हुए हैं।

उत्तम पशु पुरस्कार योजना

- उत्तम पशु पुरस्कार योजना वित्त वर्ष 2023-24 में क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले दुधारू पशु/भैंस रखने वाले किसानों के लिए ₹150.00 लाख का प्रावधान है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति पशु ₹1,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

पोल्ट्री विकास योजना

(a) बैकयार्ड मुर्गी पालन परियोजना: 3 सप्ताह पुराने लो इनपुट टेक्नोलॉजी (एलआईटी) पक्षियों के 10-100 चूजों को लागत मूल्य पर प्रजनकों को वितरित किया जाता है। दिसंबर 2024 तक, 6,870 लाभार्थियों को 2,66,094 चूजे वितरित किए गए, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 4,10,000 चूजे वितरित करना है।

(b) हिम कुक्कुट पालन योजना: 97 पोल्ट्री इकाइयों के लिए **₹388.84 लाख** आवंटित किए गए। लाभार्थियों को 3,000 दिन के ब्रॉयलर चूजे, चारा, फीडर और ड्रिंकर मिलेंगे, साथ ही पूंजी और आवर्ती लागत पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। दिसंबर 2024 तक, 32 लाभार्थियों का चयन किया गया और चूजों के वितरण के बाद **₹126.72 लाख** की सब्सिडी जारी की जाएगी।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) का उद्देश्य दूध उत्पादन और गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण किसानों को डेयरी उद्योग में सहायता मिल सके। हिमाचल प्रदेश में, निम्नलिखित आरजीएम गतिविधियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं:

- **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना (एनएआईपी):** यह योजना दूध उत्पादन, गोजातीय उत्पादकता और किसान राजस्व को बढ़ावा देने के लिए किसानों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करती है। अब तक सभी जिलों में 15,88,242 कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं।
- **कांगड़ा में संतति परीक्षण (जर्सी) कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम कांगड़ा के 800 राजस्व गांवों में 115 पशु चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से संचालित होता है। यह निम्नलिखित पर केंद्रित है:
  - ✓ जर्सी मवेशियों में दूध उत्पादन, वसा, ठोस पदार्थ, प्रोटीन और प्रजनन गुणों के लिए आनुवंशिक सुधार प्राप्त करना।
  - ✓ बैल माताओं और सांडों के लिए आनुवंशिक मूल्यांकन और चयन प्रणाली विकसित करना।
  - ✓ वीर्य केन्द्रों के लिए आनुवंशिक रूप से मूल्यांकित बैल बछड़ों का उत्पादन करना।
  - ✓ कार्यक्रम के लिए एनडीडीबी के माध्यम से भारत सरकार से **₹616.61 लाख** रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **वीर्य केन्द्रों (एसएस) का सुदृढ़ीकरण:** पालमपुर में वीर्य केन्द्र (एसएस) को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा 734.19 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालकों को रियायती दर पर भेड़ उपलब्ध कराने का प्रावधान

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कम से कम 50 भेड़ (प्रति प्राप्तकर्ता अधिकतम 2 मेढ़े) रखने वाले भेड़ प्रजनकों को प्रजनन मेढ़ों पर 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए **₹223.46 लाख** रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे अब तक 3,200 प्रजनकों को लाभ मिला है।

योजना के उद्देश्य:

- **आनुवंशिक सुधार** हिमाचल प्रदेश में देशी भेड़ नस्लों की पहचान और प्रवासी भेड़ों के बीच बेहतर जर्मप्लाज्म के वितरण पर शोध।
- **मांस और ऊन उत्पादन बढ़ाना** भेड़ प्रजनकों के लिए बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना।
- **अंतः प्रजनन की समस्या का समाधान करना** सभी श्रेणियों के भेड़ प्रजनकों के प्रवासी भेड़ झुंडों के बीच।

कृषक बकरी पालन योजना:

- इस योजना के तहत बकरी पालकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 60% सब्सिडी पर 11 बकरियां (10 मादा + 1 नर), 5 बकरियां (4 मादा + 1 नर) और 3 बकरियों (2 मादा + 1 नर) की इकाइयां वितरित करने का प्रस्ताव है।
- चारे और भोजन के अलावा, गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान बकरियों के लिए बीमा का भी प्रावधान है।
- 2017-18 से 2024-25 की अवधि के लिए कार्यक्रम के लिए **₹1,428.44 लाख** का बजट आवंटित किया गया है। अब तक 2,930 इकाइयाँ (5,480 बकरियाँ) वितरित की जा चुकी हैं।

पशु रोगों पर नियंत्रण

- भारत सरकार संक्रामक रोगों जैसे कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर (एचएसबीक्यू), एंटरोटॉक्सिमिया (ईटी), पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर), रानीखेत, मारेक और रेबीज के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने के लिए 90% केंद्रीय हिस्से और 10% राज्य हिस्से के आधार पर धन आवंटित करती है।
- इस योजना के कार्यान्वयन से इन बीमारियों के प्रकोप को रोका जा सकेगा तथा पशुपालकों को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा।
- कुल किये गये टीकाकरण की संख्या:
  - ✓ **एचएसबीक्यू**: 3.56 लाख (लक्ष्य: 10.00 लाख)
  - ✓ **एट**: 2.50 लाख (लक्ष्य: 2.50 लाख)
  - ✓ **एआरवी**: 0.51 लाख (लक्ष्य: 0.50 लाख)

पशुधन उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

1977-78 से, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है:

- मौसमी और वार्षिक दूध, अंडा और ऊन उत्पादन का अनुमान लगाएं
- औसत जनसंख्या और उपज अनुमान की गणना करें
- गोबर उत्पादन का अनुमान लगाएं
- फ़ीड और चारे की खपत का आकलन करें
- जनसंख्या, उपज और उत्पादन के रुझान का अध्ययन करें

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (एचपीमिल्कफेड)

- **एचपी मिल्कफेड** 47,905 सदस्यों के साथ 1,148 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया है
- वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने दुग्ध उत्पादकों से 500 लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य रखा है।
- **हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ** कंपनी 10 दूध संयंत्रों का संचालन करती है जिनकी कुल क्षमता 1,80,000 लीटर प्रतिदिन है।

अलग-अलग संयंत्रों की क्षमताएं इस प्रकार हैं:

- ✓ मंडी और दत्तनगर: 50,000 लीटर प्रतिदिन
- ✓ कांगड़ा: 20,000 लीटर प्रतिदिन

- ✓ नाहन, चंबा, लालसिंगी (झलेरा), नालागढ़, जंगलबैरी (हमीरपुर), रिकांग पियो (किन्नौर), मौहल (कुल्लू), और रोहड़ू: प्रत्येक को प्रतिदिन 5,000 लीटर।
- **दूध पाउडर संयंत्र** दत्तनगर (शिमला) में 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ।
- **पशु आहार संयंत्र** भोर (हमीरपुर) में 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ।
- एचपी मिल्कफेड हिम ब्रांड के उत्पादों जैसे घी, मक्खन, पनीर, दही, फ्लेवर्ड मिल्क, हिम स्किम मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, मिठाइयां और बेकरी बिस्कुट का विपणन करता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में स्वच्छ दूध उत्पादन और पशुपालन पर 500 किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 स्वचालित दूध संग्रह इकाइयां और 32 डिजिटल दूध संग्रह इकाइयां स्थापित की गई हैं, साथ ही शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में विभिन्न क्षमताओं की 19 दूध संग्रह इकाइयां भी स्थापित की गई हैं।
- 2024-25 में दत्तनगर में एक नया दूध प्रसंस्करण संयंत्र (50,000 लीटर प्रतिदिन) चालू किया जाएगा।
- जनवरी 2024 में गाय के दूध की खरीद दर ₹31.80 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹37 प्रति लीटर और अप्रैल 2024 में ₹37 से बढ़ाकर ₹45 प्रति लीटर कर दी गई है। भैंस के दूध की दर ₹47 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹55 प्रति लीटर कर दी गई है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित हिम गंगा योजना को पहले चरण में हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है।
- हिम गंगा योजना के तहत कांगड़ा के धगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) की क्षमता वाला एक नया पूर्ण स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है, जिसे 3.00 एलएलपीडी तक बढ़ाया जा सकता है। ₹200.43 करोड़ की लागत वाले इस संयंत्र को एनडीडीबी द्वारा नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए नाबार्ड द्वारा ₹60.13 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- दूध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार किन्नौर और लाहुल-स्पीति को छोड़कर पूरे राज्य में उत्पादकों को अधिशेष दूध के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है।
- 15 जून, 2024 को ट्रेडमार्क HIM पंजीकृत किया गया।

ऊन खरीद और विपणन संघ (डब्ल्यूपीएमएफ)

- इसका उद्देश्य बिचौलियों द्वारा ऊन उत्पादकों के शोषण को कम करके हिमाचल प्रदेश में ऊन उद्योग को समर्थन देना है
- **वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक)**1,10,136 भेड़ों के बाल काटे गए, जिससे 600 प्रजनक परिवारों को लाभ मिला।
- 2.5 करोड़ रुपये के बजट से चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और किन्नौर जैसे जिलों में 7,20,000 भेड़ और बकरियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं (डुबकी और कृमि मुक्ति) लागू की जाएंगी।

मत्स्य पालन और जल कृषि

- मत्स्य पालन राज्य की प्राथमिक अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक उप-क्षेत्र है।
- सरकार मछलीपालन को प्राथमिकता देती है और इस क्षेत्र को समर्थन देने के लिए हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन नियम 2020 पेश किया है
- ब्यास, सतलुज और रावी नदियाँ ठंडे पानी की मछली प्रजातियों जैसे कि स्किज़ोथोरैक्स, गोल्डन महसीर और विदेशी ट्राउट का पोषण करती हैं। इंडो-नॉर्वेजियन ट्राउट फार्मिंग परियोजना सफल रही है।
- गोविंद सागर, पोंग, चमेरा और रणजीत सागर जैसे बांध आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों का घर हैं और स्थानीय समुदायों के लिए परिसंपत्ति प्रदान करते हैं।

मछली उत्पादन

- हिमाचल प्रदेश में लगभग 6,310 मछुआरे अपनी आजीविका के लिए सीधे जलाशय मत्स्य पालन पर निर्भर हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान, राज्य ने 12,637.12 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया, जिसका मूल्य ₹197.10 करोड़ था।
- इसके अतिरिक्त, राज्य फार्मों से लगभग 13.56 टन ट्राउट बेची गई, जिससे चालू वित्त वर्ष (दिसंबर 2024 तक) में ट्राउट फार्मों से ₹138.66 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन 2012-13 और 2023-24 के बीच 3.3% की CAGR के साथ दोगुने से अधिक हो गया।
- 2023-24 में कुल उत्पादन बढ़कर 17,721.64 मीट्रिक टन हो गया और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 18,957.23 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- उत्पादन मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2023-24 में बढ़कर ₹27,323.87 लाख हो गई।

मत्स्य उत्पादों का निर्यात और आयात

- मत्स्य पालन उपक्षेत्र में मछली के निर्यात और आयात में मिश्रित रुझान देखने को मिल रहा है। 2012-13 और 2023-24 के बीच सभी स्रोतों से मछली के कुल निर्यात और आयात में वृद्धि हुई है।

मत्स्य क्षेत्र का विकास और योगदान

- मत्स्य उप-क्षेत्र 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) का 0.14% और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीएसवीए का 0.94% हिस्सा होगा।
- पिछले पांच वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि उत्साहजनक रही है।
- मत्स्य उप-क्षेत्र की वृद्धि दर 2024-25 में 7.0% रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह 6.3% थी।

मत्स्य पालन के लिए सरकारी पहल

1. मछुआरों के लिए बीमा और कल्याण योजनाएं:

- इस योजना के अंतर्गत, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में मछुआरों को ₹5.00 लाख की वित्तीय सहायता मिलती है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार मछुआरों को उनके गियर और क्राफ्ट को हुए नुकसान की भरपाई करके सहायता प्रदान करती है। यह मुआवज़ा जोखिम निधि योजना के तहत 50% की सीमा तक प्रदान किया जाता है

2. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 26.21 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

उपलब्धियां और लक्ष्य

क्र0 सं0	विवरण	दिसम्बर,2024 तक की उपलब्धियां	प्रस्तावित लक्ष्य 2024–25
1.	मत्स्य उत्पादन (टन) (सभी साधनो से)	12637.12	18000
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	346.25	855.00
3.	खाने योग्य ट्राऊट उत्पादन सरकारी क्षेत्र (टन)	13.56	20.00
4.	खाने योग्य ट्राऊट उत्पादन निजी क्षेत्र (टन)	1107.9	1380.00
5.	रोजगार सृजन (संख्या)	457	550
6.	विभागीय राजस्व (लाखों में)	364.17	466.66

स्त्रोतः मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिमाचल प्रदेश में पशुधन जनगणना 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

A) हिमाचल प्रदेश में भारत के कुल पशुधन का 1.5% हिस्सा है।

B) हिमाचल प्रदेश में कुल पशुधन जनसंख्या 44.13 लाख है।

C) राज्य में सबसे बड़ी पशुधन आबादी भैंसों की है

D) संकर नस्ल के मवेशी कुल मवेशी आबादी का 48.28% हैं।

2. सूची I (वस्तु) को सूची II (पशुधन GVO में हिस्सा) के साथ सुमेलित करें

सूची I (वस्तु)	सूची II (पशुधन जीवीओ में हिस्सा)
1. दूध	A. 0.7%
2. मांस	B. 2.0%
3. अंडे	C. 94.3%
4. गोबर	D. 1.5%

सही उत्तर का चयन करें:

A) 1 - C, 2 - B, 3 - A, 4 – D

B) 1 - B, 2 - C, 3 - D, 4 - A

C) 1 - D, 2 - A, 3 - B, 4 - C

D) 1 - A, 2 - D, 3 - C, 4 – B

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्योरी (शिमला) में स्थित है।

2. उन्नत मेढ़ों के पालन के लिए नगवाईं (मंडी) में एक मेढ़े केन्द्र कार्यरत है।

3. अंगोरा ऊन उत्पादन के लिए करछम (किन्नौर) में एक अंगोरा खरगोश फार्म स्थित है।

4. स्पीति नस्ल के घोड़ों के लिए लारी (लाहौल-स्पीति) में एक घोड़ा प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

A) 1 और 2 B) केवल 3

C) केवल 4 D) 2 और 4

4. हिमाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक लारी फार्म में याकों की कुल संख्या कितनी है?

A) 48 B) 70

C) 20 D) 138

5. उत्तम पशु पुरस्कार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 में ₹150.00 लाख के प्रावधान के साथ कार्यान्वित की गई है।

2. यह प्रत्येक लाभार्थी को प्रति पशु ₹1,000 का इनाम प्रदान करता है।

3. इस योजना से उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास प्रतिदिन 10 लीटर या उससे अधिक दूध देने वाली दुधारू गाय/भैंसें हैं।

A) केवल 1 B) केवल 2

C) केवल 3 D) 2 और 3 दोनों

6. हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना (एनएआईपी) ने सभी जिलों में 15 लाख से अधिक कृत्रिम गर्भाधान किए हैं।

2. मंडी में संतति परीक्षण (जर्सी) कार्यक्रम जर्सी मवेशियों में आनुवंशिक सुधार पर केंद्रित है।

3. भारत सरकार द्वारा एनडीडीबी के माध्यम से संतति परीक्षण कार्यक्रम के लिए 616.61 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

4. पालमपुर स्थित वीर्य केन्द्र को सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार से 734.19 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3

C) केवल 1, 3, और 4 D) उपरोक्त सभी

7. हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ (मिल्कफेड) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ 10 दुग्ध संयंत्रों का संचालन करता है जिनकी कुल क्षमता 1,80,000 लीटर प्रतिदिन है।
2. भोर (हमीरपुर) में पशु आहार संयंत्र की क्षमता 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन है।
3. हिम गंगा योजना को पायलट आधार पर मंडी और कांगड़ा जिलों में शुरू किया गया।

A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3 D) उपरोक्त सभी

8. हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ (मिल्कफेड) ने ट्रेडमार्क "HIM" कब पंजीकृत कराया?

A) 1 अप्रैल 2024 B) 15 जून 2024
C) 10 जुलाई 2023 D) 25 मई 2024

9. स्किज़ोथोरैक्स, गोल्डन महसीर और विदेशी ट्राउट निम्नलिखित में से किसकी प्रजातियाँ हैं?

A) भेड़ B) मुर्गीपालन
C) मछली D) मवेशी

10. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत कितनी राशि स्वीकृत की है?

A) ₹20.15 करोड़ B) ₹22.75 करोड़
C) ₹26.21 करोड़ D) ₹30.50 करोड़

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	B	A	C	C	A	B	C	C

अध्याय 8
वानिकी, पर्यावरण और जल संसाधन

मुख्य अंश:

- हिमाचल प्रदेश का कुल **15,580 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र या **27.99%** क्षेत्रफल वनाच्छादित है। राज्य की 37,948 वर्ग किलोमीटर (लगभग 68.16%) भूमि वन भूमि के रूप में नामित है।
- **वन क्षेत्र वर्गीकरण:**
  - ✓ **अति घना जंगल:** 3,118 वर्ग किमी
  - ✓ **मध्यम सघन वन:** 7,280 वर्ग किमी
  - ✓ **खुला वन:** 5,182 वर्ग किमी
- वित्त वर्ष 2024-25 में, वानिकी और लॉगिंग उप-क्षेत्र ने **₹6,724 करोड़** का योगदान दिया, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए का **21.09%** और राज्य में कुल जीएसवीए का **3.10%** था।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृक्षारोपण का लक्ष्य 8,000 हेक्टेयर है, जिसमें से **6,715 हेक्टेयर** पहले ही हासिल कर लिया गया है।
- राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश गैर-जैव निम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के तहत प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- हिमाचल प्रदेश में कुल **17.09 लाख** ग्रामीण परिवारों में से **7.63 लाख** परिवारों के पास जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) थे।
- **जल जीवन मिशन** के तहत सरकार ने **9.46 लाख** ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण परिवारों के लिए 100% संतृप्ति प्राप्त हुई है, जो राष्ट्रीय औसत 79.56% से आगे निकल गया है।
- राज्य ने निर्मित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को पाटने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 2,740 हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र (CCA) को लक्षित किया गया है। अक्टूबर 2024 तक 1,002.01 हेक्टेयर को **₹11.93 करोड़** की लागत से कवर किया जा चुका है।

परिचय

- भारतीय संविधान, अनुच्छेद 48ए के माध्यम से, सभी स्तरों पर सरकारों को "पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करने" का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51ए(जी)** यह प्रत्येक नागरिक पर "वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने" का कर्तव्य डालता है।
- वन विभाग का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र को लगभग **27.99 प्रतिशत** (भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार) से बढ़ाकर 2030 तक इसके भौगोलिक क्षेत्र का **30 प्रतिशत** करना है।

हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र

- हिमाचल प्रदेश में, राज्य के 37,948 वर्ग किलोमीटर (लगभग 68.16%) भूभाग को वन भूमि के रूप में नामित किया गया है।
- चैंपियन और सेठ के वन वर्गीकरण (1968) के अनुसार, 8 मुख्य श्रेणियां और 37 छोटे प्रकार के वन हैं, जिनमें से अधिकांश हिमालयी नम शीतोष्ण वन द्वारा आच्छादित हैं।

- वास्तविक वन क्षेत्र 15,580.33 वर्ग किमी (27.99%) में फैला है, जिसे विभिन्न मुकुट घनत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
  - ✓ **अत्यंत घने वन** (70% मुकुट घनत्व और अधिक): 3,117.60 वर्ग किमी
  - ✓ **मध्यम घने वन** (40%-70% मुकुट घनत्व): 7,280.29 वर्ग किमी
  - ✓ **खुले वन** (10%-40% मुकुट घनत्व): 5,182.46 वर्ग किमी
  - ✓ **झाड़ियां**: 308.69 वर्ग किमी

घनत्व के अनुसार वन

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

वर्ष	अधिक घने जंगल 70 प्रतिशत से अधिक	मध्यम घने जंगल 40 से 70 प्रतिशत	खुले जंगल 10 से 40 प्रतिशत	कुल वन आवरण
2011	3224	6381	5074	14679
2013	3224	6381	5078	14683
2015	3225	6387	5095	14707
2017	3110	6705	5285	15100
2019	3113	7126	5195	15434
2021	3163	7100	5180	15443
2023	3118	7280	5182	15580

स्रोतः इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जिलावार वन क्षेत्र (प्रतिशत में)

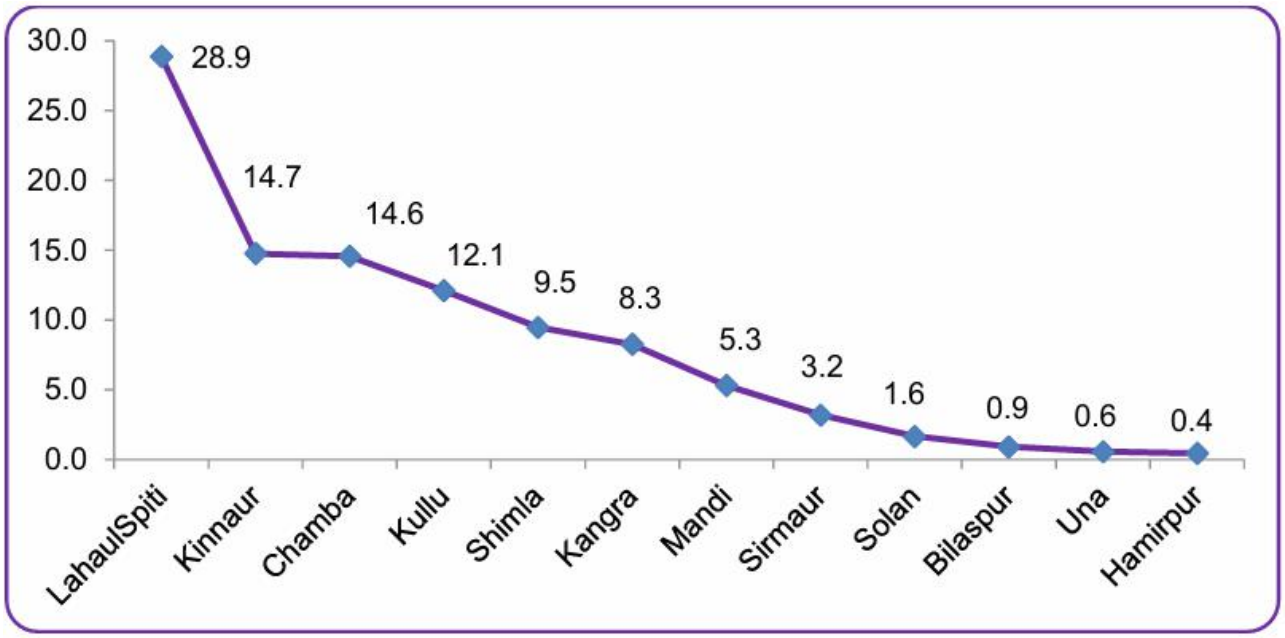

जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जिलावार वन (प्रतिशत में)

कानूनी स्थिति के आधार पर वन वर्गीकरण

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

वर्ष/जिला	आरक्षित वन	चिह्नित संरक्षित वन	अचिह्नित संरक्षित वन	अन्य वन	कुल वन
	1,883	**12,852**	**16,035**	**7,178**	**37,948**
1. बिलासपुर	1	156	186	0	343
2. चम्बा	374	4,566	572	11	5,523
3. हमीरपुर	0	99	66	0	165
4. कांगड़ा	70	580	1,572	909	3,131
5. किन्नौर	0	270	523	4,802	5,595
6. कुल्लू	164	3,360	892	174	4,590
7. लाहौल और स्पीति	70	397	10,486	0	10,953
8. मंडी	0	1,682	74	258	2,014
9. शिमला	56	1,348	1,378	809	3,591
10.सिरमौर	1,050	69	35	51	1,205
11.सोलन	54	281	127	164	626
12.ऊना	44	44	124	0	212

स्रोतः वन विभाग, हिमाचल प्रदेश

वानिकी और लॉगिंग का योगदान और विकास

- वित्त वर्ष 2024-25 में, वानिकी और लॉगिंग उप-क्षेत्र ने सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में 6,724 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का 21.09% और राज्य में कुल जीएसवीए का 3.10% था।

- स्थिर (2011-12) मूल्यों पर, वित्त वर्ष 2024-25 में वानिकी और लॉगिंग से जीवीए बढ़कर ₹5,310 करोड़ हो गया, जो ₹205 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्थिर मूल्यों पर इस क्षेत्र में 4.0% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो इसके सकारात्मक विकास प्रक्षेप को दर्शाता है।

वानिकी और लॉगिंग का योगदान और वृद्धि (2018-19 से 2024-25)

प्रचलित भाव पर वानिकी और लॉगिंग द्वारा सकल मूल्य वर्धन (₹करोड़)

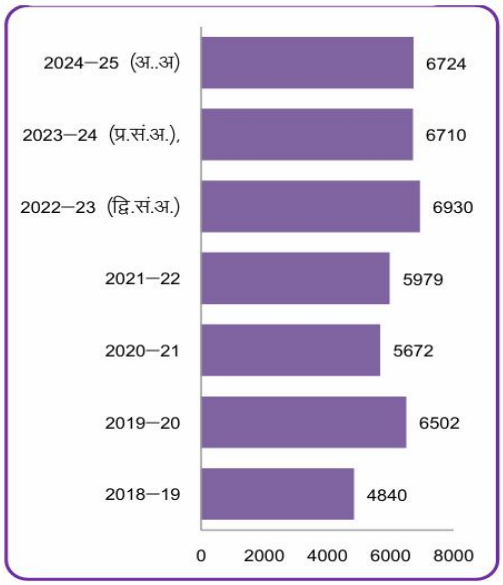

वानिकी और लॉगिंग की वृद्धि दर (प्रतिशत में) स्थिर कीमतों पर

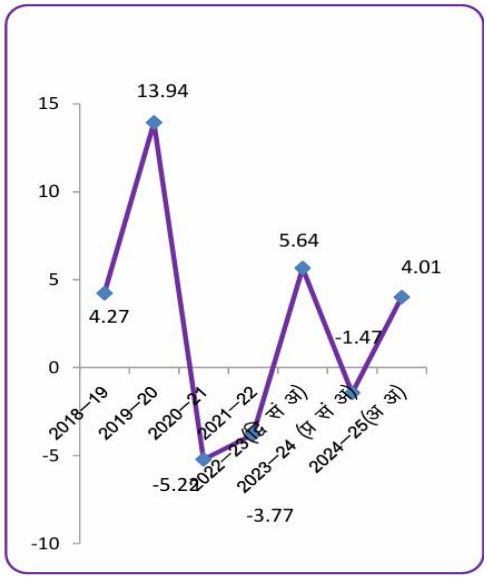

वानिकी और लॉगिंग का प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में योगदान (प्रतिशत में)

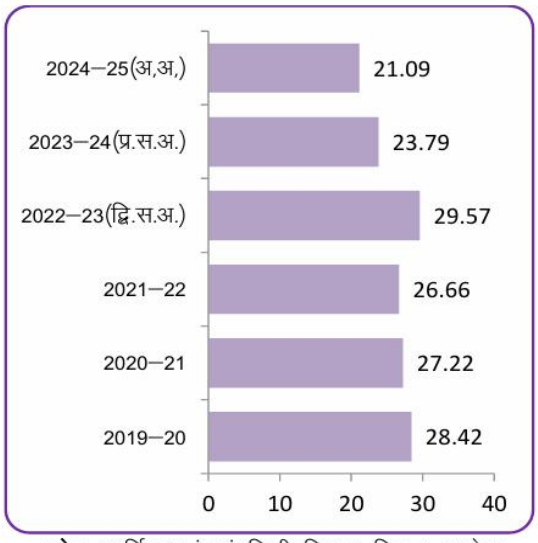

वानिकी और लॉगिंग का राज्य सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भावों पर योगदान (प्रतिशत में)

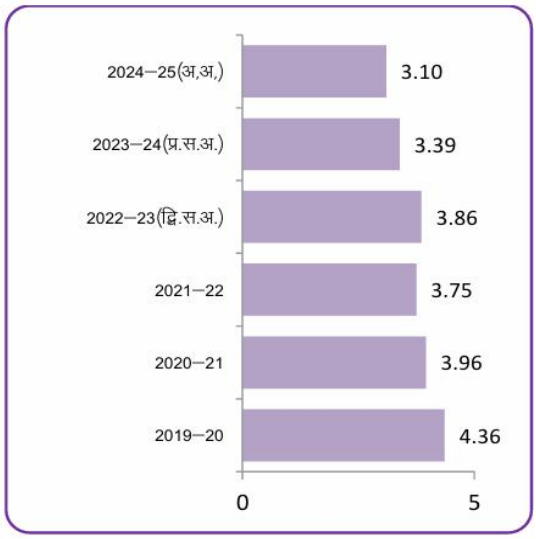

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश
नोटः अ.अ.–अग्रिम अनुमान
प्र.स.अ.– प्रथम संशोधित अनुमान
द्वि.स.अ.– द्वितीय संशोधित अनुमान

वानिकी के लिए सरकारी पहल

वन रोपण

- हिमाचल प्रदेश में वनरोपण की पहल विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से की जा रही है, जैसे: प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA), राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। इसके अतिरिक्त, बाहरी सहायता भी इन प्रयासों का समर्थन कर रही है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कैम्पा और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करते हुए 8,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 6,715 हेक्टेयर लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और शेष लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

वन प्रबंधन

- हिमाचल प्रदेश के वनों पर मानवीय गतिविधियों, पशुपालन और विकास के कारण दबाव बढ़ रहा है।
- इससे निपटने के लिए, निगरानी के लिए संवेदनशील जांच चौकियों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं तथा आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों में अग्निशमन उपकरण लगाए गए हैं।
- राज्य वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना तथा राज्य वन अग्नि प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन करता है, जिसमें अग्नि नियंत्रण के लिए रैपिड फायर टीमें तथा स्थानीय स्वयंसेवकों को एसएमएस अलर्ट उपलब्ध कराया जाता है।
- प्रमुख क्षेत्रों में अग्नि-संवेदनशील महीनों के दौरान फायर वाचर भी तैनात किए गए हैं।

प्रायोगिक वन-संवर्धन कटाई/सहायक वन-संवर्धन कार्य

- हिमाचल प्रदेश के वनों का मूल्य लगभग ₹1.50 लाख करोड़ है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने नूरपुर, भराड़ी और पांवटा वन श्रृंखलाओं में तीन प्रजातियों - खैर, चील और साल - के लिए प्रायोगिक वन-संवर्धन की अनुमति दे दी है।
- वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 13,000 खैर के पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया, जिससे 33,272 मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ।

नई योजनाएँ

मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना:

- अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू की गई।
- इसका उद्देश्य एकीकृत, स्थल-विशिष्ट वनरोपण के माध्यम से कठिन स्थलों पर हरित आवरण का विस्तार करना, स्थानीय आबादी को वन पारिस्थितिकी सेवाएं और आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
- वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 500 हेक्टेयर से अधिक बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है।

वन मित्र योजना:

- **वन मित्र योजना** को समुदाय-संचालित वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है।
- चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वन बीट पर एक वन मित्र की नियुक्ति की जा रही है।
- 2,061 वन मित्रों को नियुक्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

अन्य पहल/उपलब्धियां

बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना

- कांगड़ा जिले के बनखंडी में 600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है।
- इस चिड़ियाघर से पर्यटन को बढ़ावा मिलने तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

- इसे 2024-25 में चालू करने का प्रस्ताव है।
- डिजाइन और निर्माण में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां शामिल की जाएंगी।
- **पुनर्चक्रण**और पारिस्थितिकीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए टिकाऊ खरीद प्रथाओं को अपनाया जाएगा।

इको-टूरिज्म पर्यटन

- **सरकार ने इको-टूरिज्म को उच्च प्राथमिकता दी है**वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में सतत पारिस्थितिक पर्यटन पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के दिशानिर्देशों (2021) और वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2023 (वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन) पर आधारित है।
- **इको-पर्यटन नीति 2024** तैयार किया गया है।
- वन प्रभागों की कार्ययोजनाओं में 11 अध्यायों को मंजूरी दे दी गई है; 9 और प्रभागों में, अध्यायों को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।
- प्रथम चरण में दो इको-पर्यटन स्थलों के संचालक: **शोघी कैम्पिंग स्थल** शिमला @ ₹37.80 लाख प्रति वर्ष, **पॉटर हिल साइट** शिमला में 23.19 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया गया है।
- दूसरे चरण में, 6 साइटों के लिए बोलियां अंतिम रूप दी गईं: कैसधार @ ₹10 लाख प्रति वर्ष, सोलंग नाला @ ₹51.52 लाख प्रति वर्ष, कसोल @ ₹25 लाख प्रति वर्ष, खीरगंगा के पास बिंद्रावाणी @ ₹10 लाख प्रति वर्ष, सुमारोपा @ ₹31.32 लाख प्रति वर्ष, बीर-बिलिंग @ ₹54 लाख प्रति वर्ष को अंतिम रूप दिया गया और इन साइटों के एच1 बोलीदाताओं को प्रदान किया गया।
- ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली के लिए एक **मानक ऑपरेटिंग सिस्टम** तैयार किया गया है और एचपीटीडीसी के साथ साझा किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा **245 ट्रेक्स** चिन्हित किए गए ट्रेक को कठिन, मध्यम और नरम ट्रेक में वर्गीकृत करने का कार्य प्रगति पर है।
- ऑपरेटरों और ट्रेकर्स के पंजीकरण के लिए **मोबाइल ऐप** और वेबसाइट का विकास किया गया है।
- **100 वन विश्राम गृह, निरीक्षण झोपड़ियाँ और कैम्पिंग स्थल** ऑनलाइन बुकिंग के लिए सक्रिय **https://himachalecotourism.in**

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना (केएफडब्ल्यू सहायता प्राप्त)

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में चयनित वन पारिस्थितिकी प्रणालियों का पुनर्वास, संरक्षण और सतत उपयोग करना है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध इन पारिस्थितिकी प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ाना और सुरक्षित करना है।
- इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति वन पारिस्थितिकी तंत्र की अनुकूलन क्षमता को मजबूत करने, जैव विविधता की सुरक्षा, जलग्रहण क्षेत्रों के स्थिरीकरण, प्राकृतिक संसाधन आधार के संरक्षण में योगदान मिलेगा, तथा बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
- इस परियोजना का बजट 308.45 करोड़ रुपये है, जिसे जर्मनी के केएफडब्ल्यू बैंक (क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन) द्वारा समर्थित किया गया है, और यह वर्तमान में राज्य के चंबा और कांगड़ा जिलों में चल रही है।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

- परियोजना के उद्देश्य हैं:
  - ✓ वन एवं पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करें,
  - ✓ आजीविका में सुधारवन एवं चारागाह पर निर्भर समुदायों के लिए,
  - ✓ वन आवरण, घनत्व और उत्पादक क्षमता में वृद्धिवैज्ञानिक और आधुनिक वन प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करना,

- ✓ जैव विविधता को बढ़ावा देनाऔर वन पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण
- 800 करोड़ रुपये की लागत वाली हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने परियोजना के अंतर्गत ₹55.00 करोड़ उपलब्ध कराए हैं, जिसमें से 31 दिसंबर, 2024 तक ₹26.85 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

स्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत परियोजना

- विश्व बैंक ने 100 मिलियन डॉलर (650 करोड़ रुपये) के बजट के साथ एक अतिरिक्त परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे स्रोत स्थिरता और जलवायु-लचीले वर्षा आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना कहा जाता है।
- यह परियोजना शिवालिक और मध्य पर्वतीय कृषि-जलवायु क्षेत्रों की 900 ग्राम पंचायतों में 7 वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी।
- परियोजना के प्रमुख परिणामों में शामिल हैं:
  - ✓ लगभग 2 लाख हेक्टेयर गैर-कृषि योग्य **व्यापक उपचार** तथा 0.20 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि।
  - ✓ जल उत्पादकता/दक्षता में **30%** वृद्धि।
  - ✓ दूध उत्पादन में **20%** वृद्धि।
  - ✓ आजीविका सुधार के अंतर्गत **25% असुरक्षित परिवार** शामिल किया गया।
  - ✓ कृषि फसल उत्पादकता में **25%** वृद्धि।
  - ✓ कृषि व्यवसाय और उत्पादन में **30%** वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि।
- वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने ₹153.79 करोड़ उपलब्ध कराए हैं, जिसमें 31 दिसंबर, 2024 तक ₹102.96 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव

- वन स्वच्छ वायु, आश्रय प्रदान करके तथा जैव विविधता को संरक्षित करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वे वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने, मिट्टी को कटाव से बचाने तथा भूमि पर विश्व की 80% पशु प्रजातियों और जैव विविधता के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते हैं।
- **वन्यजीव** गैर-पालतू जानवरों को संदर्भित करता है, और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- हमारा पारिस्थितिकी तंत्र वन्यजीवों द्वारा प्रदान की जाने वाली विविधता और प्रचुरता के बिना अधूरा होगा।
  - ✓ **जंगली पौधे** दवाइयों की एक तिहाई से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान करते हैं, तथा एंटीबायोटिक्स और उपचारात्मक प्रयोजनों के लिए औषधीय गुण प्रदान करते हैं।
  - ✓ वन वैश्विक तापमान को बनाए रखकर और समुद्र स्तर में तीव्र वृद्धि को रोककर जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं।
  - ✓ पौधों और जानवरों की अन्योन्याश्रयता पारिस्थितिक सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण है।
  - ✓ वन जीवाश्म ईंधन के उपयोग के माध्यम से आर्थिक रूप से योगदान देते हैं, देश के विकास में सहायता करते हैं तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
  - ✓ वन हजारों प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं तथा जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं।
  - ✓ वन्यजीवों में सूक्ष्मजीवों द्वारा **नाइट्रोजन स्थिरीकरण** से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है।
- इसका अंतिम लक्ष्य वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण तथा लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए वन्यजीव आवासों को उन्नत करने के माध्यम से पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा और सुधार करना है।

पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग (DEST&CC) बेहतर पर्यावरण प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और दीर्घकालिक स्थिरता के माध्यम से सतत विकास के लिए समर्पित है।
- जलवायु परिवर्तन मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, विभाग पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु लचीलेपन के लिए नीति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विभाग की पहल:

- ग्रामीण आबादी के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए "मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना" के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
- विभाग ने जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार करने की पहल की है, जिसे पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा।
- विभाग ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों के सतत विकास के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और जीआईजेड के सहयोग से एक आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन (एनएएस) शुरू किया है।
- राज्य में खनन गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी करने तथा अवैध एवं अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए जीआईएस आधारित एप्लीकेशन बनाने हेतु ₹2.0 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।
- भौगोलिक संकेत (जीआई) को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक योजना शुरू करने हेतु अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- इस योजना से वाणिज्यिक उत्पादों को जीआई टैगिंग मिल सकेगी, जिससे उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- हिमाचल प्रदेश गैर-जैवनिम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के तहत पूरे राज्य में **पॉलिथीन प्रतिबंध** सख्ती से लागू किया गया है।
- अब तक राज्य में 2024-25 के दौरान 907 उल्लंघनकर्ताओं पर ₹11.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से **29,385.10 किलोग्राम प्लास्टिक** खरीदा गया है तथा व्यक्तियों और कूड़ा बीनने वालों को 13.04 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
- कूड़ा बीनने वालों और व्यक्तियों द्वारा जमा किए गए प्लास्टिक कचरे के लिए मौके पर भुगतान हेतु नगर निगम शिमला को 2.00 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

- इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए अनुकरणीय योगदान को मान्यता देना और सम्मानित करना है।
- वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन कार्यों और उपलब्धियों के लिए सात पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

आदर्श पर्यावरण गांवों का निर्माण

- पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश आदर्श इको विलेज योजना को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रहा है।
- यह एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जीवन को बढ़ावा देना है।
- यह योजना राज्य भर के 19 गांवों में क्रियान्वित की जा रही है।
- इसके कार्यान्वयन के लिए कुल ₹3.32 करोड़ जारी किए गए हैं।

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाएं

- पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संगठनों को वित्त पोषित कर रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत कुल 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
- **दो परियोजनाएँ** कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दे दी गई है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन और मंजूरी

- पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के प्रबंधन और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- विभाग यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तावित परियोजनाओं का कठोर और पारदर्शी मूल्यांकन किया जाए ताकि उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और स्थिरता मानदंडों के अनुपालन का आकलन किया जा सके।
- 2024-25 के दौरान, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में 38 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की।

जलवायु परिवर्तन पहल

- हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त पर जीआईजेड द्विपक्षीय परियोजना (सीएएफआरआई) के तहत इसका चयन किया गया है।
- 2023 से 2026 के बीच राज्य के सूखा-प्रवण और जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रों की लगभग 5,000 महिला किसानों की अनुकूलन क्षमता विकसित करने पर 10 मिलियन यूरो का वित्त पोषण खर्च किया जा रहा है।
- **जीआईजेड** जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी 2.0) के अंतर्गत कृषि/बागवानी मिशन और जल मिशन के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान की है।
- दिसंबर 2024 में इन पहलों पर चर्चा के लिए सीएसके एचपीकेवी पालमपुर में एक हितधारक परामर्श आयोजित किया गया था।

हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (हिमकोस्टे)

हिमाचल प्रदेश राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित जागरूकता, लोकप्रियकरण, अनुसंधान, विकास और प्रसार के लिए नीतियों को निर्धारित करने, कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए वर्ष 1986 में हिमकोस्ट की स्थापना की गई थी।

राजीव गांधी पत्ती प्लेट्स (पत्तल) एवं अन्य जैवनिम्नीकरणीय उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) केंद्र

- उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र, शाहपुर, कांगड़ा में स्थापित और संचालित है। यह पहल स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और ग्रामीण समुदायों को पर्यावरण अनुकूल पत्तल बनाने की प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
- हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा समर्थित यह केंद्र प्लास्टिक के लिए टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है।
- यह पहल आजीविका को बढ़ावा देने के साथ-साथ शुद्धता और स्वास्थ्य लाभ के लिए जानी जाने वाली पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने में भी मदद करती है।

ड्रोन आधारित संपत्ति कर निर्धारण

- आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने संपत्ति की सीमाओं का मानचित्रण करने, अपंजीकृत विकासों की पहचान करने तथा संपत्ति कर निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीआईएस क्षमताओं वाले ड्रोन पेश किए।

- इस नवाचार को सोलन नगर निगम में लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा प्रशासन में सुधार हुआ।
- इस पहल का राज्यव्यापी विस्तार करने की योजना है, जिसमें अधिक सटीक आकलन के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल है।

हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस

- समग्र शिक्षा और शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 12 जिलों के 21,973 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- गतिविधियों में प्रश्नोत्तरी, गणितीय ओलंपियाड और नाटक शामिल थे।
- जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे।

भौगोलिक संकेत (जीआई) की सुविधा

- एचपी पेटेंट सूचना केंद्र ने 400 से अधिक जीआई उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की और चंबा चुख, भौत जौ और प्लेकट्रान्थस शहद जैसे उत्पादों के लिए आवेदनों को अंतिम रूप दिया।

जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियाँ

- हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) और जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) के डिजिटलीकरण के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाया है, जिसके तहत 3,775 से अधिक पीबीआर तैयार या अद्यतन किए गए हैं।
- **पहुंच और लाभ साझा करने की शक्तियां (एबीएस)** संसाधनों तक पहुंच को सरल बनाने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रभागीय वन अधिकारियों को कार्य सौंपे गए।

संरक्षण एवं जागरूकता अभियान

- **पर्यावरण जागरूकता** विश्व पर्यावरण दिवस 2024 जैसे राज्यव्यापी समारोहों के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया गया, जिसमें अभियान, प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी शामिल थी।
- "आर्द्रभूमि बचाओ अभियान" में जागरूकता कार्यक्रम और सफाई अभियान शामिल थे, जिसमें 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया।
- शैक्षिक पहलराष्ट्रीय प्रकृति कैम्पिंग कार्यक्रम और विश्व ओजोन दिवस जैसे कार्यक्रमों ने व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान किए।

वेटलैंड्स फॉर लाइफ फिल्म फेस्टिवल और फोरम

- 30 अगस्त, 2024 को शिमला के होटल पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस महोत्सव में प्रभावशाली लघु फिल्में प्रदर्शित की गईं।
- HIMCOSTE, हिमाचल प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण और CMS नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आर्द्रभूमि के संरक्षक: संरक्षण की संरक्षक के रूप में महिलाएं विषय पर प्रकाश डाला गया, जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाया गया।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

- जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अनुमानित राष्ट्रव्यापी लागत 3.60 लाख करोड़ रुपये है।

- मिशन का ध्यान घरेलू स्तर पर सेवा प्रणाली स्थापित करने पर है, जिससे निर्धारित गुणवत्ता के साथ जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, तथा प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- हिमाचल प्रदेश में कुल 17.09 लाख ग्रामीण परिवारों में से, 7.63 लाख परिवारों के पास जेजेएम के शुभारंभ से पहले ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) थे।
- शेष 9.46 लाख ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, तथा राज्य ने ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने में 100% संतृप्ति प्राप्त कर ली है। यह उपलब्धि राष्ट्रीय औसत 79.56% से अधिक है।

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कुल 6,033.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 5,429.90 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा और 603.31 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा है।
- **₹5,167.00 करोड़** प्राप्त हो चुका है, और अब तक ₹5,154.04 करोड़ का व्यय हो चुका है।
- 2024-25 के लिए वार्षिक कार्य योजना ₹2,042.40 करोड़ की प्रस्तुत की गई है, तथा भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए ₹916.53 करोड़ का आवंटन किया गया है। राज्य को पहली किश्त की पहली किस्त प्राप्त हो गई है, जिसकी राशि ₹137.48 करोड़ है (जिसमें राज्य का हिस्सा ₹15.27 करोड़ है)।
- भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 96 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- भारत सरकार द्वारा लाहौल और स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जैसे जिलों के लिए **517.16 करोड़** रुपये की राशि **67 एंटीफ्रीज जल आपूर्ति योजनाएं** के लिए स्वीकृत की गई है।

हैंडपंप कार्यक्रम

- ग्रीष्म ऋतु के दौरान जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में हैंडपंप उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चल रहा है।
- दिसंबर 2024 तक कुल 41,835 हैंडपंप लगाए जा चुके हैं।

शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ

- जल शक्ति विभाग 58 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों के लिए जलापूर्ति का प्रबंधन करता है। शिमला शहर के लिए जलापूर्ति का प्रबंधन शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है और परवाणू के लिए हिमुडा द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- 46 कस्बों में शहरी मानदंडों के अनुसार जलापूर्ति हासिल की गई है। AMRUT 2.0 के तहत 7 शहरों (चंबा, डलहौजी, मंडी, सुन्नी, ठियोग, रामपुर, राजगढ़) में जलापूर्ति प्रणालियों के उन्नयन और सुधार का काम चल रहा है।
- अमृत 2.0 के तहत 6 कस्बों (हमीरपुर, बैजनाथ, जवाली, अम्ब, नेरचौक, शाहपुर) में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार भी प्रगति पर है।
- नाबार्ड के तहत करसोग शहर के लिए और अमृत 2.0 के तहत निरमंड के लिए **प्रशासनिक अनुमोदन** व्यय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

शहरी क्षेत्र में सीवरेज योजनाएं

- शिमला शहर की सीवरेज प्रणाली का प्रबंधन शिमला जल प्रबंधन निगम (एसजेपीएनएल) द्वारा किया जाता है।
- **जल शक्ति विभाग** सरकार ने 39 शहरों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और 97.303 एमएलडी क्षमता वाले 66 एसटीपी स्थापित किए हैं, जो 59.477 एमएलडी सीवेज प्रवाह को संभालते हैं।
- 6 कस्बों (भोटा, संतोखगढ़, तलाई, बैजनाथ-पपरोला, नेरचौक, बंजार) के लिए सीवरेज सिस्टम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- 4 कस्बों (नेरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर) में सीवरेज प्रणाली के लिए **प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी** राज्य मद के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा बिलासपुर के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) (एएफडी) के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं।
- 9 शहरों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं तथा उन्हें राज्य मद या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में सीवरेज योजनाएँ

- वर्तमान में, 8 ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गई है, अर्थात शारबो (रिकांगपियो), झाकड़ी, कुनिहार, सांगला (चरण-II और III), चिंतपूर्णी (जोन-I), हर्दसर, मढ़ी (मनाली) और सैंडहोल (चरण-II), जिनकी स्थापित क्षमता 2.61 एमएलडी के सीवेज प्रवाह के विरुद्ध 4.30 एमएलडी है। 16 ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है।
- इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं को भी नाबार्ड के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु शामिल किया गया है।
- अब तक नाबार्ड के अंतर्गत **₹295.06 करोड़** की लागत की 19 सीवरेज योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- 5 सीवरेज योजनाओं (तहसील रामपुर में सीवरेज योजना तकलेच, तहसील नूरपुर में ग्राम पंचायत बरांडा के लिए सीवरेज प्रणाली, तहसील और जिला चंबा की ग्राम पंचायत छतराड़ी में सीवरेज योजना छतराड़ी, एसटीपी के साथ सीवरेज योजना और रैहन क्षेत्र के लिए जलापूर्ति योजनाओं का विस्तार, और ग्राम पंचायत उदयपुर तहसील और जिला चंबा में उदयपुर खास के लिए सीवरेज योजना) का कार्य शुरू कर दिया गया है।

कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी)

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं में हिमाचल प्रदेश कमांड क्षेत्र विकास (HIMCAD) गतिविधियों के लिए **₹60.06 करोड़** आवंटित किए।
- सीएडी परिचालनों के लिए 2,740.00 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) को कवर करने के भौतिक लक्ष्य में से, अक्टूबर, 2024 तक **₹11.93 करोड़** की लागत से 1,002.01 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जा चुका है।

सिंचाई

- हिमाचल प्रदेश का कुल भूमि क्षेत्रफल 5.567 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 0.583 मिलियन हेक्टेयर पर ही खेती होती है।
- राज्य की अनुमानित सिंचाई क्षमता लगभग 0.335 मिलियन हेक्टेयर है। 0.050 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से की जा रही है। शेष 0.285 मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से की जा सकती है।
- अक्टूबर 2024 तक कुल 0.309 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित है।

प्रमुख सिंचाई

- कांगड़ा जिले में **शाहनहर परियोजना** राज्य की एकमात्र महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है।
- पूरा होने पर, यह परियोजना 15,287 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।
- अक्टूबर 2024 तक, CAD टीम ने 10,042 हेक्टेयर क्षेत्र को CAD परिचालन के अंतर्गत ला लिया है।

मध्यम सिंचाई

- **बल्ह घाटी वाम तट सिंचाई परियोजना**: 2,780 हेक्टेयर भूमि को कवर करता है।
- **सिद्धाथा कांगड़ा सिंचाई परियोजना**: 3,150 हेक्टेयर भूमि को कवर करता है।

- **चंगेर क्षेत्र बिलासपुर सिंचाई परियोजना**: 2,350 हेक्टेयर भूमि को कवर करता है।
- अक्टूबर 2024 तक, सिद्धथा क्षेत्र में सीएडी प्रयासों का विस्तार 2,705 हेक्टेयर तक हो जाएगा।
- फीना सिंह कृषि कमान क्षेत्र 4,205 हेक्टेयर है, तथा हमीरपुर जिले में नादौन क्षेत्र 2,980 हेक्टेयर है, दोनों ही मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के तहत विकास के दौर से गुजर रहे हैं।

लघु सिंचाई

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6,275 हेक्टेयर में सिंचाई बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए **₹810.00 करोड़** आवंटित किए गए हैं।
- अक्टूबर 2024 तक 2,577.88 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए ₹114.79 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सूची I (वन श्रेणी) को सूची II (वन क्षेत्र वर्ग किमी में) के साथ सुमेलित करें

सूची I (वन श्रेणी)	सूची II (वन क्षेत्र वर्ग किमी में)
1. अत्यधिक घने वन	A. 5,182.46
2. मध्यम घने वन	B. 3,117.60
3. खुले जंगल	C. 308.69
4. झाड़ियाँ	D. 7,280.29

सही उत्तर का चयन करें:

A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D B) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
C) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C D) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

2. सूची I और सूची II का मिलान करें

सूची I (जिला)	सूची II (सीमांकित संरक्षित वन)
a) चंबा	1. 270
b) हमीरपुर	2. 580
c) कांगड़ा	3. 99
d) किन्नौर	4. 4,566

A) a-1, b-2, c-3, d-4 B) a-2, b-3, c-4, d-1
C) a-4, b-3, c-2, d-1 D) a-3, b-4, c-1, d-2

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश में वृक्षारोपण और वानिकी पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कैम्पा एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित 8,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
2. सर्वोच्च न्यायालय ने नूरपुर, भराड़ी और पौंटा वन श्रृंखलाओं में खैर, चील और साल के लिए प्रायोगिक वन-संवर्धन की अनुमति दे दी है।
3. मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत 500 हेक्टेयर बंजर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है।

सही उत्तर का चयन करें:

A) 1, 2, और 3 B) 2 और 3
C) 1 और 3 D) 1 और 2

4. हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में चयनित वन पारिस्थितिकी प्रणालियों का पुनर्वास, संरक्षण और सतत उपयोग करना है।
2. इसे शिमला और मंडी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
3. इस परियोजना को जर्मनी के KfW बैंक द्वारा 308.45 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है।
4. इसका एक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वन पारिस्थितिकी तंत्र की अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना है।

A) 1, 2, और 3 B) 2, 3, और 4
C) 1, 3, और 4 D) 1, 2, और 4

5. जिला कांगड़ा के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना की अनुमानित लागत क्या है?

A) ₹500 करोड़ B) ₹550 करोड़
C) ₹600 करोड़ D) ₹650 करोड़

6. हिमाचल प्रदेश में कितने गांवों में मॉडल इको विलेज योजना लागू की जा रही है?
A) 15 गांव B) 17 गांव
C) 19 गांव D) 21 गांव

7. जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1. जल जीवन मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया था।
2. जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित राष्ट्रव्यापी लागत 3.60 लाख करोड़ रुपये है।
3. जल जीवन मिशन से पहले हिमाचल प्रदेश में 7.63 लाख एफएचटीसी कनेक्शन थे।
4. राज्य ने एफएचटीसी प्रदान करने में 100% संतृप्ति हासिल की है, जो राष्ट्रीय औसत 79.56% से अधिक है।
A) 1, 2, और 3 B) 2, 3, और 4
C) 1, 3, और 4 D) 1, 2, 3, और 4

8. दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में कितने हैंडपंप लगाए गए हैं?
A) 38,920 B) 41,835
C) 45,600 D) 39,750

9. परवाणू में जल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है?
A) जल शक्ति विभाग
B) शिमला जल प्रबंधन निगम
C) हिमुडा
D) नगर निगम

10. सूची I (सिंचाई परियोजनाएँ) को सूची II (आच्छादित क्षेत्र) के साथ सुमेलित करें
सूची I (सिंचाई परियोजना)
1. बल्ह घाटी वाम तट सिंचाई परियोजना
2. सिद्धाथा कांगड़ा सिंचाई परियोजना
3. चंगेर क्षेत्र बिलासपुर सिंचाई परियोजना
4. फीना सिंह संवर्धित कमान क्षेत्र
सूची II (हेक्टेयर में कवर किया गया क्षेत्र)
A. 3,150 हेक्टेयर
B. 4,205 हेक्टेयर
C. 2,350 हेक्टेयर
D. 2,780 हेक्टेयर
A) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B B) 1-C, 2-B, 3-D, 4-A
C) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C D) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	C	C	C	D	B	C	A

अध्याय-9
उद्योग

मुख्य अंश:

- **हिमाचल प्रदेश** को स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता' के रूप में मान्यता दी गई है।
- राज्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई।
- 10 जनवरी, 2025 तक राज्य में उद्यम पोर्टल पर **1,94,738 उद्यम** पंजीकृत किए गए हैं:
  - ✓ **1,90,775** (97.97%) सूक्ष्म उद्यम हैं।
  - ✓ **3,571** (1.83%) लघु उद्यम हैं।
  - ✓ **392** (0.20%) मध्यम उद्यम हैं।
- उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का कुल सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष **2024-25** में **86,695 करोड़** रुपये है, जो हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का **40%** है।
- विनिर्माण क्षेत्र का नाममात्र GVA में योगदान उद्योग के कुल मूल्य संवर्धन में **65.49%** है, जबकि शेष **34.51%** निर्माण, खनन, उत्खनन, बिजली और अन्य उपयोगिता उद्योगों से आता है।
- **वित्त वर्ष 2024-25** के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में **7.1% की वृद्धि** होने की उम्मीद है।
- हिमाचल प्रदेश में कुल कार्यबल का **53.98%** प्राथमिक क्षेत्र में, **22.01%** द्वितीयक क्षेत्र में और **24.01%** तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है (पीएलएफएस, 2023-24)।

परिचय

- राज्य जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 1950-51 में 7% से बढ़कर 2023-24 में 42.4% हो गया है।
- हिमाचल में प्रारंभिक उद्योगों में मोहन मीकिन्स, साल्ट माइंस, नूरपुर सिल्क और पालमपुर सहकारी चाय फैक्ट्री शामिल थे।
- 2003 के औद्योगिक पैकेज ने सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों में प्रमुख उद्योगों को आकर्षित किया, जिससे राज्य के औद्योगिक परिदृश्य का नया स्वरूप सामने आया।
- हिमाचल प्रदेश दवा निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है, जहां 600 से अधिक दवा इकाइयां कार्यरत हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूलेशन केंद्र बन गया है।
- राज्य एक प्रमुख सीमेंट उत्पादक और निर्यात केंद्र है, जिसमें 19,185 करोड़ रुपये की निर्यात क्षमता है और लगभग 40 देशों के साथ इसके व्यापारिक संबंध हैं।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य

- **हिमाचल प्रदेश** मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संचालित राज्य है।
- **95% उद्योग** राज्य में एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- एमएसएमई क्षेत्र राज्य के औद्योगिक परिदृश्य की रीढ़ है, जो रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

औद्योगीकरण का एक संक्षिप्त विवरण

बल्क ड्रग पार्क, जिला ऊना

- भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित यह आगामी बल्क ड्रग पार्क परियोजना 1,405 एकड़ भूमि पर फैली हुई है, जिसकी कुल परियोजना लागत 2,071 करोड़ रुपये है।

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1,000 करोड़ रुपये भारत सरकार के अनुदान का हिस्सा होंगे तथा इस अनुदान से अधिक पूंजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के हिस्से के रूप में **250 करोड़** रुपये मंजूर किए हैं।
- बल्क ड्रग पार्क के लिए अनुमानित निवेश **₹8,000 से ₹10,000 करोड़** है, जिसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में निवेश परिदृश्य

- राज्य "आमंत्रण के माध्यम से उद्योग" दृष्टिकोण के माध्यम से औद्योगीकरण को बढ़ावा दे रहा है।
- दुबई और मुंबई में निवेशकों के साथ बातचीत के बाद **₹2,500 करोड़** रुपये के प्रतिबद्धता ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 2023 में भारी वर्षा और बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद, **₹9,800 करोड़** के निवेश के साथ 450 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- **निवेश के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र सुझाव:** हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर, इथेनॉल, डेयरी और इलेक्ट्रिक वाहन।

हिमाचल प्रदेश में निर्यात परिदृश्य

- **निर्यात बढ़ा** ₹550 करोड़ (2003) से ₹19,185 करोड़ (2023-24).
- **फार्मास्युटिकल क्षेत्र का दबदबा** ₹10,000 करोड़ के वार्षिक निर्यात के साथ, यह राज्य के कुल निर्यात में **60%** और उत्तरी क्षेत्र के कुल निर्यात में **45%** का योगदान देता है, जो फार्मा निर्यात में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार: प्रमुख औद्योगिक नीति सुधार:

- ✓ डेटा सेंटर सहित आईटी पार्क।
- ✓ पर्यटन और संबद्ध गतिविधियाँ जिनमें साहसिक पर्यटन भी शामिल है,
- ✓ स्वास्थ्य, आयुष और कल्याण केंद्र,
- ✓ शिक्षण संस्थानों,
- ✓ एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप/आवास परियोजनाएं/रियल एस्टेट/एकीकृत
- ✓ आवासीय/कर्मचारी छात्रावास आदि।
- ✓ विनिर्माण और एकीकृत सेवा क्लस्टर से संबंधित सभी आकस्मिक सेवाएँ।

शुद्ध एसजीएसटी छूट:

- ए, बी और सी श्रेणियों (इस्पात विनिर्माण को छोड़कर) में शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए स्थायी पूंजी निवेश (एफसीआई) की सीमा को 7-10 वर्षों के लिए एफसीआई के 100% तक बढ़ा दिया गया है।
- एंकर इकाइयों के लिए, बी और सी श्रेणियों में एफसीआई सीमा 10 वर्षों के लिए 250% तक बढ़ा दी गई।

हिमाचल प्रदेश में एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) को बढ़ाना और तेज करना

- राज्य में **95%** उद्योग एमएसएमई श्रेणी में आते हैं।
- एमएसएमई को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ₹1,642 करोड़ **प्रस्तावित निवेश**।
- भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए **₹109.34 करोड़** प्रदान किए हैं।

हिमाचल प्रदेश में व्यापार करने में आसानी

- **120+ अंतर-विभागीय सेवाएँ** एकल खिड़की पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।
- न्यूनतम भू-क्षति तथा ऊर्ध्वाधर स्थानों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, भवन विनियमन मानदंडों में उदारतापूर्वक छूट दी गई है, जिससे आवंटित भूखंड का लगभग 70% भाग विनिर्माण सुविधाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।
- ऊर्ध्वाधर स्थानों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **फ़्लोर एरिया अनुपात (एफएआर)** में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

औद्योगीकरण के लिए भूमि बैंक

- सरकार निवेशकों के लिए बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित नए औद्योगिक क्षेत्र और एस्टेट स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, राज्य सरकार ने निम्नलिखित बड़े/सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया है:
  - ✓ **औद्योगिक क्षेत्र भोरंज**, जिला हमीरपुर।
  - ✓ **औद्योगिक क्षेत्र नैनोवाल**, जिला सोलन।
  - ✓ **औद्योगिक क्षेत्र सलूरी**, जिला ऊना।
  - ✓ **औद्योगिक क्षेत्र भद्रोग**, घुमारवीं, जिला बिलासपुर।
  - ✓ **औद्योगिक क्षेत्र थेडा**, तहसील बद्दी, जिला सोलन।
- उपरोक्त के अलावा, मंझोली और धबोटा में 1,000 बीघा सरकारी भूमि के हस्तांतरण का मामला भी अंतिम अनुमोदन के चरण में है।

पीएम विश्वकर्मा योजना - हिमाचल प्रदेश

- राज्य सरकार भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना को क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- लगभग 6,000 कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और टूलकिट के माध्यम से लाभ मिला है, जिससे वे योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं।

स्वरोजगार उद्यमों के लिए प्रोत्साहन: बेरोजगारी से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक पहल शुरू की हैं।

- **मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एमएमएसवाई)**
  - ✓ **₹300 करोड़ का निवेश** स्वीकृत किये गये, जिनमें 3,869 व्यक्तियों को रोजगार की सम्भावना है।
  - ✓ **1,381 आवेदकों में से 1,184** ने कुल 284 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए, कुल निवेश से 2,846 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ।
- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)**
  - ✓ पिछले दो वर्षों में ₹64.56 करोड़ की लागत के **972 मामलों** को मंजूरी दी गई है।
  - ✓ **13,427 महिला स्वयं सहायता समूह** को 50.31 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई गई।
  - ✓ यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए ऋण-लिंक्ड सब्सिडी, बीज पूंजी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

खनन विंग की मुख्य विशेषताएं

- पिछले वर्ष रॉयल्टी और जुर्माने से **₹315 करोड़ राजस्व** प्राप्त हुआ।

- अवैध खनन पर अंकुश लगाने और वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने के लिए **हिमाचल प्रदेश खनिज नीति-2024** शुरू की गई है।
- उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान 450 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा।

औद्योगिक नीतियों की मान्यता:

- राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त।
- 2024 में व्यवसाय करने में आसानी (ईओडीबी) के आकांक्षी राज्य के रूप में उभरना।
- पीएमएफएमई योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की।

विनिर्माण इकाइयों के लिए एकल खिड़की प्रणाली के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मौजूदा औद्योगिक परिदृश्य (15.01.2025 तक)

इकाइयां	श्रेणी की संख्या	निवेश (पी. एंड एम.) (करोड़)	परियोजना लागत (करोड़)	रोजगार
सूक्ष्म	29,210	1,519.67	53,519.51	1,25,476
लघु	1,335	4,164.42	8,284.04	60,367
मध्यम	207	4,459.46	8,500.50	38,015
बड़े	50	87,891.52	64,492.99	19,748
कुल	**30,802**	**98,035.07**	**1,34,797.04**	**2,43,606**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

एमएसएमई की संशोधित परिभाषा

समग्र मानदंडः संयंत्र और मशीनरी या उपकरण और वार्षिक कारोबार में निवेश			
वर्गीकरण	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**
विनिर्माण एवं सेवा प्रदान करने वाले उद्यम	निवेश < ₹1 करोड़	निवेश < ₹10 करोड़	निवेश <₹50 करोड़
	टर्नओवर <₹5 करोड़	टर्नओवर < ₹50 करोड़	< ₹250 करोड़ टर्नओवर

स्त्रोतः सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

- एमएसएमई के संशोधित चरित्रांकन से उनके विस्तार और उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। इस समायोजन से पैमाने की अर्थव्यवस्था उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि एमएसएमई को विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ मिलता रहे।
- सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कारोबारी माहौल को बढ़ाने के लिए कई पहलों को लागू किया है, जिसमें जुलाई 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 10 जनवरी 2025 तक राज्य में उद्यम पोर्टल पर 1,94,738 उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें से:
  - ✓ **1,90,775** (97.96%) माइक्रो हैं
  - ✓ **3,571** (1.83%) छोटे हैं
  - ✓ **392** (0.20%) मध्यम उद्यम हैं।

जिले का नाम	कुल उद्यम	माइक्रो	छोटा	मध्यम
एक प्रकार का हंस	32,750	31,298	1,252	200
कांगड़ा	32,458	31,893	531	34
शिमला	25,896	25,486	391	19
मंडी	23,369	23,076	281	12
कुल्लू	18,896	18,727	166	3
ऊना	14,064	13,792	252	20
हमीरपुर	11,995	11,850	139	6
सिरमौर	13,027	12,599	342	86
बिलासपुर	9,925	9,804	113	8
चंबा	8,591	8,506	81	4
किन्नौर	2,854	2,832	22	0
लाहौल-स्पीति	913	912	1	0
कुल	1,94,738	1,90,775	3,571	392
प्रतिशत	**100**	**97.96**	**1.83**	**0.2**

<u>एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना (आरएएमपी)</u>

- यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है।
- इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई क्षमता को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देकर, प्रक्रियाओं में सुधार करके और बाजार पहुंच को बढ़ाकर कवरेज को बढ़ाना, हरित पहल को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को गारंटी देना आदि।
- हिमाचल प्रदेश उद्योग निदेशालय ने आरएएमपी योजना के अंतर्गत भारत सरकार को रणनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) प्रस्तुत की है।
- एसआईपी को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए **109.34 करोड़ रुपये** का अनुदान स्वीकृत किया गया।

<u>हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति</u>

- औद्योगिक नीति 2019 का उद्देश्य एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों, सतत विकास को बढ़ावा दे और हिमाचल को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाए।
- 2022-23 में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अनुकूल वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति को दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया।
- नीति का लक्ष्य निम्नलिखित माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त करना है:
  - ✓ **ईओडीबी** कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर।
  - ✓ **नये औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।**
  - ✓ **विश्वसनीय, लागत प्रभावी बिजली प्रावधान ।**
  - ✓ निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों, रियायतों और सुविधाओं का सुव्यवस्थित वितरण।
  - ✓ सभी स्तरों पर 80% वास्तविक हिमाचलियों को रोजगार देने की शर्त के साथ प्रोत्साहन।

- **शुद्ध एसजीएसटी छूट:** शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति (इस्पात विनिर्माण को छोड़कर) के लिए निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई) की सीमा को ए, बी और सी श्रेणियों में 7-10 वर्षों के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकतम 100% तक बढ़ा दिया गया है। एंकर इकाइयों के लिए, बी और सी श्रेणियों में 10 वर्षों के लिए एफसीआई की सीमा 250% है।

<u>हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए फोकस क्षेत्र (अतिरिक्त)</u>

- विनिर्माण क्षेत्र के विकास को गति देने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विकास के केन्द्र बिन्दु के रूप में आठ प्रमुख उद्योगों की पहचान की है तथा उन्हें प्राथमिकता दी है।
- राज्य में 60 औद्योगिक क्षेत्र और 17 औद्योगिक सम्पदाएं हैं, जो 300 मिलियन से अधिक ग्राहकों (भारत की जनसंख्या का 25%) को बाजार तक पहुंच प्रदान करती हैं।
- विभिन्न स्थानों पर **नये औद्योगिक पार्क** के प्रस्ताव रखे गए हैं, जैसे:

परियोजना का नाम	जगह
औद्योगिक टाउनशिप और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	कांगड़ा
मेगा फूड पार्क योजना के तहत मेगा फूड पार्क	ऊना
मेगा टेक्सटाइल पार्क	ऊना
जैव प्रौद्योगिकी पार्क	अदुवाल
बल्क ड्रग पार्क	ऊना
चिकित्सा उपकरण पार्क	एक प्रकार का हंस
सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	मेहली, शिमला

- बद्दी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की सहायता से एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला प्रस्तावित है।
- भारत में फार्मा मांग में हिमाचल प्रदेश का योगदान 35% है।
- बल्क ड्रग पार्क का विकास ऊना जिले की हरोली तहसील में 1,405 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 2,071 करोड़ रुपये है।
- राज्य में "आमंत्रण के माध्यम से उद्योग" दृष्टिकोण के तहत उल्लेखनीय गति प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 2,500 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुए हैं।
- वर्तमान में नालागढ़ तहसील के धबोटा और बीर प्लासी में 1,350 बीघा सरकारी भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए हस्तांतरण के अंतिम चरण में है।

<u>सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास (एमएसई-सीडीपी) योजना के अंतर्गत आईडी क्लस्टरों की वर्तमान स्थिति</u>

- एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) की एमएसई-सीडीपी योजना के तहत तीन बुनियादी ढांचा विकास क्लस्टरों को भारत सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इन तीन आईडी परियोजनाओं की कुल लागत ₹32.35 करोड़ है।
- इसके अलावा, भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए 23.40 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता (जीआईए) प्रदान की है।

क्र. सं.	आईडी क्लस्टर का नाम	परियोजना लागत (₹करोड में)			स्थिति
		कुल	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश	
1.	खड़ीन, जिला सोलन में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे (सड़कें और नालियां) का उन्नयन	10.05	7.92	2.14	12.06.2023 को डी.सी.–एम.एस. एम.ई. द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई।
2.	जिला ऊना की तहसील जीतपुर बेहरी में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे (सड़कें और स्ट्रीट लाइट) का उन्नयन	12.24	8.00	4.24	17.07.2023 को डी.सी.–एम.एस. एम.ई. द्वारा अंतिम अनुमोदन समझौता।
3.	औद्योगिक क्षेत्र चरण–1, गोंदपुर, जिला सिरमौर में औद्योगिक बुनियादी ढांचे (सड़कें और नालियां) का उन्नयन	10.06	7.48	2.57	डी.सी.–एम.एस. एम.ई. द्वारा 17.07.2023 को अंतिम मंजूरी दी गई।

सरकारी पहल: राज्य प्रायोजित योजनाएँ

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एमएमएसवाई)

- हिमाचल प्रदेश के 18 से 45 वर्ष (महिलाओं के लिए 18 से 50 वर्ष) आयु के मूल युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कार्यान्वित कर रही है।

योजना के अंतर्गत प्रमुख लाभ:

I. महिलाओं और दिव्यांगजनों के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए **35% निवेश सब्सिडी,** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 30% और अन्य के लिए 25%, संयंत्र और मशीनरी (या उपकरण) में अधिकतम ₹60 लाख तक, कुल परियोजना लागत ₹1 करोड़ से अधिक नहीं।

II. 60 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 वर्षों के लिए @ 5% ब्याज सब्सिडी।

III. **औद्योगिक भूखंड, शेड, दुकानें** सी श्रेणी के क्षेत्रों में ऋण आवंटन के समय प्रचलित प्रीमियम के 25% पर आवंटित किया जाएगा।

IV. इस योजना के तहत निजी भूमि खरीद पर लागू दर का **3%** स्टाम्प शुल्क लगेगा।

V. राज्य सरकार संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) गारंटी शुल्क पर वास्तविक शुल्क/व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

VI. **103 पात्र सेवा गतिविधियाँ** (विनिर्माण को छोड़कर) इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एसएमएफपी):

- एफपीआई इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए **33.33% अनुदान सहायता,** अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये।
- कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना (गैर-बागवानी उत्पाद) के लिए **50% अनुदान सहायता,** अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों के लिए **75% अनुदान सहायता,** अधिकतम ₹2.50 करोड़ तक।
- मांस की दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए **75% अनुदान सहायता,** अधिकतम ₹5 लाख तक की राशि।
- प्रशीतित वाहनों की खरीद के लिए **50% अनुदान सहायता,** अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है।

मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजनाएं/नवीन उद्योग योजना

- इस पहल में उद्यमियों को उनके उद्यमों में सफलता दिलाने के लिए स्टार्टअप्स को कई प्रोत्साहन दिए जाने की परिकल्पना की गई है, जिनमें शामिल हैं: एक वर्ष के लिए 25,000 रुपये प्रति माह वजीफा। प्लग-एंड-प्ले क्षमताओं के साथ निःशुल्क इनक्यूबेशन सुविधाएँ।
- राज्य में उद्यम पूंजी और बीज निवेश को और अधिक सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने HIMSUP (हिमाचल स्टार्टअप) योजना शुरू की है, जिसमें शामिल हैं: राज्य में स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने के लिए पांच साल के लिए 10 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री के स्टार्टअप मिशन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

I. राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को सहायता, कार्य करने के लिए स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ पूरे राज्य में नि:शुल्क इनक्यूबेटर संचालित करने के लिए कुल 14 बिजनेस इनक्यूबेटरों को अधिकृत किया है।
II. इन्क्यूबेशन के लिए **365 स्टार्टअप** चयन किया गया है।
III. **हिमसप योजना** ने पूंजी सहायता के रूप में 9 विभिन्न व्यवसायों को लगभग 2.11 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
IV. चालू वित्त वर्ष (2024-25) में अब तक चयनित स्टार्टअप्स को 81.50 लाख रुपये का भरण-पोषण भत्ता वितरित किया जा चुका है।

- उद्योग विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र (एचपीसीईडी) उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देता है तथा स्टार्ट-अप योजना को समर्थन देता है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में, HPCED ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, IIM सिरमौर और AIIMS बिलासपुर को बाज़ार की रणनीतियों को संबोधित करने और मेडिकल/हेल्थकेयर स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में शामिल किया गया है।

ई.ओ.डी.बी. के तहत प्रावधान का स्नैपशॉट

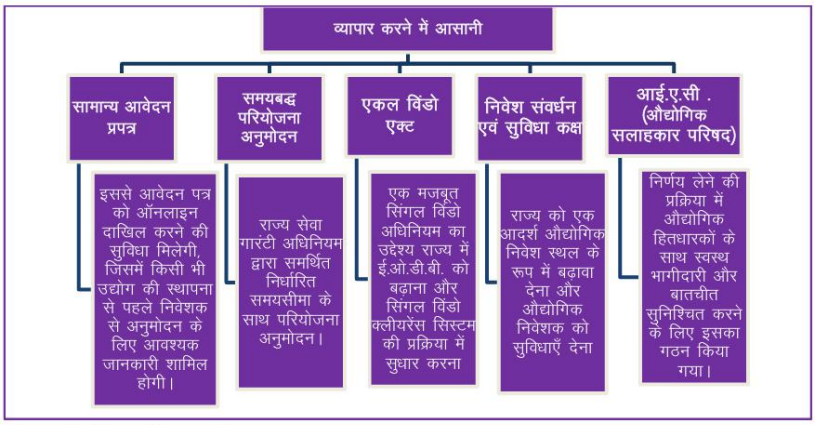

स्रोत: उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी):

- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने बीआरएपी 2022 के अंतर्गत 352 सुधार बिंदुओं में से 347 को क्रियान्वित करते हुए 99% का

कार्यान्वयन स्कोर हासिल किया है।

- यह 2014 में इस फ्रेमवर्क के लागू होने के बाद से राज्य का सर्वोच्च स्कोर है।
- राज्य को EoDB (BRAP-2022) रैंकिंग में "एस्पिरर्स कैटेगरी" में स्थान मिला है। इससे पहले, राज्य EoDB-2019 रैंकिंग में 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया था, जिससे यह भारत के पहाड़ी राज्यों में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य बन गया।

<u>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमएफई)</u>

- यह योजना खाद्य प्रसंस्करण में शामिल स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ, सहकारी समितियों और व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय, तकनीकी, अवसंरचनात्मक और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक बनाने में सहायता करती है।
- **व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता** पात्र परियोजना लागत पर 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख प्रति इकाई है।
- **स्वयं सहायता समूहों को बीज पूंजी** कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए प्रत्येक स्वयं सहायता समूह सदस्य को 40,000 रुपये।

<u>प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)</u>

- **ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना के** तहत केंद्र सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन करना है।
- योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत ₹50.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र में ₹20.00 लाख है।
- यदि कुल परियोजना लागत विनिर्माण और सेवा/व्यवसाय क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹50.00 लाख या ₹20.00 लाख से अधिक है, तो शेष राशि बैंकों द्वारा बिना किसी सरकारी सब्सिडी के प्रदान की जा सकती है।
- **सामान्य श्रेणी** के उम्मीदवारों को प्रस्तावित उद्यम/इकाई के स्थान के आधार पर 15-25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और परियोजना लागत में योगदान 10 प्रतिशत है।
- अन्य श्रेणियों के लिए, उम्मीदवारों को प्रस्तावित उद्यम/इकाई के स्थान के आधार पर 25-35 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और उनका योगदान केवल 5 प्रतिशत है।
- यह योजना उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एचपीकेवीआईबी), तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के राज्य कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

<u>प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएमवी योजना)</u>

- इस पहल का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है, तथा कौशल विकास के माध्यम से उनकी आजीविका में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- यह योजना टूल किट के लिए 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3.0 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त उद्यम विकास ऋण और बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान करती है।
- अब तक दो मेले आयोजित किए जा चुके हैं: जागरूकता के लिए जंगा शिमला उड़ान महोत्सव, और रामपुर मेला, जिसमें लगभग 15 व्यवसायों के 48 कारीगरों ने भाग लिया।

<u>यूनिटी मॉल: राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास का प्रतीक</u>

- भारत सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2023-24 के अंतर्गत जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित मोहाल चकवन ढगवार में यूनिटी मॉल की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

- इसके प्राथमिक उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देना, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) ढांचे के तहत स्वदेशी उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाना शामिल है।

रेशम उद्योग

- राज्य सरकार ने 1951 में उद्योग निदेशक के नियंत्रण में एक अलग रेशम उत्पादन विंग की स्थापना की है।
- रेशम उत्पादन 1,691 गांवों के लगभग 10,470 परिवारों के लिए काफी लाभदायक व्यवसाय है, जिनमें से अधिकांश बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों में पाए जाते हैं।
- रेशम उत्पादन करने वाले जिलों में, बिलासपुर रेशम कोकून का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो उत्पादन में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, इसके बाद मंडी (25 प्रतिशत), कांगड़ा (22 प्रतिशत) और हमीरपुर (16 प्रतिशत) का स्थान है।
- उद्योग विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आठ रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित किए हैं, जिनके अंतर्गत 79 सरकारी रेशम उत्पादन केन्द्र-सह-चॉकी पालन केन्द्र और 64 शहतूत फार्म कार्यरत हैं।

खनन एवं उत्खनन क्षेत्र

- सरकार ने राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए पांचवें संशोधन नियम, 2024 के साथ हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 में संशोधन किया है।
- निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

✓ अन्य स्रोतों/गैर-खनन गतिविधियों से उत्पन्न सामग्री के उपयोग के लिए, उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में देय रॉयल्टी के 75 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

✓ प्रत्येक खनिज रियायत धारक को ईवी शुल्क पर 5 रुपये प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में 5 रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में 2 रुपये प्रति टन का भुगतान करना होगा।

✓ राज्य में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित करने के लिए नदी तल की खनन गहराई 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर कर दी गई है।

✓ सरकार ने टिकाऊ, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के लिए दस वर्षों से अधिक समय के बाद संशोधित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति-2024 भी अधिसूचित की है।

✓ वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण 2023-24 के दौरान खनन से राजस्व सृजन 2022-23 में 241 करोड़ रुपये से बढ़कर 315 करोड़ रुपये हो गया है। 2024-25 के लिए अनुमानित राजस्व लगभग 400 करोड़ रुपये है।

सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र और उसके उप-क्षेत्रों का योगदान

- राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए उद्योग क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का अनुमानित मूल्य ₹86,695 करोड़ है।
- विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र द्वारा जोड़े गए समग्र मूल्य में नाममात्र सकल मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) का 65.49 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि शेष 34.51 प्रतिशत योगदान निर्माण, खनन और उत्खनन, तथा बिजली और अन्य उपयोगिताओं के उप-क्षेत्रों से आता है।
- वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में उद्योग क्षेत्र (खनन और उत्खनन सहित) का योगदान वित्त वर्ष 2024-25 में 40.00 प्रतिशत है, जिसमें से:
  - ✓ **26.19 प्रतिशत** विनिर्माण क्षेत्र से आता है,
  - ✓ **7.68 प्रतिशत** निर्माण से, और

- ✓ **5.66 प्रतिशत** बिजली, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं से।

- वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020-21 में 0.30 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 0.46 प्रतिशत हो गया है।

उद्योग क्षेत्र और उसके उप-क्षेत्रों का विकास

- अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में उद्योग क्षेत्र का जीएसवीए 8.1% बढ़ने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय स्तर पर, इसी अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र का GVA स्थिर रूप से 6.5% बढ़ा।

विनिर्माण क्षेत्र

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 7.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह उद्योग क्षेत्र में तीसरा सबसे अधिक बढ़ने वाला उप-क्षेत्र बन जाएगा।
- 2013-14 से 2024-25 तक, विनिर्माण क्षेत्र ने सभी उप-क्षेत्रों में 8.3% की उच्चतम CAGR दर्ज की।

उद्योग क्षेत्र का उप-क्षेत्रवार योगदान और कुल जीएसवीए में इसका योगदान (वर्तमान मूल्यों पर)

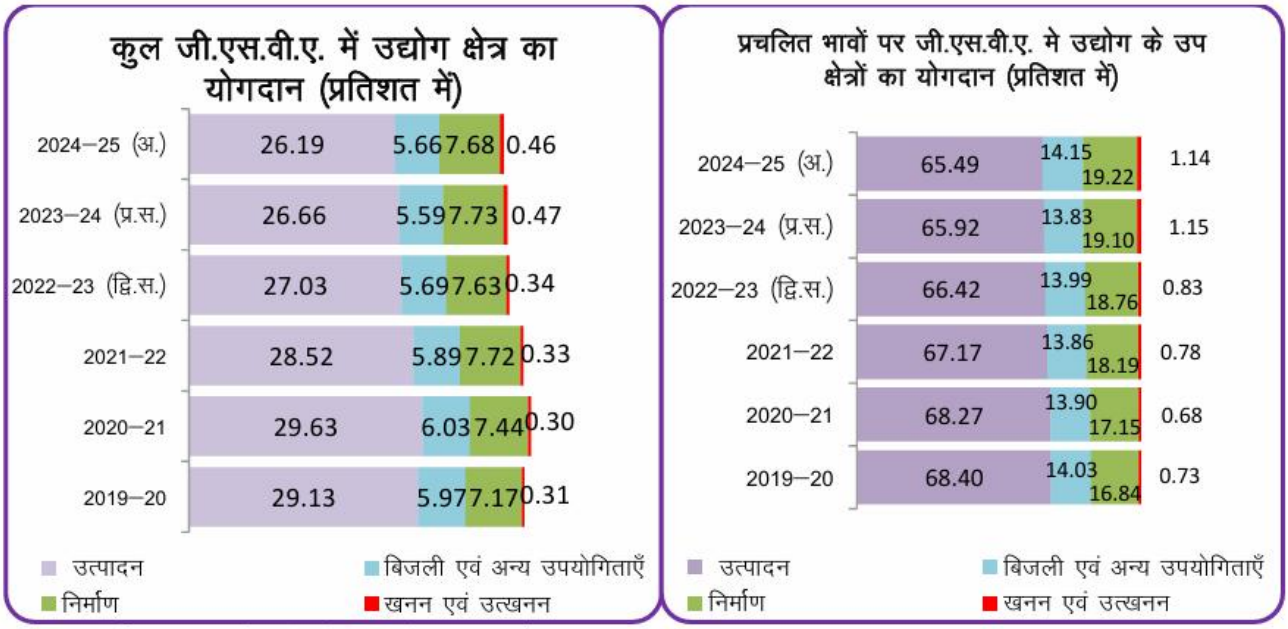

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्माण क्षेत्र

- वित्त वर्ष 2024-25 में निर्माण क्षेत्र के 9.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह उद्योग क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक बढ़ने वाला उप-क्षेत्र बन जाएगा।

बिजली, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बिजली, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में 11.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ने वाला उप-क्षेत्र बन जाएगा

खनन एवं उत्खनन क्षेत्र

- वित्त वर्ष 2024-25 में खनन और उत्खनन क्षेत्र में 6.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र की उप-क्षेत्रवार वृद्धि दर

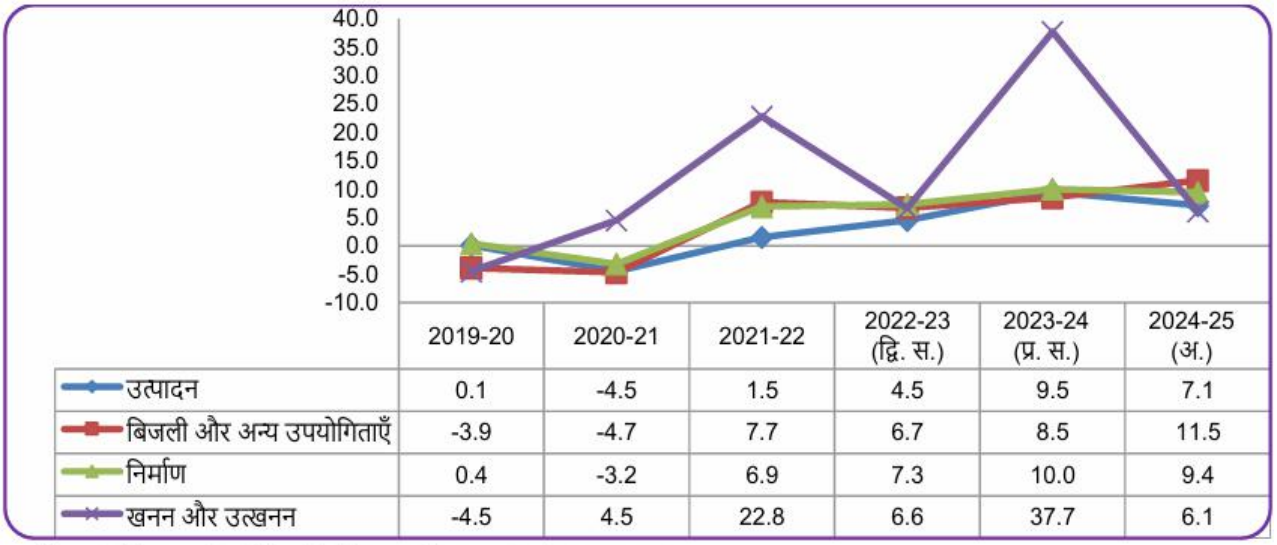

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (द्वि. स.)	2023-24 (प्र. स.)	2024-25 (अ.)
उत्पादन	0.1	-4.5	1.5	4.5	9.5	7.1
बिजली और अन्य उपयोगिताएँ	-3.9	-4.7	7.7	6.7	8.5	11.5
निर्माण	0.4	-3.2	6.9	7.3	10.0	9.4
खनन और उत्खनन	-4.5	4.5	22.8	6.6	37.7	6.1

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग क्षेत्र में रोजगार योगदान

- पीएलएफएस 2022-23 के अनुसार, राज्य के 17.18% कामकाजी वयस्क उद्योग क्षेत्र में कार्यरत थे, जो 2023-24 में बढ़कर 22.04% हो गए।
- **निर्माण (11.52%)** और विनिर्माण (8.60%) उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार सृजन उप-क्षेत्र हैं।
- अन्य दो उप-क्षेत्र (खनन एवं उत्खनन तथा विद्युत एवं उपयोगिताएँ) मिलकर राज्य के 1.92% कार्यबल को रोजगार प्रदान करते हैं।
- 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी 41% बनी रहेगी।
- बिजली और उपयोगिता क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी 2022-23 में 7% से घटकर 2023-24 में 4% हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में उद्योग क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों (15-59 वर्ष) का प्रतिशत

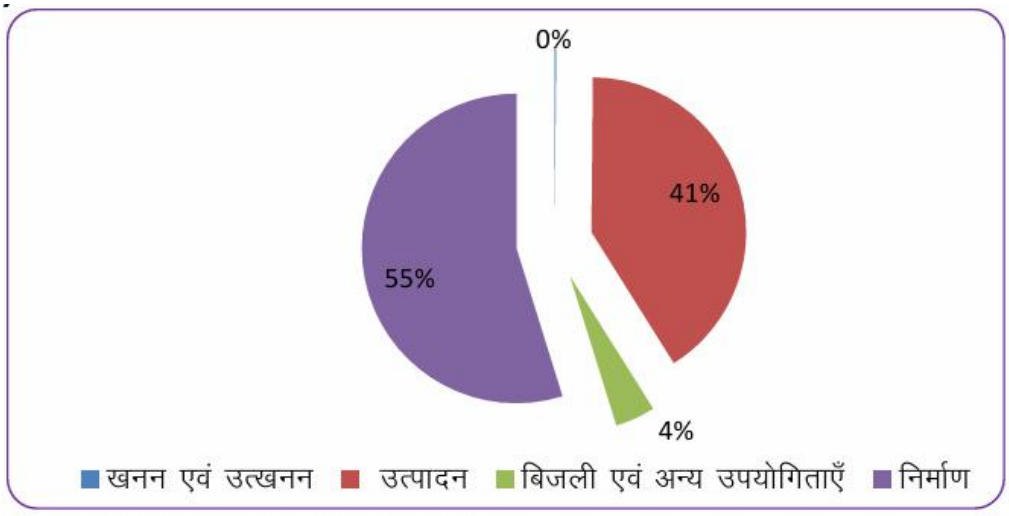

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24

कार्यशील जनसंख्या का क्षेत्रवार वितरण (पीएलएफएस 2023-24)

- **प्राथमिक क्षेत्र**कुल कार्यबल का 53.98%.
- **द्वितीयक क्षेत्र**कुल कार्यबल का 22.01%.
- **तृतीयक क्षेत्र**कुल कार्यबल का 24.01%.

हिमाचल प्रदेश के लिए उद्योग (एनआईसी-2008 के उद्योग अनुभाग) द्वारा सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (कुल कार्यबल में से)

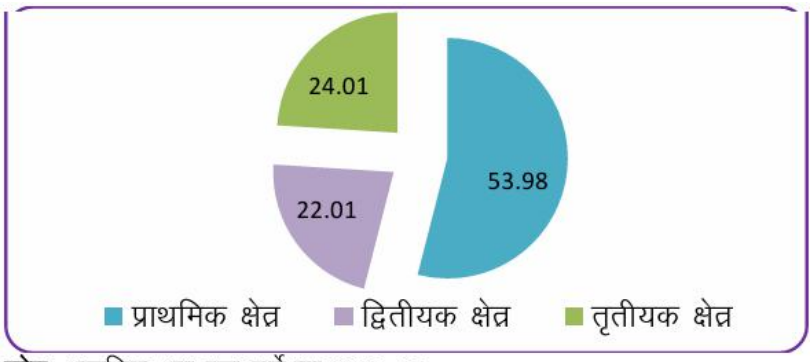

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24

- हिमाचल प्रदेश में द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत कार्यशील जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में 44.3% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 19.5% है।
- हिमाचल प्रदेश में द्वितीयक क्षेत्र में लिंग आधारित रोजगार निम्नानुसार है:
  - ✓ **ग्रामीण इलाकों**: 7.2% महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं। 30.63% पुरुष द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
  - ✓ **शहरी क्षेत्र**: 28.19% महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं (ग्रामीण महिलाओं की तुलना में 20.99% अधिक)। 50.63% पुरुष द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

हिमाचल प्रदेश के लिए द्वितीयक क्षेत्र में सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (ग्रामीण, शहरी तथा पुरुष एवं महिला)

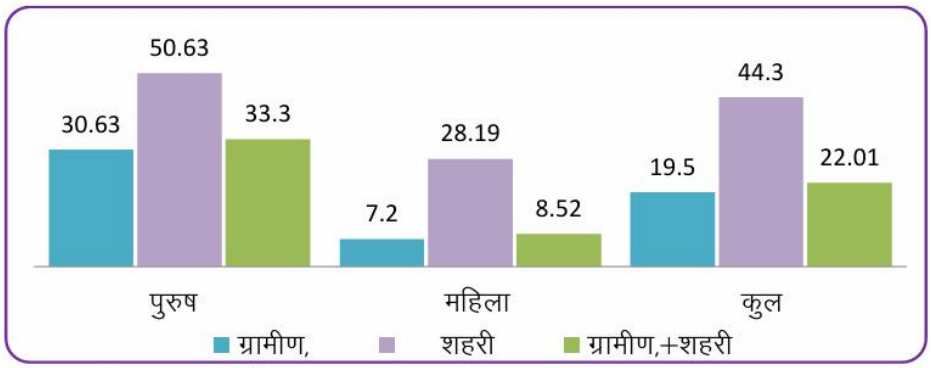

स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023–24

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना और विकसित करना है, जिससे ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान मिल सके।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राज्य भर में 13 सक्रिय खादी संस्थानों के संचालन की देखरेख करता है।

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एचपीकेवीआईबी)

- हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एचपीकेवीआईबी) एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 8 नवंबर, 1966 को विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
- यह आधिकारिक तौर पर 8 जनवरी 1968 को अस्तित्व में आया।
- हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एचपीकेवीआईबी) वर्तमान में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में बेरोजगार युवाओं और कारीगरों की सहायता करना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी)

- हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) के पास बद्दी और दावनी में कुल 424 बीघा औद्योगिक भूखंड हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) ने संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस) के तहत सिविल कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके परिणामस्वरूप, इसने कंदरोरी और पंडोरा में "अत्याधुनिक" औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और मेसर्स बिचेम एस्फाल्ट लिमिटेड का कोल्ड मिक्स उत्पादों के लिए अधिकृत डीलर है। हिमाचल प्रदेश में मेसर्स सेल इंडिया और टाटा स्टील के स्टील उत्पादों का व्यापारी है।
- जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- ऊना जिले में बल्क ड्रग पार्क के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- जिला कांगड़ा में यूनिटी मॉल का विकास।

हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड (एचपीआईडीबी)

- हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड (एचपीआईडीबी) की स्थापना 28 जनवरी, 2002 को हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास अधिनियम, 2001 के अंतर्गत की गई थी।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां/नीतिगत पहल

- **एचपीआईडीबी** सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 25 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक स्वीकृत किया गया है
- पीपीपी मोड पर किन्नू, चिंतपुरानी में माता-का बाग के विकास के लिए परामर्शदाता/लेन-देन सलाहकार की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
- सुकेती, नाहन, सिरमौर में जीवाश्म पार्क के विकास के लिए लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
- पीपीपी मोड पर जिला मंडी के सुंदरनगर में अटल पार्किंग को पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
- नई दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव का प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

- इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में उद्योग क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाना है।
- हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर किया जा रहा है।

- सामान्य सूचकांक ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है:

✓ **वित्त वर्ष 2022-23**: 235.3 से बढ़कर 248.6 हो गया, जो 5.7% की वृद्धि दर्शाता है।

✓ **वित्त वर्ष 2023-24**: 248.6 से बढ़कर 291.8 हो गया, जो 17.4% की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, जून 2024 और सितंबर 2024 तिमाहियों के आंकड़ों के आधार पर, सामान्य सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में 7.9% की वृद्धि हुई है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 10 जनवरी 2025 तक राज्य में उद्यम पोर्टल पर 1,94,738 उद्यम पंजीकृत किये जा चुके हैं।
2. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में हिमाचल प्रदेश को 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता' के रूप में मान्यता दी गई है।
3. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 7.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है,

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3 D) 1, 2, और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 1950-51 में 7% से बढ़कर 2023-24 में 42.4% हो गया है।
2. हिमाचल प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूलेशन हब है, जहां 600 से अधिक फार्मा इकाइयां कार्यरत हैं।
3. राज्य ने स्वयं को एक प्रमुख सीमेंट उत्पादक और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जिसकी निर्यात क्षमता 19,185 करोड़ रुपये है।
4. हिमाचल प्रदेश का तृतीयक क्षेत्र 2023-24 में राज्य जीएसडीपी में 50% का योगदान देगा।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 3 D) केवल 4

3. हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य में 95% उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
2. ऊना में बल्क ड्रग पार्क 1,405 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी कुल परियोजना लागत 2,071 करोड़ रुपये है, जिसे आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
3. राज्य से वार्षिक फार्मा निर्यात लगभग ₹10,000 करोड़ है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल निर्यात का 60% है।
4. ए, बी और सी श्रेणी के उद्योगों में वित्तीय पूंजी निवेश (एफसीआई) सब्सिडी (इस्पात विनिर्माण को छोड़कर) की अधिकतम सीमा 7 से 10 वर्षों के लिए 150% तय की गई है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 3 D) केवल 4

4. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची I (औद्योगिक पार्क)	सूची II (स्थान)
A. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	1. ऊना
B. मेगा टेक्सटाइल पार्क	2. कांगड़ा
C. मेडिकल डिवाइस पार्क	3. सोलन
D. जैव प्रौद्योगिकी पार्क	4. अदुवाल

A) A-2, B-1, C-3, D-4 B) A-3, B-1, C-4, D-2
C) A-2, B-4, C-1, D-3 D) A-1, B-2, C-3, D-4

5. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (एमएमएसवाई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना महिलाओं और दिव्यांगजनों के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में 35% निवेश सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये है।

2. 60 लाख रुपये तक के ऋण पर 5 वर्षों के लिए 5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
3. सी श्रेणी क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंड, शेड और दुकानें आवंटन के समय प्रचलित प्रीमियम के 25% पर आवंटित की जाती हैं।
4. विनिर्माण गतिविधियों को योजना के अंतर्गत शामिल 103 पात्र सेवा गतिविधियों से बाहर रखा गया है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1, 3, और 4 B) केवल 1, 2, और 3
C) केवल 2, 3 और 4 D) केवल 1 और 4

6. हिमाचल प्रदेश में रेशम उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रेशम उत्पादन विंग की स्थापना 1951 में उद्योग निदेशक के नियंत्रण में की गई थी।
2. बिलासपुर राज्य में रेशम कोकून का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन में 35% का योगदान देता है।
3. उद्योग विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 10 रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित किए हैं।
4. राज्य में कुल 79 सरकारी रेशम उत्पादन केन्द्र-सह-चॉकी पालन केन्द्र और 64 शहतूत फार्म संचालित हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1, 2, और 4 B) केवल 1, 3, और 4
C) केवल 2, 3 और 4 D) केवल 1 और 4

7. सूची I (उद्योग उप-क्षेत्र) को सूची II (वित्त वर्ष 2024-25 में अपेक्षित विकास दर) के साथ सुमेलित करें

सूची I (उद्योग उप-क्षेत्र)	सूची II (वित्त वर्ष 2024-25 में अपेक्षित वृद्धि दर)
A. विनिर्माण क्षेत्र	1. 7.1%
B. निर्माण क्षेत्र	2. 9.4%
C. बिजली, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	3. 11.5%
D. खनन और उत्खनन क्षेत्र	4. 6.1%

A) A-2, B-1, C-4, D-3 B) A-1, B-2, C-3, D-4
C) A-3, B-4, C-2, D-1 D) A-1, B-3, C-2, D-4

8. हिमाचल प्रदेश में द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. ग्रामीण क्षेत्रों में 7.2% महिलाएं और 30.63% पुरुष द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
2. द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत शहरी महिलाओं का प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की तुलना में 20.99% अधिक है।
3. शहरी क्षेत्रों में 50.63% पुरुष द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में 44.3% कार्यशील जनसंख्या द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत है।
A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 1, 2, और 3 D) ऊपर के सभी

9. हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (एचपीकेवीआईबी) की स्थापना कब की गई थी?
A) 15 अगस्त, 1947 B) 8 नवंबर, 1966
C) 26 जनवरी, 1950 D) 2 अक्टूबर, 1972

10. हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड (एचपीआईडीबी) की स्थापना कब की गई थी?
A) 1 जनवरी, 2000 B) 15 मार्च, 2001
C) 28 जनवरी, 2002 D) 10 दिसंबर, 2003

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	D	A	A	A	B	C	B	C

अध्याय 10
ऊर्जा

मुख्य अंश:

- कुल 40 मेगावाट क्षमता वाली पांच परियोजनाएं चालू की गईं:
  - ✓ थुचानिंग (1.5 मेगावाट)– कुल्लू
  - ✓ लूनी (4.5 मेगावाट)– कांगड़ा
  - ✓ सेल्टी मसरंग (24 मेगावाट)– किन्नौर
  - ✓ कुवारसी (9.9 मेगावाट)– चंबा
  - ✓ रुद्र (0.75 मेगावाट)– कांगड़ा
- हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) ने वित्त वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर 2024 तक) के दौरान **₹1535 करोड़** का राजस्व अर्जित किया है
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) **489.35 मेगावाट** की कुल स्थापित क्षमता के साथ 27 जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) का संचालन करता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला चम्बा के तिस्सा क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए एचपीएसईबीएल को 4 नई जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित की हैं:
  - ✓ देवी कोठी (16 मेगावाट)
  - ✓ साईं कोठी-I (15 मेगावाट)
  - ✓ साईं कोठी-II (18 मेगावाट)
  - ✓ हेल (18 मेगावाट)
- हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी जी मंदिर के पास 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा सुविधा स्थापित की है। यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित पहली सौर ऊर्जा परियोजना है।

परिचय

- हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जो भारत की कुल क्षमता का लगभग 25% है।
- राज्य में अपनी पांच बारहमासी नदी घाटियों पर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 24,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन की क्षमता है।
- राज्य की कुल 24,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता में से, अब तक विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 11,290 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है।
- हिमाचल प्रदेश में बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ता **इंडस्ट्रीज** हैं, इसके बाद घरेलू उपभोक्ता का स्थान आता है।

ऊर्जा निदेशालय (डीओई)

- हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन ऊर्जा निदेशालय (डीओई) राज्य के ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन और अनुकूलन के लिए जिम्मेदार है।
- यह बहुउद्देश्यीय परियोजना (एमपीपी) और विद्युत विभाग के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
- महत्वपूर्ण कार्यों
  - ✓ जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन (5 मेगावाट क्षमता से अधिक)
  - ✓ तकनीकी-आर्थिक मंजूरी (टीईसी) प्रदान करनाबिजली परियोजनाओं के लिए।
  - ✓ जलविद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करनाऔर पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं को संबोधित करना।

- ✓ स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का प्रबंधन.
- ✓ बिजली प्रवाह और GoHP के बिजली शेयर की बिक्री की निगरानीविभिन्न केन्द्रीय, राज्य एवं निजी जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त धनराशि।
- ✓ राज्य में बड़े बांधों की गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा पर्यवेक्षण।
- ✓ ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देनासभी क्षेत्रों में।

क्षमता वृद्धि

- हिमाचल प्रदेश में कुल 40 मेगावाट क्षमता वाली पांच जलविद्युत परियोजनाएं चालू की गईं:

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	ज़िला
थुचानिंग	1.5	कुल्लू
लूनी	4.5	कांगड़ा
सेल्टी मसरंग	24	किन्नौर
कुवारसी	9.9	चंबा
रुद्र	0.75	कांगड़ा

हिमाचल प्रदेश सरकार की परियोजनाओं में पात्रता

क्रमांक	पावर स्टेशन श्रेणी	निःशुल्क एवं इक्विटी विद्युत शेयर (मेगावाट में)	परियोजनाओं की संख्या
1	केन्द्र क्षेत्र स्टेशन	558	8
2	राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं	59	10
3	साझा पीढ़ी परियोजनाएं	28	2
4	निजी क्षेत्र की परियोजनाएं	297.18	100
a)	**कुल रॉयल्टी पावर (1+2+3+4)**	**942.18**	**120**
b)	इक्विटी पावर	438	-
कुल विक्रय योग्य शक्ति (a+b)		**1380.18**	**120**

- हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्य में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में 1380.18 मेगावाट की बिजली की पात्रता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) ने वित्त वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर 2024 तक) के दौरान बिजली की बिक्री पर रॉयल्टी और जलविद्युत परियोजनाओं में अपने हिस्से की बिक्री से **₹1535 करोड़** कमाए हैं।
- इसके अतिरिक्त, मार्च 2025 तक **₹265 करोड़** का अनुमानित राजस्व अपेक्षित है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल)

- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) का गठन 1 सितंबर 1971 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम (1948) के प्रावधानों के तहत किया गया था। बाद में, इसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- एचपीएसईबीएल हिमाचल प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एचपीएसईबीएल ने जिला किन्नौर में अपने बिजलीघरों से सबसे अधिक बिजली यूनिट उत्पन्न की, उसके बाद जिला मंडी का स्थान रहा।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के पास राज्य के पांच जिलों सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर में कोई बिजलीघर नहीं है।

जल विद्युत उत्पादन

- एचपीएसईबीएल में 489.35 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 27 जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालनरत हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा 1,664.57 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई।
- **यूएचएल स्टेज-III (100 मेगावाट) एचईपी** इसका निर्माण एचपीएसईबीएल की सहायक कंपनी ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीपीसीएल) द्वारा किया जा रहा है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 1,528.11 एमयू ऊर्जा उत्पन्न की जा चुकी है।
- मार्च 2025 तक 233.77 एमयू अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान है।

हस्तांतरण

- एचपीएसईबीएल की ट्रांसमिशन शाखा ने 62 अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) उप-स्टेशन स्थापित किए हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 से दिसंबर 2024 तक 76.2 एमवीए क्षमता वाले 6 ईएचवी सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं और 32.839 सीकेएम ईएचवी लाइनें चालू की गई हैं।

एचपीएसईबीएल के अंतर्गत नई जल विद्युत परियोजनाएं

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला चम्बा के तिस्सा क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए एचपीएसईबीएल को 4 परियोजनाएं आवंटित की हैं:

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
देवी कोठी	16 मेगावाट
साईं कोठी-I	15 मेगावाट
साईं कोठी-II	18 मेगावाट
हेल	18 मेगावाट

योजनाओं

प्रणाली सुधार (एसआई) योजना

- हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 158 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई और वर्तमान में इसे राज्य भर में लागू किया जा रहा है।
- इस योजना में 992 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) की स्थापना, 1,133.25 किलोमीटर उच्च-तनाव (एचटी) लाइनों का निर्माण, तथा कम वोल्टेज प्रभावित क्षेत्रों में 325 किलोमीटर निम्न-तनाव (एलटी) लाइनों का निर्माण शामिल है।

पुनरूद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस):

- इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाना है।
- इस योजना का उद्देश्य समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी.एंड.सी.) हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15 प्रतिशत तक कम करना है।
- **पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) में दो मुख्य घटक शामिल हैं**
  - ✓ **मीटरिंग घटक:** हिमाचल प्रदेश में इस योजना के लिए एचपीएसईबीएल (77.50%), भारत सरकार (22.50%) द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।
  - ✓ **हानि न्यूनीकरण एवं वितरण अवसंरचना कार्य:** जून 2023 में आरडीएसएस के तहत **₹1,883.94 करोड़** स्वीकृत किए गए।

- ✓ **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी):** हिमाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर स्पीति, कल्पा और पूह के गांवों को विकसित करने के लिए 15 फरवरी, 2023 को मंजूरी दी गई। पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास के माध्यम से आजीविका सृजन। कृषि, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती में सहकारी समितियों का उद्यमिता और संवर्धन।

- **थरोट से किलाड़ तक 33 केवी लाइन का निर्माण**चंबा जिले की पांगी घाटी में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए।

विद्युत प्रणाली विकास निधि

- शिमला, हमीरपुर टाउन और नादौन में भूमिगत केबलिंग कार्य को 65 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी गई है और कार्य प्रगति पर है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहल

- **100% कम्प्यूटरीकृत बिलिंग** 95% उपभोक्ता एसएमएस, ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से मासिक बिल प्राप्त करते हैं।
- नए कनेक्शन, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, बिल भुगतान और शिकायत पंजीकरण जैसी डिजिटल सेवाओं के लिए **समर्पित उपभोक्ता पोर्टल** लॉन्च किया गया।
- **92%** डिजिटल लेनदेन (यूपीआई, नेट बैंकिंग, लोक मित्र केंद्र आदि) के माध्यम से **मासिक बिजली बिल भुगतान** किए जाते हैं।
- शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक समय में बिजली की खपत और गुणवत्ता की निगरानी के लिए **स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप** योजना शुरू की गई है।
- सभी व्यावसायिक लेनदेन के लिए एचपीएसईबीएल में इसे पूर्णतः **एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)** क्रियान्वित किया गया है।
- कागज रहित और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए **विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल** विकसित किया गया है, जिसमें विक्रेता चालान प्रबंधन, गेस्ट हाउस बुकिंग, बजट नियंत्रण, सुरक्षा वापसी और पेंशन सेवाएं शामिल हैं।
- शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए **24x7 आईवीआरएस और उपभोक्ता शिकायत केंद्र**।
- बेहतर आपूर्ति निगरानी और स्वचालित आउटेज अधिसूचनाओं के लिए 339 फीडरों के 54 शहरों में **वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली (RTDAS)** लागू किया गया है।
- शिमला जोन में 9,34,409 स्मार्ट मीटर लगाए गए; मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जोन के लिए **आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग** निविदा प्रक्रिया में है।

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल)

- **दिसंबर 2006 में स्थापित** कंपनी अधिनियम 1956 के तहत।
- हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार।

एचपीपीसीएल के पास जलविद्युत की निम्नलिखित परियोजनाएं हैं

क्रमांक	परियोजनाओं की क्षमता	(मेगावाट)	नदी	नदी का जलाशय
1	एकीकृत काशांग	243	काशांग	सतलुज
2	सावरा कुड्डू	111	पब्बर	पब्बर
3	सैंज	100	सैंज	सैंज
4	शोंगटोंग करचाम	450	सतलुज	सतलुज
5	रेणुका जी	40	गिरि	यमुना

6	थाना प्लाउन	191	ब्यास	ब्यास
7	किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना	660	टन	यमुना
8	काशांग चरण-IV	48	काशांग	सतलुज
9	गिस्पा बांध परियोजना	300	भागा	चिनाब
10	त्रिवेणी महादेव एचईपी	72	बिनवा	ब्यास
11	सुरगानी सुंडला एचईपी	48	स्यूल	रवि
12	जंगी थोपन पोवारी	780	सतलुज	सतलुज
13	चांजू-III एचईपी	48	चंजुनल्लाह	रवि
14	थाना प्लाऊन पम्प स्टोरेज परियोजना	270	ब्यास	ब्यास
15	रेणुकाजी पम्प स्टोरेज परियोजना	1630	गिरि	यमुना

<u>विद्युत विकास के अन्य क्षेत्र:</u>

i. बेरा-डोल सौर ऊर्जा परियोजना (5 मेगावाट)

- **एचपीपीसीएल** ने श्री नैना देवी जी मंदिर, बिलासपुर के पास 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा सुविधा का निर्माण किया है। यह हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा स्थापित पहली सौर ऊर्जा परियोजना थी। 150-200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ
- मार्च 2025 तक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन लक्ष्य 50.42 एमयू है।

ii. पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना (32 मेगावाट):

- एचपीपीसीएल ने ऊना जिले के पेखुबेला में 32 मेगावाट की परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है।
- मार्च 2025 तक पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना के लिए लक्ष्य उत्पादन 62.85 एमयू है।

iii.भंजल सौर ऊर्जा परियोजना (5 मेगावाट):

- एचपीपीसीएल ने जिला ऊना की तहसील अम्ब में 5 मेगावाट की परियोजना का निर्माण पूरा कर लिया है।

iv. सौर ऊर्जा परियोजनाएं:

- ऊना जिले में अघ्लोर सौर ऊर्जा परियोजना लगभग पूरी होने वाली है और जनवरी 2025 तक चालू होने की उम्मीद है।
- गोंदपुर बुल्ला सौर ऊर्जा परियोजना (12 मेगावाट) और लमलेहरी उपरली सौर ऊर्जा परियोजना (11 मेगावाट) अगस्त 2025 तक पूरी होने वाली है।
- **200 मेगावाट सौर परियोजना**कांगड़ा जिले के डमटाल के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।
- **सात सौर ऊर्जा परियोजनाएँ**लगभग 173 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 100 परियोजनाएं वर्तमान में वन मंजूरी अनुमोदन (एफसीए) प्रक्रिया से गुजर रही हैं।

<u>वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं का विकास:</u>

- 26 अप्रैल, 2023 को एचपीपीसीएल और मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत, दोनों संस्थाओं ने हिमाचल प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त रूप से परियोजनाएं विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना शुरू हो गई है, जिसके लिए ईपीसी निविदा 9 सितंबर, 2024 को मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्रदान की जाएगी।
- 2 टीपीडी संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना शुरू हो गई है।

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल)

- इसका उद्देश्य पारेषण नेटवर्क का विस्तार करना तथा नए उत्पादन संयंत्रों से विद्युत की निर्बाध निकासी को सक्षम बनाना है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निगम को सौंपे गए कार्यों में 66 किलोवोल्ट (केवी) और उससे अधिक वोल्टेज रेटिंग वाली ट्रांसमिशन लाइनों और सब-स्टेशनों सहित सभी नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।
- हरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए **हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-I (जीईसी-I),** किफायती पारेषण प्रणाली विकसित करने हेतु पहल की गई है।
- इस योजना का 40% वित्तपोषण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) अनुदान से, 40% वित्तपोषण जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू ऋण) से तथा शेष वित्तपोषण इक्विटी से किया जाता है।
- जीईसी-I के अंतर्गत एचपीपीटीसीएल द्वारा ग्यारह परियोजनाओं का निर्माण किया जाना था।

हिमुर्जा

हिमुर्जाराज्य में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 1989 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से गठित किया गया था।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं/संयंत्र

- **जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाएं:** चरण-I के अंतर्गत 73.6 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए 83 सौर ऊर्जा परियोजना (एसपीपी) डेवलपर्स को अनंतिम पंजीकरण पत्र जारी किए गए हैं।
- **ग्रिड से जुड़े सौर छत बिजली संयंत्र:** दिसंबर 2024 तक कुल 317 किलोवाट क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र चालू कर दिए गए हैं।
- **ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र:** दिसंबर 2024 तक 4 kWp क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
- **एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम:** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, दिसंबर 2024 तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 14,454 सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम स्थापित किए गए थे। मार्च 2025 तक अनुमानित उपलब्धि लगभग 16,000 प्रतिष्ठानों तक पहुंचने की उम्मीद है।
- **एसपीवी घरेलू लाइट:** राज्य में अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 53 सौर गृह प्रकाश प्रणालियां प्रदान की गई हैं।

सौर तापीय कार्यक्रम

- **सौर जल तापन प्रणाली:** दिसंबर 2024 तक, 19,800 लीटर प्रतिदिन की कुल क्षमता वाली सौर जल तापन प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। मार्च 2025 तक अनुमानित क्षमता लगभग 21,000 लीटर प्रतिदिन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- **सौर कुकर:** दिसंबर 2024 तक 29 बॉक्स-टाइप और डिश-टाइप सोलर कुकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मार्च 2025 तक इनकी संख्या लगभग 35 तक पहुंचने की उम्मीद है।

5 मेगावाट तक की लघु जलविद्युत परियोजनाएँ

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, दिसंबर 2024 तक 9.75 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 जलविद्युत परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए:

सूची I (हाइड्रो परियोजना)	सूची II (क्षमता
A. किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना	1. 300 मेगावाट में)
B. काशांग चरण-IV	2. 72

C. गिस्पा बांध परियोजना	3. 660
D. त्रिवेणी महादेव एचईपी	4. 48

A) A-3, B-4, C-1, D-2 B) A-1, B-2, C-3, D-4
C) A-3, B-1, C-4, D-2 D) A-4, B-2, C-3, D-1

2. भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?

A) कांगड़ा B) ऊना
C) हमीरपुर D) बिलासपुर

3. हिमऊर्जा का गठन किस वर्ष किया गया था?

A) 1985 B) 1987
C) 1989 D) 1991

4. दमताल सौर परियोजना किस वर्ष तक चालू होने की उम्मीद है?

A) 2025 B) 2026
C) 2027 D) 2024

5. हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

A) 2004 B) 2005
C) 2006 D) 2007

Answer Key

1	2	3	4	5
A	B	C	B	C

अध्याय 11
श्रम और रोजगार

मुख्य अंश:

- ❖ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश (60.5) के लिए सभी आयु वर्गों की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) उत्तराखंड (46.2), पंजाब (43.7), हरियाणा (37.4) और भारत (45.1) से अधिक है। महिलाओं के लिए, यह इन सभी राज्यों (उत्तराखंड को छोड़कर) और पूरे भारत से दोगुने से भी अधिक है।
- ❖ हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में सभी आयु वर्गों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) (57.2) उत्तराखंड (44.2), पंजाब (41.3), हरियाणा (36.1) और भारत (43.7) से बेहतर है। सर्वेक्षण के परिणामों से यह स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में अधिक महिलाएँ (51.8 प्रतिशत) अखिल भारतीय स्तर पर और पड़ोसी राज्यों में भी अपने समकक्षों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।
- ❖ अनुसार पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत थी। सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 3.2 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.0 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए यह दर 4.8 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 18.2 प्रतिशत थी।
- ❖ **हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एचपीकेवीएन)** एक राज्य सरकार निगम है जिसे 14 सितंबर, 2015 को राज्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कौशल मिशन बनाया गया था । यह हिमाचल प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो प्रमुख परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।
  - (i) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना (एचपीएसडीपी) को सहायता प्रदान की और
  - (ii) राज्य द्वारा प्रबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0

रोजगार परिदृश्य: हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्य और भारत

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश (60.5) के लिए सभी आयु वर्गों की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) उत्तराखंड (46.2), पंजाब (43.7), हरियाणा (37.4) और भारत (45.1) से अधिक है।
- यह इन सभी राज्यों (उत्तराखंड को छोड़कर) और पूरे भारत से दोगुने से भी अधिक है।
- हिमाचल प्रदेश में एलएफपीआर अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक होने का कारण यह है कि कृषि अभी भी राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बल भागीदारी दर अधिक होती है।

हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्यों और पूरे भारत के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार सभी आयु वर्ग के लिए एलएफपीआर

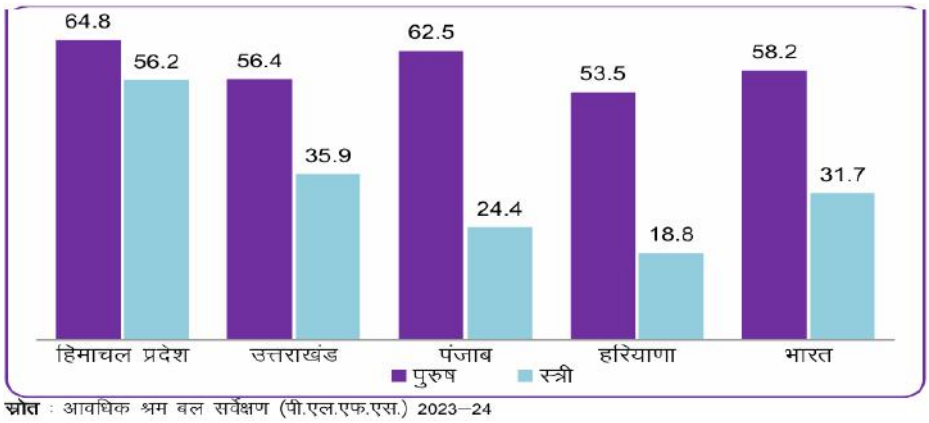

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24

- 2023-24 में हिमाचल प्रदेश (80.0) के लिए एलएफपीआर (15 से 59 वर्ष की आयु के बीच) उत्तराखंड (64.4), पंजाब (60.4), हरियाणा (55.1) और अखिल भारतीय (64.3) से अधिक है। हिमाचल प्रदेश के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों एलएफपीआर इन राज्यों और अखिल भारतीय से भी अधिक हैं।
- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण एलएफपीआर उत्तराखंड की तुलना में लगभग 13.4 प्रतिशत अंक अधिक तथा अखिल भारत की तुलना में 14.2 प्रतिशत अंक अधिक है, जबकि राज्य में शहरी एलएफपीआर उत्तराखंड की तुलना में लगभग 14.7 प्रतिशत अंक अधिक तथा अखिल भारत की तुलना में 11.1 प्रतिशत अंक अधिक है।

हिमाचल प्रदेश, पड़ोसी राज्यों और पूरे भारत में ग्रामीण-शहरी आधार पर सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच एलएफपीआर

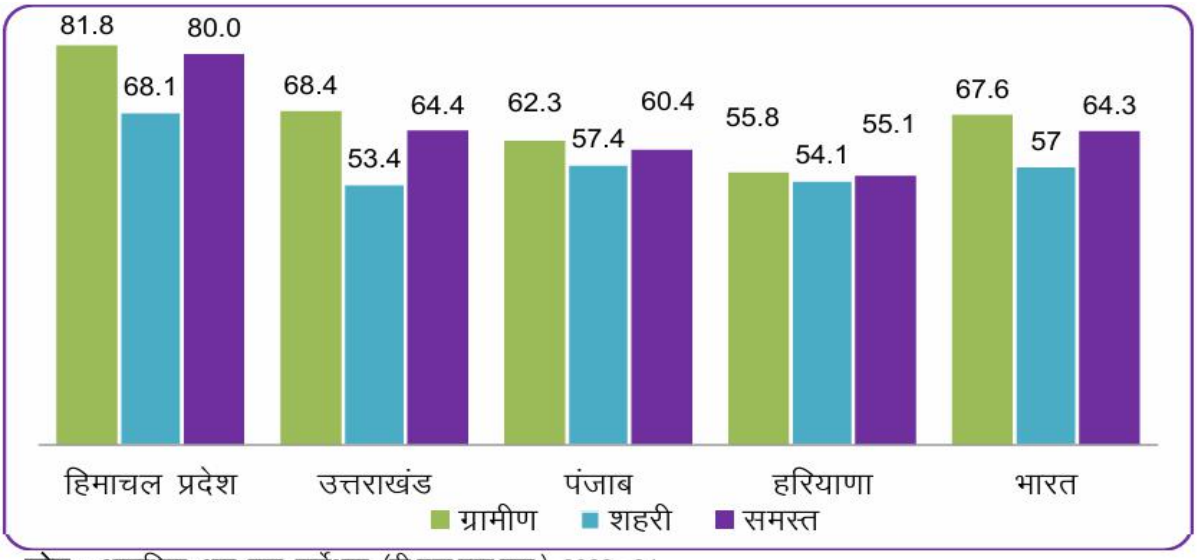

स्रोत : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2023–24

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के बारे में

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने श्रम बल के बारे में अधिक नियमित जानकारी के महत्व को समझते हुए अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया।
- **पीएलएफएस के प्राथमिक उद्देश्य:**
  - ✓ 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (सीडब्ल्यूएस) पद्धति का उपयोग करते हुए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए, हर तीन महीने में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर) का तुरंत अनुमान लगाना।
  - ✓ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 'सामान्य स्थिति' और सीडब्ल्यूएस पद्धतियों का उपयोग करके प्रतिवर्ष रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

बुनियादी अवधारणाओं:

- **श्रम शक्ति:** श्रम बल में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इसमें आबादी के भीतर कार्यरत और बेरोजगार दोनों तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं जो काम करने की उम्र के हैं और काम करने के लिए उपलब्ध और इच्छुक हैं।
- **बेरोज़गारी दर (यूआर):** बेरोज़गारी दर श्रम शक्ति का वह प्रतिशत है जो बेरोज़गार है और सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश कर रहा है।

- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):** कार्यबल भागीदारी दर किसी देश की रोजगार प्राप्त या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रही जनसंख्या के अनुपात को मापती है।
- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):** श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल में जनसंख्या का प्रतिशत है।
- **सामान्य प्रिंसिपल स्थिति (पीएस):**
  - ✓ यह विधि सर्वेक्षण तिथि से 365 दिन पहले व्यक्ति की प्राथमिक गतिविधि को देखती है।
  - ✓ उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति छह महीने से अधिक समय से कार्यरत है, तो उसे कार्यरत माना जाता है।
- **सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति (पीएस+एसएस):**
  - ✓ यह विधि सामान्य प्रमुख स्थिति की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि यह गैर-बहुमत समय के दौरान व्यक्ति की गतिविधि स्थिति पर विचार करती है।
  - ✓ इस पद्धति के अंतर्गत, जिस किसी व्यक्ति ने संदर्भ वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिन काम किया है, उसे नियोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस):**
  - ✓ यह विधि सर्वेक्षण तिथि से ठीक पहले के सप्ताह के दौरान व्यक्ति की गतिविधि स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - ✓ जिन लोगों को उस सप्ताह के दौरान एक घंटे के लिए भी कोई लाभकारी रोजगार नहीं मिला, उन्हें बेरोजगार की श्रेणी में रखा गया है।

प्रमुख श्रम बल संकेतकों की संरचना

गतिविधि प्रोफ़ाइल	प्रमुख श्रम बल संकेतक
श्रमिक	श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) = (नियोजित व्यक्तियों की संख्या+बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या)/कुल जनसंख्या*100 श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) = नियोजित व्यक्तियों की संख्या/कुल जनसंख्या*100
बेरोज़गार	बेरोजगारों का अनुपात (पी.यू.) = बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या / कुल जनसंख्या*100
श्रम बल में नहीं	बेरोज़गारी दर (UR) = बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या / (रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या + बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या) *100

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)

- WPR एक संकेतक है जिसका उपयोग रोज़गार की स्थिति का विश्लेषण करने और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देने वाली आबादी के अनुपात को जानने के लिए किया जाता है। "WPR को आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है"।
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात। यह सभी आयु वर्गों में स्पष्ट है कि 2023-24 में हिमाचल प्रदेश का WPR (57.2) उत्तराखंड (44.2), पंजाब (41.3), हरियाणा (36.1) और भारत (43.7) से बेहतर है।
- सर्वेक्षण के परिणामों से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय स्तर पर तथा पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में अधिक महिलाएं (51.8 प्रतिशत) आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

बेरोजगारी की दर

- "बेरोज़गारी दर (यूआर) को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोज़गार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है"। इसे पीएलएफ़एस सर्वेक्षणों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में मापा जाता है। यह सक्रिय रूप से काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध श्रम बल के अनुपात को दर्शाता है।

- पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के तहत सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत थी।
- सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए 3.2 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.0 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर पुरुषों के लिए 4.8 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 18.2 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल

- **न्यूनतम मजदूरी:** राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत सभी मौजूदा 19 अनुसूचित रोजगारों में 1 अप्रैल, 2024 से अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी ₹375 से बढ़ाकर ₹400 प्रतिदिन या ₹11,250 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रति माह कर दी है।
- **रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम:** जिला स्तर पर रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत 1960 से रोजगार के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार 2,84,586 और निजी क्षेत्र में 2,29,887 था। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की संख्या क्रमशः 4,627 और 2,321 थी।
- **व्यावसायिक मार्गदर्शन**
- **केंद्रीय रोजगार प्रकोष्ठ**
- **विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय**इस वित्तीय वर्ष के दौरान कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अंतर्गत 54.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधिकतम दो वर्षों तक दिया जाने वाला यह भत्ता 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रदान किया जाता है तथा 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी रूप से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1,500 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रदान किया जाता है।
- विभाग औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018 का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत संवितरण मानदंड कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के समान ही है।
- **बेरोजगारी भत्ता योजना:** इस योजना के तहत राज्य के पात्र बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 प्रतिमाह तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी शारीरिक रूप से विकलांग युवाओं को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए भत्ता दिए जाने का प्रावधान है, ताकि वे एक निश्चित अवधि तक अपना भरण-पोषण कर सकें।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एचपीकेवीएन)

- एचपीकेवीएन एक राज्य सरकार का निगम है जिसे 14 सितंबर, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए दो प्रमुख परियोजनाओं को लागू कर रहा है:
  - ✓ **एशियाई विकास बैंक (एडीबी)** हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना (एचपीएसडीपी) से सहायता प्राप्त एचपीएसडीपी मई, 2018 में चालू हो गई और जून, 2025 में समाप्त हो जाएगी। तथा
  - ✓ राज्य ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 का प्रबंधन किया।
- राज्य की दीर्घकालिक कौशल विकास आवश्यकताओं के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने के लिए वाकनाघाट, सोलन में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किया जा रहा है।
- **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प):** एचपीकेवीएन राज्य भर में संस्थागत तंत्र और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 2.10 करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि के साथ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त संकल्प को कार्यान्वित कर रहा है और उक्त परियोजना मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड

- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड 2 मार्च, 2009 को अस्तित्व में आया।

- हिमाचल प्रदेश बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे सभी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय लाभ प्रदान करना है।
- हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, किन्तु 60 वर्ष से कम आयु का है, किसी अन्य कल्याण कोष का सदस्य नहीं है तथा जिसने एक वर्ष में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है, कोष में सदस्यता के लिए पात्र होगा।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड की पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए नई योजना "मुख्यमंत्री विधवा/एकल/निराश्रित/दिव्यांग महिला आवास योजना" को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को घर बनाने के लिए 3.00 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सभी आयु वर्गों की बेरोजगारी दर क्या है?

A) 3.2% B) 4.0%
C) 5.4% D) 6.1%

2. श्रम बल और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. श्रम बल में नियोजित और बेरोजगार दोनों व्यक्ति शामिल हैं।

2. किसी व्यक्ति को सीडब्ल्यूएस स्थिति के अनुसार नियोजित माना जाता है यदि उसने पिछले 7 दिनों में कम से कम एक दिन कम से कम एक घंटे काम किया हो।

3. श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) कुल जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है।

A) केवल 1, 2, और 3 B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3 D) केवल 2

3. हिमाचल प्रदेश में एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) उत्तराखंड से लगभग 13.4 प्रतिशत अधिक है।

2. श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) को कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

3. 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की WPR उत्तराखंड से बेहतर थी।

A) केवल 1 और 2 B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3 D) ऊपर के सभी

4. 1 अप्रैल, 2024 से हिमाचल प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कर दी गई है:

A) ₹375 B) ₹390
C) ₹400 D) ₹420

5. बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को निम्नलिखित भत्ता मिलता है:

A) ₹500 प्रति माह B) ₹1,000 प्रति माह
C) ₹1,500 प्रति माह D) ₹2,000 प्रति माह

6. सूची I को सूची II से सुमेलित करें

सूची I (योजनाएं/संगठन)	सूची II

	(स्थापना/ लॉन्च का वर्ष)
1. एचपीकेवीएन (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम)	a) 14 सितम्बर, 2015
2. पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)	b) 2 अक्टूबर, 2016
3. हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	c) 2 मार्च, 2009
4. विशेष रोजगार कार्यालय	d) 1976

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
C) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

7. हिमाचल प्रदेश में दीर्घकालिक कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) कहां स्थापित किया जा रहा है?

A) मंडी B) धर्मशाला
C) वाकनाघाट D) बिलासपुर

8. 31 मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार था:

A) 2,50,000 B) 2,84,586
C) 3,00,000 D) 2,70,450

9. संकल्प का पूर्ण रूप क्या है?

A) आजीविका संवर्धन के लिए कौशल उन्नयन एवं ज्ञान

B) आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता

C) आजीविका संवर्धन के लिए कौशल संवर्धन और ज्ञान अनुप्रयोग

D) ज्ञान एवं आजीविका के लिए राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम

10. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) घटक के अंतर्गत कितने अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है?

A) 8,500 B) 10,622
C) 12,000 D) 9,750

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	C	B	A	C	B	B	B

अध्याय 12
पर्यटन, सड़क एवं परिवहन

मुख्य अंश:

- दिसंबर, 2024 तक राज्य में लगभग **181.24 लाख** पर्यटक आए, जिनमें से **180.41 लाख भारतीय** और **0.83 लाख विदेशी** थे।
- प्रसाद योजना के तहत **57.57 करोड़** रुपये के बजट प्रावधान के साथ मां चिंतपूर्णी मंदिर, अंब, जिला ऊना के विकास के लिए संशोधित डीपीआर का कार्य प्रगति पर है।
- राज्य में **23,91,265 वाहन** (परिवहन एवं गैर परिवहन) पंजीकृत हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से राज्य भर में "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों" के लिए 100 स्थानों (पहले चरण में, **46** सरकारी स्थल + **54** पेट्रोल पंप) की पहचान की है और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए **43** और पेट्रोल पंपों की पहचान की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2024 में महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा

- नवीनतम विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वस्तुतः महामारी-पूर्व स्तर (99 प्रतिशत) पर पहुंच जाएगा। अनुमान है कि 2023 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.4 बिलियन पर्यटक आएंगे।
- 2019 की तुलना में मध्य पूर्व सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बना रहा, जहां 2024 में अंतरराष्ट्रीय आगमन पूर्व-महामारी के स्तर से 32 प्रतिशत अधिक है, हालांकि 2023 की तुलना में यह 1 प्रतिशत अधिक है।
- यूरोप में 2019 की तुलना में 1 प्रतिशत और 2023 की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक आगमन की संभावना है, जबकि अफ्रीका में 2019 की तुलना में 7 प्रतिशत और 2023 की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक आगमन देखा गया।
- अमेरिका में महामारी-पूर्व आगमन का 97 प्रतिशत हिस्सा वापस आ गया, तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 87 प्रतिशत हिस्सा वापस आ गया।
- उप-क्षेत्रों के अनुसार, उत्तरी अफ्रीका (+22 प्रतिशत) और मध्य अमेरिका (+17 प्रतिशत) ने 2019 की तुलना में 2024 में सबसे मजबूत प्रदर्शन देखा।
- पर्यटन (यात्री परिवहन सहित) से कुल निर्यात राजस्व 2024 में रिकॉर्ड 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो महामारी से पहले की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अधिक और 2019 (वास्तविक शर्तों) की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन निर्यात 2023 में ही महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंच चुका है।
- प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण नवीनतम संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विश्वास सूचकांक में परिलक्षित होता है, जिसमें 2025 के लिए 130 का स्कोर है (0 से 200 के पैमाने पर आधारित, जहाँ 100 समान प्रदर्शन के बराबर है)।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेषज्ञ पैनल के लगभग 64 प्रतिशत लोगों ने 2024 की तुलना में 2025 के लिए 'बेहतर' या 'काफी बेहतर' संभावनाओं का संकेत दिया है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन - आर्थिक विकास का अभिन्न अंग

हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पर्यटन उद्योग का योगदान 7.78 प्रतिशत है। यह आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य संबद्ध उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों से प्रेरित है।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र

- कोविड-19 महामारी के बाद, घरेलू पर्यटकों का आगमन 2020 में 32.13 लाख से बढ़कर 2021 में 56.37 लाख और 2022 में 150.99 लाख और 2023 में 160.05 लाख से बढ़कर 2024 में 181.24 हो गया है।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

- आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार (जीओआई) ने 30 नवंबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश के लिए एक नई परियोजना- II के लिए एडीबी परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- परियोजना की कुल लागत 291.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2,415.63 करोड़ रुपये) है। इसमें से एडीबी का हिस्सा 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1,933.90 करोड़ रुपये) और राज्य का हिस्सा 58.04 अमेरिकी डॉलर (481.73 करोड़ रुपये) है।
- परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। इसमें एडीबी और राज्य का हिस्सा क्रमशः 80:20 के अनुपात में होगा।
- नई एडीबी परियोजना की किश्त-1 के तहत उप-परियोजनाएं 05 जिलों यानी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर में क्रियान्वित की जाएंगी।

स्वदेश दर्शन योजना 2.0

- **पोंग बांध** स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है।

पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि दर

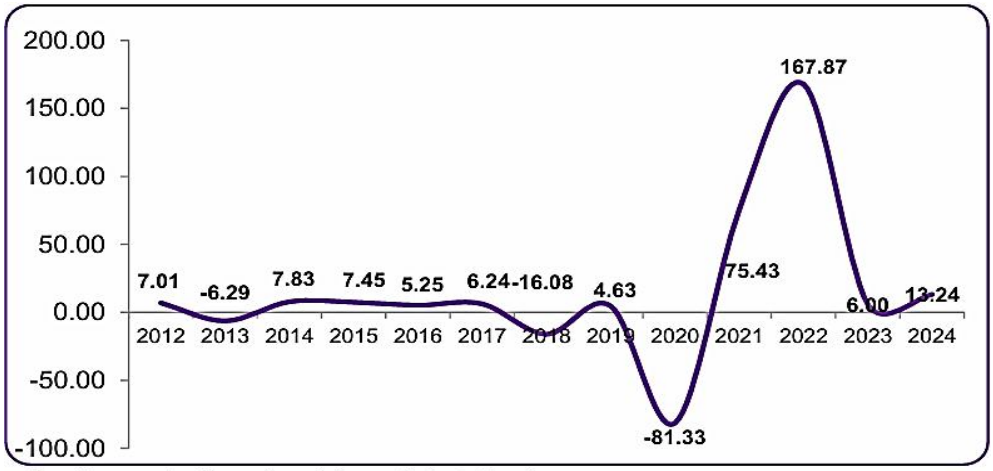

टिप्पणी: इन आंकड़ों का डेटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है।
स्रोत: पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

चुनौती आधारित गंतव्य

- पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत एक उप-योजना "चुनौती आधारित गंतव्य विकास" शुरू की है
- पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश ने चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना के तहत विकास के लिए पांच गंतव्यों की पहचान की है
  - ✓ **चंदर ताल, जिला लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश**
  - ✓ **काजा, जिला लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश**
  - ✓ **टांडी, जिला लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश**
  - ✓ **रकछम, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश**

✓ **नाको-चांगो-खाब, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश**

- पर्यटन मंत्रालय ने उप-योजना के अंतर्गत दो स्थलों अर्थात काजा (संस्कृति एवं विरासत) और रक्छम छितकुल (जीवंत गांव कार्यक्रम) के चयन की सूचना दी है।

तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने लगभग ₹24.55 करोड़ की PRASAD योजना के तहत अंब, जिला ऊना में "माँ चिंतपूर्णी मंदिर का विकास" परियोजना शुरू की है।

➢ **कांगड़ा (गग्गल) हवाई अड्डे का विस्तार**

- राज्य सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे की वर्तमान रनवे लम्बाई 1376 x 30 मीटर से बढ़ाकर 3278 x 45 मीटर करने के लिए प्रयासरत है, ताकि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) से प्राप्त मास्टर प्लान के अनुसार कांगड़ा हवाई अड्डे पर बड़े विमान उतारे जा सकें।

➢ **हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट**

- राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय में हेलीपोर्ट विकसित करके तथा राज्य के महत्वपूर्ण जनजातीय स्थानों को हवाई सम्पर्क सुविधा प्रदान करके हवाई सम्पर्क के विस्तार के लिए एक बड़ी पहल की है।
- सरकार राज्य में 15 नए हेलीपोर्ट विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले चरण में नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं।

जिलों और संभावित क्षेत्रों का विषयवार प्रदर्शन

क्रमांक	विषय	मौजूदा अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले	संभावित जिले
1	पारिस्थितिकी पर्यटन	लाहौल-स्पीति	किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, मंडी (जंजैहली, बरोट घाटी), कुल्लू, शिमला (चांसल)
2	कृषि/जैविक पर्यटन	चंबा, शिमला, किन्नौर	सिरमौर (राजगढ़), मंडी (करसोग घाटी), बिलासपुर (घुमारवीं), लाहौल-स्पीति (स्पीति), चंबा और कुल्लू
3	बर्फ पर्यटन	कुल्लू	शिमला (नारकंडा और चांशल), किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा
4	झील पर्यटन	लाहौल-स्पीति, कांगड़ा	चंबा, मंडी, बिलासपुर, ऊना
5	साहसिक काम	कुल्लू, चंबा, लाहौल-स्पीति	किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा और शिमला
6	तीर्थ यात्रा	हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में धार्मिक सर्किटों के माध्यम से प्रचार और विपणन	
7	सांस्कृतिक विरासत	कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति	चम्बा, सिरमौर (नाहन), किन्नौर, मंडी और हमीरपुर
8	स्वास्थ्य और कल्याण	कांगड़ा	सोलन (चायल), कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, मंडी
9	फिल्म पर्यटन	शिमला, कुल्लू	लाहौल-स्पीति, कांगड़ा (पालमपुर), कुल्लू (मनाली), चंबा (प्रियंगल), शिमला (फागू)
10	बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ (एमआईसीई) पर्यटन	शिमला, सोलन, कांगड़ा	सोलन, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी)

- एचपीटीडीसी 1972 में गठित हिमाचल प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना के विकास में अग्रणी है। यह आवास, खानपान, परिवहन, कॉन्फ्रेंसिंग और खेल गतिविधियों सहित पर्यटन सेवाओं का पूरा पैकेज प्रदान करता है, तथा राज्य में बेहतरीन होटलों और रेस्तरांओं की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 56 होटल हैं, जिनमें 1,111 कमरे और 2,508 बिस्तर हैं।

सड़कें और पुल (राज्य क्षेत्र)

- लगभग शून्य से शुरुआत करते हुए, राज्य सरकार ने दिसंबर, 2024 तक 42,779 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें (जीप योग्य और ट्रैक सहित) का निर्माण किया है।
- राज्य में 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई 2,592 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास 1,008 किलोमीटर के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) NH-07 और NH-03 की 230 किलोमीटर लंबाई को हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के रूप में उन्नत कर रहा है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचए) 785 किलोमीटर लंबाई के 5 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कर रहा है तथा सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पास राज्य में 569 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास एवं रखरखाव की जिम्मेदारी है।
- 15,586 गांव सड़कों से जुड़े हैं।

परिवहन विभाग की नीतियाँ

- बद्दी में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र की स्थापना
- शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना
- हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए "हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2022"।
- राज्य ने निम्नलिखित 6 हरित गलियारे अधिसूचित किए हैं:
  1. परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर देहरा-अंब-मुबारिकपुर-संसारपुर टैरेस-नूरपुर।
  2. पौंटा-नाहन-सोलन-शिमला।
  3. परवाणू-सोलन-शिमला-रामपुर-पियो-पूह-ताबो-काजा-लोसर।
  4. शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-कांगड़ा-नूरपुर-बनीखेत-चंबा।
  5. मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा।
  6. कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग-ज़िंग-ज़िंग बार।

उपरोक्त छह हरित गलियारों में से 4 गलियारे अर्थात पहला, चौथा, पांचवां और छठा गलियारा चालू हैं, क्योंकि इन गलियारों पर पेट्रोल पंपों पर अधिकांश ईवी चार्जिंग स्टेशन आम जनता के उपयोग के लिए कार्यात्मक हैं।

- पर्यटन होटल हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समन्वय में 65 होटलों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का इरादा रखता है।
- **ई-टैक्सी:** सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, 2023 के तहत ई-टैक्सी किराये पर लेने के लिए 1 सितंबर, 2023 को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है।
- **स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस):** राज्य सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र में नादौन, जिला हमीरपुर तथा हरोली, जिला ऊना में दो एटीएस स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार ने निजी क्षेत्र में बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन तथा नालागढ़ में पांच एटीएस स्थापित करने को मंजूरी दी है।

हिमाचल सड़क परिवहन निगम

- बेड़े में 3,079 बसें, 110 इलेक्ट्रिक बसें, 38 टैक्सियाँ, 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ और 12 टेम्पो ट्रैवलर शामिल हैं।

यात्रियों के लाभ के लिए एचआरटीसी की योजनाएं

क्रमांक	योजना	योजना के बारे में
मैं	ग्रीन कार्ड योजना	ग्रीन कार्डधारक को किराये में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी
द्वितीय	स्मार्ट कार्ड योजना	इस कार्ड की कीमत ₹100 है और इसकी वैधता एक साल है। इसमें किराए में 10 प्रतिशत की छूट है और यह एचआरटीसी की साधारण, सुपर-फास्ट, सेमी डीलक्स और डीलक्स बसों में भी मान्य है।
तृतीय	वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजना	निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किराये में 30 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
चतुर्थ	महिलाओं के लिए निःशुल्क सुविधा	महिलाओं को रक्षा बंधन और भैया दूज के अवसर पर एचआरटीसी की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। मुस्लिम महिलाओं को ईद और बकर ईद के अवसर पर मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।
वी	महिलाओं को किराये में छूट	निगम ने राज्य में साधारण बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट भी दी है।
छठी	सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए निःशुल्क सुविधा	सरकारी स्कूलों के +2 कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनके निवास से स्कूल तक तथा स्कूल से स्कूल तक एचआरटीसी की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।
सातवीं	विशेष योग्यजनों के लिए निःशुल्क सुविधा	निगम 70 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले विशेष योग्यजनों को एक परिचर के साथ राज्य के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करता है।
आठवीं	वीरता पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क सुविधा	वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य में डीलक्स बसों के अतिरिक्त एचआरटीसी की साधारण बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।
नौवीं	प्रथम दर्शन सेवा	एचआरटीसी ने धार्मिक स्थलों श्री अयोध्या धाम तक नई बस सेवा शुरू की है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का योगदान क्या है?
A) 8.85% B) 7.7%
C) 10% D) 14.42%

2. स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किस पर्यटन स्थल का चयन किया गया है?
A) चंद्रताल झील B) पोंग बांध
C) पराशर झील D) रेणुका झील

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1. विभाग ने पर्यटन परियोजना की डीपीआर 30 दिसंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय को भेज दी है, जिसमें पहले चरण में 24.55 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
2. पर्यटन मंत्रालय ने PRASAD योजना के तहत ₹24.55 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ ऊना जिले के अंब में "माँ चिंतपूर्णी मंदिर का विकास" परियोजना शुरू की है।
A) केवल 1 सही है
B) केवल 2 सही है
C) दोनों सही हैं
D) न तो 1 और न ही 2 सही है

4. हिमाचल प्रदेश में किन दो स्थलों को फिल्म पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है?
A) धर्मशाला और चंबा
B) शिमला और कुल्लू
C) मनाली और स्पीति

D) सोलन और मंडी

5. सोलन जिले के बद्दी में स्थापित किए जा रहे निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र का उद्देश्य क्या है?
A) ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराना
B) मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से वाहन फिटनेस प्रमाणीकरण करना
C) इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना
D) वाहन बीमा पॉलिसियों को विनियमित करना

6. राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, 2023 के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?
A) 25% B) 40%
C) 50% D) 60%

7. हिमाचल प्रदेश में दो स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) कहां स्थापित किए जा रहे हैं?
A) शिमला और सोलन
B) मंडी और बिलासपुर
C) नादौन (हमीरपुर) और हरोली (ऊना)
D) कुल्लू और चंबा

8. 2024 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने पर्यटक आए?
A) 150 लाख B) 181.24 लाख
C) 200 लाख D) 175.50 लाख

9. हिमाचल प्रदेश में ग्रीन कार्ड योजना के तहत कार्डधारकों को किराये में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है?
A) 10% B) 15%
C) 25% D) 30%

10. एचआरटीसी ने किस योजना के तहत श्री अयोध्या धाम सहित धार्मिक स्थलों के लिए नई बस सेवा शुरू की है?
A) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना
B) प्रथम दर्शन सेवा
C) एचआरटीसी विशेष तीर्थयात्रा सेवा
D) भारत दर्शन योजना

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	B	B	C	C	B	C	B

अध्याय 13
शिक्षा

मुख्य अंश:

- राज्य भर में **9,943 प्राथमिक विद्यालय, 1,786 माध्यमिक विद्यालय, 961 उच्च विद्यालय (कार्यात्मक) और 1,988 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कार्यात्मक)** हैं जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार **145 डिग्री कॉलेज (कार्यात्मक)** चलाती है।
- हिमाचल प्रदेश में **साक्षरता दर 2011 में 82.80 प्रतिशत** थी, जो **राष्ट्रीय औसत 74.0 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत** अधिक थी। पुरुष साक्षरता दर **89.53 प्रतिशत** थी, जबकि महिला साक्षरता दर **75.93 प्रतिशत** थी।
- 2019-21 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के अनुसार, नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर बढ़कर **93.3 प्रतिशत** हो गई है। पुरुष और महिला साक्षरता दर अब क्रमशः **94.9 प्रतिशत** और **91.7 प्रतिशत** है, जिसमें 3.2 प्रतिशत लैंगिक असमानता है।
- **अपना विद्यालय हिमाचल प्रदेश स्कूल दत्तक ग्रहण कार्यक्रम** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2024 को सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक नेताओं और कुशल पेशेवरों के बीच तालमेलपूर्ण साझेदारी बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 1,765 (जीएचएस और जीएसएसएस) को अपनाया गया है।
- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को **₹500 प्रति वर्ष** और छठी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को **₹700 प्रति वर्ष** दिए जाते हैं। इस योजना के तहत **65,495 छात्र** लाभान्वित हुए हैं।
- डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृति योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचपीबीओएसई) की मैट्रिक परीक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) के शीर्ष **1,250** छात्रों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के **1,000** मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष **₹18,000** दिए जाते हैं। इस योजना के तहत **1,770** एससी छात्र और **704** ओबीसी छात्र लाभान्वित हुए हैं।
- इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना के अंतर्गत 10+2 (एचपीबीओएसई से संबद्ध) और 10+2 के बाद (सभी पाठ्यक्रम) की मेरिट सूची में शीर्ष 10 छात्रों को प्रति वर्ष **18,000 रुपये** दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 47 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
- स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला की मैट्रिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के शीर्ष **2,000** मेधावी विद्यार्थियों को प्रति वर्ष **18,000** रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस योजना से **1,989** विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा में राज्य प्रायोजित योजनाएँ

क्रमांक	राज्य प्रायोजित योजना	योजनाओं का विवरण
1.	**मेधावी छात्रवृति योजना**	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शीर्ष चार स्थान (2 लड़के और 2 लड़कियां) प्राप्त करने वाले 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1200 रुपये दिए जाते हैं तथा उन्हें 8वीं कक्षा तक यह राशि मिलती रहती है, इस शर्त के साथ कि वे सरकारी स्कूल में पढ़ते रहेंगे तथा 6वीं और 7वीं कक्षा में कम से कम ग्रेड बी प्राप्त करेंगे।
2.	**एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)/गरीबी**	**पहली से पांचवीं कक्षा तक** कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को प्रति वर्ष ₹ 500 और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को प्रति वर्ष ₹ 700 दिए जाते हैं।

	रेखा से नीचे (बीपीएल) बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	
3.	**सशस्त्र बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति**	पहली से पांचवीं कक्षा तक के उन विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता युद्ध के दौरान मारे गए हों या 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो, ₹ 25,000 दिए जाते हैं तथा 50 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले सैनिक के आश्रित विद्यार्थियों को ₹ 12,500 प्रति वर्ष दिए जाते हैं।
4.	**लाहौल-स्पीति पैटर्न पर छात्रवृत्ति**	यह छात्रवृत्ति योजना आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जिन्हें प्रति वर्ष 80 रुपये दिए जाते हैं।
5.	**निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें**	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचपीबीओएसई) के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।
6.	**प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का निर्माण एवं मरम्मत**	सरकार ने वर्ष 2024-25 में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों, शौचालयों, रसोई शेड और रिटेनिंग दीवारों की मरम्मत और रखरखाव के लिए ₹1250 लाख का बजट प्रावधान किया है, जबकि प्राथमिक विद्यालय भवनों/कमरों और जिला/ब्लॉक कार्यालयों के निर्माण जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख कार्य शीर्ष के तहत ₹1600.00 लाख का प्रावधान किया है।
7.	**पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना)**	यह योजना 2004 में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए लागू की गई थी और 2008 में इस योजना को 8वीं कक्षा के छात्रों तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत प्री-प्राइमरी, प्राइमरी (एसएसए और कंटेंटमेंट बोर्ड द्वारा समर्थित एनआरएसटी केंद्रों सहित) और सरकारी और छावनी बोर्ड के स्कूलों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
8.	**स्वर्ण जयंती मध्यम योग्यता छात्रवृत्ति योजना**	यह छात्रवृत्ति योजना सरकारी स्कूलों में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, मेधावी विद्यार्थियों का चयन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), सोलन द्वारा राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा तथा चयनित विद्यार्थियों को 6वीं कक्षा में 4,000 रुपये प्रति माह, 7वीं कक्षा में 5,000 रुपये प्रति माह तथा 8वीं कक्षा में 6,000 रुपये प्रति माह का पुरस्कार लाभ मिलेगा।
9.	**न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)**	यह वयस्क शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2022-23 में लागू किया गया है और यह 2026-27 तक चलेगी जिसका उद्देश्य राज्य के 89,000 वयस्क निरक्षरों को साक्षर करना है।

उच्च शिक्षा

दिसंबर, 2024 तक राज्य में सरकारी क्षेत्र में 961 हाई स्कूल, 1988 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 145 डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, जिनमें 09 संस्कृत कॉलेज, 01 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), 01 बी.एड. कॉलेज और 01 ललित कला कॉलेज शामिल हैं।

2024-25 के दौरान माध्यमिक/उच्च शिक्षा राज्य/केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएँ		
क्रमांक।	**योजना का नाम**	**छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचा**
	राज्य प्रायोजित योजनाएँ	
1.	**अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी चत्तरवृत्ति योजना**	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचपीबीओएसई), धर्मशाला की मैट्रिक परीक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के शीर्ष 1,250 मेधावी विद्यार्थियों को प्रति वर्ष ₹18,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
2.	**ओबीसी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी चत्तरवृत्ति योजना**	**शीर्ष 1000** हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला की मैट्रिक परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों को प्रति वर्ष ₹18,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
3.	**स्वामी विवेकानन्द उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना**	एचपीबीओएसई की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सामान्य श्रेणी के शीर्ष 2,000 मेधावी विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 18,000 रुपये दिए जाते हैं।
4.	**ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना**	हिमाचल प्रदेश के जनजातीय समुदाय से एचपीबीओएसई की मैट्रिक परीक्षा में शीर्ष 100 लड़कियों और 100 लड़कों को प्रति वर्ष 11,000 रुपये दिए जाते हैं।
5.	**महर्षि बाल्मीकि चत्तरवृत्ति योजना**	बाल्मीकि परिवारों से संबंधित मूल हिमाचली छात्राओं को प्रति वर्ष ₹18000 की राशि दी गई है
6.	**इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना**	**मेरिट सूची में शीर्ष 10 छात्र** 10+2 (एचपीबीओएसई से सम्बद्ध) और 10+2 के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 18,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं। 31 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
7.	**सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा छात्रवृत्ति**	यह योजना सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में कक्षा VI से XII तक पढ़ने वाले तथा हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए है। प्रत्येक विद्यार्थी को ₹18,000 प्रति वर्ष की राशि के साथ-साथ 295 दिनों के लिए प्रतिदिन ₹10 की दर से आहार राशि तथा प्रथम वर्ष के लिए ₹1500 प्रति वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के लिए ₹750 प्रति वर्ष की दर से वस्त्र भत्ता प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 142 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
8.	**एनडीए छात्रवृत्ति योजना**	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति दी जा रही है: निम्न आय वर्ग @ ₹12,000 [आरंभिक एकमुश्त अनुदान ₹3,000 और प्रत्येक छह सेमेस्टर के लिए प्रति कैडेट जेब भत्ता @ ₹1,500]। मध्यम आय वर्ग ₹9,450 [आरंभिक एकमुश्त अनुदान ₹2,250 और प्रत्येक छह सेमेस्टर के लिए प्रति कैडेट जेब भत्ता @ ₹1,200]। उच्च आय वर्ग @ ₹6,900 [आरंभिक एकमुश्त अनुदान ₹1,500 और प्रत्येक छह सेमेस्टर के लिए प्रति कैडेट जेब भत्ता @ ₹900]
9.	**कल्पना चावला छात्रवृति योजना**	**शीर्ष 2,000**एचपीबीओएसई धर्मशाला द्वारा उपलब्ध कराई गई मेरिट सूची के आधार पर सभी स्ट्रीम समूहों यानी विज्ञान, कला और वाणिज्य धाराओं के पोस्ट +2 के मेधावी छात्राओं को प्रति वर्ष ₹18,000 दिए जाते हैं।
10.	**मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना**	हिमाचल प्रदेश के सभी मूल छात्र जो चयनित हैं और जिन्होंने किसी भी आईआईटी या एम्स में डिग्री कोर्स के लिए, किसी भी आईआईएम, झारखंड में आईएसएम धनबाद और बैंगलोर में आईआईएससी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया है, उन्हें ₹75,000 का एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है।
11।	**राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज**	हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी तथा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून

	छात्रवृत्ति	में आठवीं से बारहवीं कक्षा तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि ₹ 24,000 प्रति वर्ष है। 9 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
12.	**मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना**	**₹1,500 प्रति वर्ष** पुरुष स्कूली छात्रों के लिए ₹2,000 प्रति वर्ष, महिला स्कूली छात्राओं के लिए ₹2,000 प्रति वर्ष और कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों (डे स्कॉलर) के लिए ₹5,000 प्रति वर्ष। छात्रावासियों के लिए ₹6,000 प्रति वर्ष। राज्य सरकार ने आईआरडीपी छात्रवृत्ति योजना का नाम बदलकर "मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना" कर दिया है।
13.	**विभिन्न युद्ध/ऑपरेशनों के दौरान शहीद/विकलांग हुए सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता**	विभिन्न युद्धों/ऑपरेशनों में शहीद/विकलांग हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे इस सहायता के लिए पात्र हैं। विकलांगता 50 प्रतिशत से कम होने पर बच्चों को आधी छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि प्रति छात्र ₹18,000 प्रति वर्ष है (2022-23 से संशोधित)।
14.	**मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना (शैक्षिक ऋण सब्सिडी योजना)**	इस योजना के अंतर्गत, भारत में उच्च अध्ययन के लिए अधिकतम ₹ 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य है।
15.	**डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना (शैक्षिक ऋण सब्सिडी योजना):**	इस योजना के अंतर्गत पात्र वास्तविक हिमाचली विद्यार्थी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पैरा-मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून आदि में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम और आईटीआई/पॉलिटेक्निक से तकनीकी पाठ्यक्रम और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सक्षम नियामक निकायों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), भारतीय नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए छात्रों को पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। शिक्षा ऋण भारत और विदेश में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगा। छात्र अधिकतम ₹20,00,000 (केवल ₹बीस लाख) तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस योजना के तहत ऋण के लिए निदेशालय स्तर पर अनुशंसित/अनुमोदित 24 छात्रों के आवेदन पत्रों की आयु सीमा। शैक्षिक ऋण की सुविधा का लाभ उठाने वाले 227 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 छात्रों की आयु निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण/प्रवेश तिथि के अनुसार अधिकतम 28 वर्ष होगी।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (2024-25)		
1.	**ओबीसी और अन्य के लिए जीवंत भारत हेतु प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी)**	
I.	**अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग**	छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। छात्रों को प्रति वर्ष

	(ईबीसी) / विमुक्त और घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	₹4,000 का समेकित शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है।
II.	**ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति**	इस योजना के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले सभी ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्र पात्र हैं। ग्रुप-I पाठ्यक्रमों के लिए- 20,000 रुपये की निश्चित राशि (फीस 10,000 रुपये + शैक्षणिक भत्ता 10,000 रुपये) प्रदान की जाती है। ग्रुप-II पाठ्यक्रमों के लिए- 13,000 रुपये तक की निश्चित राशि (फीस 5,000 रुपये + शैक्षणिक भत्ता 8,000 रुपये) प्रदान की जाती है। ग्रुप-III पाठ्यक्रमों के लिए- 8,000 रुपये की निश्चित राशि और (फीस 2,000 रुपये + शैक्षणिक भत्ता 6,000 रुपये) प्रदान की जाती है। ग्रुप-IV पाठ्यक्रमों के लिए- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन पाठ्यक्रम जैसे 10+1 और 10+2 कक्षाएं, 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रम के लिए ₹5,000 की निश्चित राशि (शुल्क शून्य, ₹5,000 का शैक्षणिक भत्ता) प्रदान की जाती है।
III.	**शीर्ष श्रेणी का स्कूल ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए शिक्षा छात्र**	यह योजना उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जिनके माता-पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। शीर्ष श्रेणी के स्कूल जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 100 प्रतिशत पास प्रतिशत बनाए रखा है, उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बीसी) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग और नीति आयोग का प्रतिनिधित्व है। स्कूलों द्वारा आवश्यक ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के प्रति छात्र अधिकतम ₹75,000 प्रति वर्ष और कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रति छात्र ₹1,25,000 प्रति वर्ष तक है। इनमें से कम से कम 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।
2.	**पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति**	अनुसूचित जाति के वे छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 तक है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। ग्रुप 1, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹7,000 और ₹13,500 प्रति वर्ष के हकदार हैं। ग्रुप 2 के लिए, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स प्रति वर्ष ₹6,500 और ₹9,500 के हकदार हैं। ग्रुप 3 के लिए, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो ग्रुप I और ग्रुप II के अंतर्गत नहीं आते हैं, डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स प्रति वर्ष ₹3000 और ₹6,000 के हकदार हैं। ग्रुप 4 के पाठ्यक्रम (पोस्ट क्लास एक्स लेवल) गैर-डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹2,500 और ₹4,000 प्रति वर्ष के हकदार हैं।
3.	**पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति**	अनुसूचित जनजातियों के वे छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 तक है, इस योजना के लिए पात्र हैं। ग्रुप 1, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹5,500 और ₹12,000 प्रति वर्ष के हकदार हैं। ग्रुप 2 के लिए, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स

		क्रमशः ₹5,300 और 8,200 प्रति वर्ष के हकदार हैं। ग्रुप 3 के लिए, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो ग्रुप I और ग्रुप II के अंतर्गत नहीं आते हैं, डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹3,000 और ₹5,700 प्रति वर्ष के हकदार हैं। ग्रुप 4 के पाठ्यक्रम (पोस्ट क्लास एक्स लेवल) गैर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स क्रमशः ₹2,300 और ₹3,800 प्रति वर्ष के हकदार हैं।
4.	**पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति**	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स के लिए छात्रवृत्ति राशि क्रमशः ₹3,500 और ₹7,000 प्रति वर्ष है।
5.	**पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति**	प्री मैट्रिक (9वीं और 10वीं) छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से आय ₹2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स के लिए छात्रवृत्ति राशि क्रमशः ₹3,000 और ₹6,250 प्रति वर्ष है।
6.	**अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेरिट सह साधन छात्रवृत्ति योजना (सीएसएस)**	यह छात्रवृत्ति मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध समुदायों के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए है।
7.	**पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए योजना**	यह छात्रवृत्ति तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी स्कूल/कॉलेज/संस्थान में ग्यारहवीं से पीएचडी स्तर तक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी) के लिए दी जा रही है।
8.	**विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना**	**(i) बेंचमार्क विकलांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति** एक वर्ष में स्वीकृत की जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की संख्या 25,000 है। वह सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा IX और X में पढ़ने वाला एक नियमित, पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए। यह छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए लागू है और उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत निर्धारित विकलांगता का वैध प्रमाण पत्र है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष ₹2,50,000 से अधिक नहीं है। **(ii) बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति** यह छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए है, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत विकलांगता का वैध प्रमाण पत्र है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। **(iii) शीर्ष श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित संस्थानों में स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा। यह छात्रवृत्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए है, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत निर्धारित विकलांगता का वैध प्रमाण पत्र है।

9.	**बेगम हज़रत महल नेशनल के लिए छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राएं**	इस योजना के अंतर्गत कक्षा IX और X के विद्यार्थियों को ₹5,000 तथा कक्षा XI और XII के विद्यार्थियों को ₹6,000 प्रदान किए जाते हैं।
10.	**अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति**	यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) के विद्यार्थियों को भारत में सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है, जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना

- राज्य और केंद्र सरकारें संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही हैं, तथा इसके प्रचार-प्रसार के लिए लगातार पहल कर रही हैं। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
  - ✓ उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
  - ✓ संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण।
  - ✓ संस्कृत के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न योजनाओं तथा शोध/अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

- राज्य सरकार 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराती है।
- 2024-25 के दौरान इस योजना के तहत 1,41,970 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

विशेष रूप से सक्षम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

- **40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** राज्य में 10+2 स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है और उन्हें 10+2 स्तर तक किसी भी शुल्क और निधि का भुगतान करने से छूट दी गई है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक की फीस का भुगतान करने से छूट दी गई है।

लड़कियों को मुफ्त शिक्षा

- राज्य में छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर तक बिना किसी शिक्षण शुल्क के निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

- विभाग प्रति छात्र 110 रुपये प्रतिमाह की दर से आईटी शुल्क ले रहा है। अनुसूचित जाति (बीपीएल) परिवारों के छात्रों को यह सुविधा 50 प्रतिशत शुल्क छूट के साथ मिल रही है।
- 2024-25 में, 68,250 छात्र नामांकित हैं और एससी (बीपीएल) पृष्ठभूमि के 4,756 छात्रों ने इस योजना के तहत शुल्क में रियायत का लाभ उठाया है।

समग्र शिक्षा

एकीकृत योजना का मुख्य जोर दो टी-शिक्षक (T'S- Teacher and Technology) और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र शिक्षा 90:10 (90 प्रतिशत भारत सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार) के साझा पैटर्न पर चल रही है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

हिमाचल प्रदेश में 14 केजीबीवी हैं। 14 केजीबीवी में से ग्यारह जिला चंबा में, एक जिला शिमला में और दो जिला सिरमौर में हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

- उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राज्य में रूसा लागू किया गया है। इस योजना के तहत 70 कॉलेजों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) को रूसा अनुदान दिया जा रहा है।
- **एचपीयू शिमला** मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज (एमईआरयू) के तहत चयन किया गया है
- **सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू), मंडी** विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए अनुदान के तहत (जीएसयू)
- 4 महाविद्यालय अर्थात राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट, राजकीय महाविद्यालय भलेई, डीएवी कांगड़ा, राजकीय महाविद्यालय मंडी को महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (जीएससी) दिया जाएगा।
- **04 जिले** यानी सिरमौर, चंबा, ऊना और कांगड़ा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के तहत लिंग समावेशन और समानता पहल (जीआई एंड ईआई) के तहत।

मेधा प्रोत्साहन योजना

- इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों, जिनके परिवारों की आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी)/राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी-जेईई)/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)/सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी)/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए)/संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)/कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)/बैंकिंग आदि के लिए कोचिंग प्रदान करके सहायता प्रदान करना है।

स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना

- इस योजना के अंतर्गत, सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के शीर्ष 100 मेधावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग लेने हेतु 1.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना के लिए ₹1 करोड़ की राशि मंजूर की है।

राजीव गांधी सरकार मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल

- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक "राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल" खोलने की घोषणा की है, जिसमें प्री-प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षाओं में कम से कम 900-1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी।
- पांच राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों नामत: लाहडू और नगरोटा बगवां (कांगड़ा), अमलेहर और भोरंज (हमीरपुर) और सघनेई (ऊना) का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा विभाग वर्ष 1968 में अस्तित्व में आया। जुलाई, 1983 में व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को इसके दायरे में लाया गया।

संस्थाओं का नाम और संख्या		
क्रम सं.	**संस्थान के नाम**	**संस्थानों की संख्या**
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मंडी कामंद	01
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	01
3.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), कांगड़ा	01
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), सिरमौर	01
5.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	01
6.	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट), बद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन	01
7.	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई), झुंडला, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला	01
8.	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र बद्दी, जिला सोलन	01
9.	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	05
10.	सरकारी फार्मेसी कॉलेज	05
11।	बी-फार्मेसी कॉलेज (निजी क्षेत्र)	18
12.	इंजीनियरिंग कॉलेज (निजी क्षेत्र)	7
13.	पॉलिटेक्निक (सरकारी क्षेत्र)	17
14.	पॉलिटेक्निक (निजी क्षेत्र)	05
15.	डी-फार्मेसी कॉलेज (निजी क्षेत्र)	15
16.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (निजी क्षेत्र) में द्वितीय पाली	03
17.	सरकारी सह-शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	129
18.	अत्याधुनिक आईआईटी	11
19.	सरकारी मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नालागढ़, सोलन, संसारपुर टैरेस और गढ़जमुला, जिला कांगड़ा	03
20.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)	08
21	सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी आईटीआई	01
22.	ऊना में सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल	01
23.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) (निजी क्षेत्र)	133
कुल		**369**

औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से स्ट्राइव नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की है, जिसका उद्देश्य आईटीआई और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट-2024 (एएसईआर)

- वर्ष 2024 के लिए एएसईआर (शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट) रिपोर्ट ग्रामीण हिमाचल प्रदेश से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश उन शीर्ष राज्यों में शामिल है, जिन्होंने 2022-2024 के बीच स्कूलों में विभिन्न क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक की समग्र वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है
- वर्ष 2024 के लिए नवीनतम वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) रिपोर्ट जिसमें 268 ग्रामीण स्कूलों का निरीक्षण किया गया, ग्रामीण हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रूप से कई क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के लिए उत्साहजनक परिणाम दर्शाता है। कुछ संकेतक नीचे तालिकाओं और आरेखों के साथ दिखाए गए हैं।

आयु समूह और लिंग के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्कूलों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत 2024 हिमाचल प्रदेश (ग्रामीण)

आयु समूह	लिंग	सरकारी	प्रा.	स्कूल में नहीं	कुल
06—14	सभी	58.6	41.0	0.4	100
07—16	सभी	61.8	37.5	0.8	100
07—10	सभी	55.7	44.1	0.2	100
07—10	लड़के	54.0	45.8	0.3	100
07—10	लड़कियाँ	57.6	42.2	0.2	100
11—14	सभी	63.5	36.1	0.4	100
11—14	लड़के	60.4	39.5	0.2	100
11—14	लड़कियाँ	66.6	32.8	0.6	100
15—16	सभी	71.7	25.3	3.0	100
15—16	लड़के	70.2	26.5	3.3	100
15—16	लड़कियाँ	73.1	24.3	2.6	100

स्रोत: शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.), 2024

- उपरोक्त आंकड़ा प्रतिशत के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति को दर्शाता है।
- 7-10 वर्ष आयु वर्ग (लड़कियां और लड़के दोनों) में सरकारी स्कूलों में नामांकन 55.7 प्रतिशत है, जबकि इसी आयु वर्ग में लड़कियों और लड़कों का नामांकन क्रमशः 57.6 और 54 प्रतिशत है।
- 15-16 आयु वर्ग (लड़कियां और लड़के) में कुल नामांकन प्रतिशत 71.7 है, जबकि इसी आयु वर्ग में लड़कियों और लड़कों का नामांकन क्रमशः 73.1 और 70.2 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों में छात्राओं का नामांकन प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम तैयार किया गया है?

A) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
B) समग्र शिक्षा
C) मेधा प्रोत्साहन योजना
D) मुख्यमंत्री डिजिटल योजना

2. आईआईटी, एम्स, आईआईएम आदि में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कौन सी योजना है?

A) डॉ. अम्बेडकर मेधावी चत्तरवृत्ति योजना
B) स्वामी विवेकानन्द उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना
C) मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना
D) प्रधानमंत्री युवा अचीवर्स छात्रवृत्ति योजना

3. हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए जेईई-नीट प्रवेश परीक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम मुफ्त कोचिंग प्रदान करता है?
A) खेल से स्वास्थ्य योजना
B) स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना
C) सी वी रमन वर्चुअल क्लासरूम
D) स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना

4. किस मंत्रालय ने STRIVE परियोजना शुरू की?
A) शिक्षा मंत्रालय
B) श्रम और रोजगार मंत्रालय
C) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
D) उद्योग मंत्रालय

5. हमीरपुर जिले में कौन से दो मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं?
A) लाहडू और नगरोटा बगवां
B) अमलेहड़ और भोरंज
C) साघनेई और अमलेहर
D) भोरंज और लाहडू

6. वर्तमान में कितने राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल निर्माणाधीन हैं?
A) 3 B) 4
C) 5 D) 6

7. स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना
B) मेधावी छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
C) विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना
D) सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना

8. स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
A) ₹50,000 B) ₹75,000
C) ₹1.00 लाख D) ₹1.50 लाख

9. मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किस श्रेणी के छात्र लाभ के लिए पात्र हैं?
A) केवल निजी स्कूलों के छात्र
B) केवल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र
C) हिमाचल प्रदेश के मेधावी छात्र जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है
D) केवल चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र

10. निम्नलिखित में से कौन सा जिला पीएम-यूएसएचए के लिंग समावेशन और इक्विटी पहल (जीआईएंडईआई) के अंतर्गत शामिल नहीं है?
A) सिरमौर B) ऊना
C) सोलन D) चंबा

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	C	B	C	B	C	C	C

अध्याय 14

स्वास्थ्य

मुख्य अंश:

- **सुस्थापित स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क**
  - ✓ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का एक मजबूत नेटवर्क संचालित करता है, जिसमें शामिल हैं:
  - ✓ **115** सिविल अस्पताल
  - ✓ **106** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
  - ✓ **585** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
  - ✓ **24** ईएसआई सिविल डिस्पेंसरी
  - ✓ **2,114** स्वास्थ्य उप-केंद्र
- **HIMCARE: कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज (1 जनवरी 2019 से प्रभावी)**
  - ✓ हिमकेयर योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार **5 लाख रुपये** का कैशलेस उपचार प्रदान करती है।
  - ✓ यह योजना उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो आयुष्मान भारत या सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत कवर नहीं हैं।
  - ✓ **5.63 लाख** परिवार पंजीकृत।
- **अश्वगंधा (विथानिया सोम्नीफेरा) पर राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना**
  - ✓ परियोजना का शीर्षक: "अश्वगंधा: एक स्वास्थ्य क्रांति"

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा – हिमाचल बनाम भारत

- हिमाचल प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है और वर्तमान में यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- समग्र जीवन प्रत्याशा 2014-18 में **72.9 वर्ष** से बढ़कर 2016-20 में **73.5 वर्ष** हो गयी।
- 2016-20 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा **70.3 वर्ष** थी, जबकि महिलाओं की **77.5 वर्ष।** पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का यह पैटर्न राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप है।

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) - हिमाचल बनाम भारत

- हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5 एमआर) और नवजात शिशु मृत्यु दर (एनएनएमआर) में कमी आई है, जो बाल स्वास्थ्य में सुधार का संकेत है।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 2005-06 में 36 प्रति 1000 जीवित जन्म से घटकर 2019-21 में 25.6 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई।
- इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान U5 MR 42 से घटकर 28.9 हो गया।
- हिमाचल प्रदेश में आईएमआर, यू5एमआर और एनएनएमआर सभी राष्ट्रीय औसत (राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण) से कम हैं। शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी मुख्य रूप से राज्य के सक्रिय हस्तक्षेपों के कारण है, जिसमें आईएमआर मिशन (2001) और होमबेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड (2019) जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं।

संस्थागत डिलीवरी - हिमाचल बनाम भारत

- हिमाचल प्रदेश में संस्थागत प्रसव दर 2005-06 (एनएफएचएस-3) में 43.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 88.2 प्रतिशत हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत के करीब है।

12-23 महीने के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण – हिमाचल बनाम भारत

- 2019-21 (एनएफएचएस-5) तक, 12-23 महीने की आयु के 89.3 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया, जबकि 2005-06 (एनएफएचएस-3) में यह आंकड़ा 74.2 प्रतिशत था।
- टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन ने टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने में और अधिक योगदान दिया है।

कुल प्रजनन दर (टीएफआर) - हिमाचल बनाम भारत

- हिमाचल प्रदेश में टीएफआर में समय के साथ गिरावट आई है और यह राष्ट्रीय औसत से कम है। हिमाचल प्रदेश में तीनों अवधियों के दौरान टीएफआर राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगातार कम रहा है।
- हिमाचल प्रदेश में टीएफआर में लगातार गिरावट देखी गई है, जो 2005-06 (एनएफएचएस-3) में 1.9 से बढ़कर 2019-21 (एनएफएचएस-5) में 1.7 हो गई है।

राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रम

क्रमांक।	program'	संक्षिप्त विवरण
1	**राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	दिसंबर, 2024 तक 2,61,952 स्लाइडों की जांच की गई, जिनमें से 28 स्लाइडें पॉजिटिव पाई गईं। इस अवधि के दौरान मलेरिया के कारण किसी भी मृत्यु की सूचना नहीं मिली।
2	**एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम**	इस कार्यक्रम का उद्देश्य दैनिक आधार पर (संचारी रोगों, जल जनित रोगों, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (आईएलआई और एसएआरआई) और राज्य महामारी प्रवण रोगों) की निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत देना है।
3	**राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) / संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)**	2 कार्ट्रिज न्यूक्लिक एसिड और एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सीबीएनएएटी) मशीनों की स्थापना के बाद राज्य को 97 प्रतिशत का सार्वभौमिक ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग (डीएसटी) प्रदर्शन मिला है, जो भारत में सबसे अधिक है। राज्य ने भारत सरकार के आदेश के अनुसार पोषण सहायता के लिए सभी टीबी रोगियों को प्रति रोगी ₹500 का प्रोत्साहन दिया है।
4	**राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम**	यह कार्यक्रम राज्य में 1977-78 के दौरान केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंधेपन की व्यापकता दर को 0.87 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत करना है।
5	**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**	गंभीर बीमारियों से पीड़ित राज्य के जरूरतमंद गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20 अक्टूबर, 2018 को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का शुभारंभ किया गया
6	**राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम**	यह कार्यक्रम राज्य में 1977-78 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंधेपन की व्यापकता दर को 0.87 प्रतिशत से घटाकर 0.30 प्रतिशत करना है।
7	**मुख्यमंत्री सहारा योजना**	राज्य सरकार 15 जुलाई, 2019 से मुख्यमंत्री सहारा योजना क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित या किसी बीमारी के कारण अक्षम

		रोगियों को 3000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
8	**सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम**	माताओं, बच्चों और शिशुओं में रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इसे क्रियान्वित किया गया है। टीके से रोकथाम योग्य बीमारियाँ जैसे तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, नवजात, टेटनस, निमोनिया, पोलियोमाइलाइटिस और खसरा और रूबेला में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए राज्य में टीकाकरण का प्रतिशत 100 प्रतिशत है।
9	**हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (HIMCARE)**	यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं या सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं हैं। कैशलेस उपचार कवरेज प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5.00 लाख है। इस योजना की शुरुआत से अब तक कुल 5.63 लाख परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और 1.71 लाख लाभार्थियों ने ₹259.30 करोड़ की राशि का कैशलेस उपचार प्राप्त किया है।
10	**आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)**	आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5.0 लाख परिवार कैशलेस उपचार पाने के हकदार हैं।
11	**कयाकप**	सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में स्वच्छता, सफाई और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए: 51 स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदाताओं (एचसीएफ) को I, II और III के रूप में सम्मानित किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 में 400 प्रशस्ति पुरस्कार दिए गए हैं।
12	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**	30 नवंबर, 2024 तक कुष्ठ रोग के 88 नए मामले सामने आए
13	**राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम**	मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत राज्य की सभी किशोरियों (स्कूली एवं स्कूल से बाहर) को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
14	**जननी सुरक्षा योजना प्लस**	जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) बीपीएल/एससी/एसटी महिलाओं को प्रोत्साहित करके सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की एक योजना है। संस्थागत प्रसव का विकल्प चुनने पर ₹ 1100 और घर पर प्रसव के बाद भी बीपीएल लाभार्थी को ₹ 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
15	**जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)**	यह गर्भवती महिलाओं और एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं दोनों के लिए जेब से बाहर के खर्च को खत्म करने के लिए है। इस पहल के तहत सभी लाभार्थियों को बिल्कुल मुफ्त दवा, उपभोग्य वस्तुएं, निदान, रक्त, सर्जरी, परिवहन, भोजन और सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपयोगकर्ता शुल्क से छूट का अधिकार है।
16	**प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अबियान (पीएमएसएमए)**	पीएमएसएमए का मूल उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं और गर्भावस्था की दूसरी/तीसरी तिमाही में जटिलता वाली महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, विलोपन, रेफरल, उपचार, अनुवर्ती कार्रवाई का प्रावधान करना है।
17	**बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** **(a) एनीमिया मुक्त भारत**	नवजात एवं बाल मृत्यु दर के कारकों को तेजी से कम करने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं तथा इनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। • 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आयरन फोलिक एसिड सिरप (8-10

		खुराक) सप्ताह में दो बार दी जाती है। • हर साल करीब 5 लाख बच्चों को यह खुराक दी जाती है • आयरन फोलिक एसिड (नीली और गुलाबी) की गोलियां हर सप्ताह दी जाती हैं हर सप्ताह 6 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के लगभग 12.00 लाख बच्चे और किशोर
	(b) राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस	• बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति और एनीमिया में सुधार लाने के लिए, 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां देकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) का आयोजन हर दो साल में किया जा रहा है।
	(c) तीव्र दस्त	• राज्य में प्रतिवर्ष जुलाई/अगस्त माह में डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन (ओआरएस) वितरित किया जाता है तथा डायरिया से पीड़ित बच्चों को ओआरएस के साथ जिंक की गोलियां भी दी जाती हैं।
	(d) युवा बच्चों के लिए गृह आधारित देखभाल (एचबीवाईसी) राष्ट्रीय मिशन	• सितंबर 2019 में नेशनल मिशन ऑन होम-बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम (HBYC) और पोषण अभियान के तहत यह नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) कार्यकर्ता 42 दिनों के बाद भी घर-घर जाकर बच्चों की देखभाल करती हैं, जब बच्चा 3,6,9,12 और 15 महीने का हो जाता है। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना और उन्हें बचपन में होने वाली बीमारियों से बचाना है।
	(e) घर पर नवजात शिशु की देखभाल	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशुओं और माताओं की निरंतर घरेलू देखभाल के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 6 से 7 दौरे (42 दिनों तक) उपलब्ध कराकर नवजात मृत्यु दर को कम करना है, ताकि संकेत मिलने पर त्वरित उपचार किया जा सके।
	(f) इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना	• ऐसे पात्र दम्पति जो परिवार नियोजन के अंतिम तरीके अपनाते हैं, जिनके पास एक/दो जीवित बेटियां हैं तथा कोई पुत्र नहीं है, उन्हें क्रमशः ₹35,000/25,000 दिए जाते हैं।
	(g) सर्वोत्तम लिंगानुपात वाली पंचायतों को अतिरिक्त विकास अनुदान	• प्रत्येक जिले में सर्वोत्तम लिंगानुपात वाली एक पंचायत का चयन करने तथा उस ग्राम पंचायत को अतिरिक्त विकास अनुदान के रूप में 5.00 लाख रुपये का भुगतान करने की योजना
	(h) कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले को प्रोत्साहन	• गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एवं पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सूचना देने वाले को ₹1.00 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
	(i) राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/आंगनवाड़ी केंद्रों में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराना है। इस वर्ष दिसंबर 2024 तक
18.	**राष्ट्रीय अर्जित प्रतिरक्षा अल्पता सिंड्रोम (एड्स) नियंत्रण कार्यक्रम**	• वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नवंबर तक 2,31,987 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 483 मानव इम्यूनो डेफिसिएंसी वायरस (एचआईवी) पॉजिटिव मामले पाए गए।
19	**अटल आशीर्वाद योजना**	• यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। • इस योजना के तहत सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए भर्ती होने वाले सभी नवजात शिशुओं की माताओं को शिशु देखभाल किट प्रदान

		की जाती है। • वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार प्रति वर्ष लगभग एक लाख संस्थागत प्रसव होने की उम्मीद है। • प्रत्येक नवजात शिशु को मां के माध्यम से ₹1500 (लगभग) मूल्य की किट प्रदान की जा रही है

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)

इस विभाग में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं। राज्य में इस विभाग को आयुष के नाम से भी जाना जाता है। आयुष स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से आम जनता को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ तालिका में दी गई हैं

हिमाचल प्रदेश में आयुष स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

क्रमांक।	संस्था	संख्याएं (दिसंबर, 2024 तक)
1	पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) आयुर्वेदिक कॉलेज	1
2	फार्मास्युटिकल साइंस कॉलेज	1
3	क्षेत्रीय अस्पताल	2
4	आयुर्वेदिक अस्पताल	32
5	नेचर क्योर हॉस्पिटल	1
6	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	445
7	आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र	740
8	भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान/ हर्बल गार्डन	4
9	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1
10	यूनानी स्वास्थ्य केंद्र	3
11	होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र	14
12	आमची क्लीनिक	4
13	आयुर्वेदिक फार्मेसियां	3
कुल		**1251**

हर्बल संसाधनों का विकास

- 198 औषधीय पौधों के लिए क्यूआर कोड विकसित किए गए हैं, जिससे औषधीय पौधों के बारे में सभी जानकारी स्कैनिंग के माध्यम से तुरंत उपलब्ध हो जाती है, इसके अलावा औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 46,000 प्रतियां मुद्रित की गईं।
- **70,000** अश्वगंधा अभियान के तहत अश्वगंधा के पौधे वितरित किए गए, ग्राम सभा, महिला मंडलों/स्कूल आदि की बैठकों के दौरान अश्वगंधा के उपयोग के बारे में प्रचार-प्रसार किया गया, साथ ही स्कूलों में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री वितरित की गई और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- "विथानिया सोम्नीफेरा" पर "अश्वगंधा: एक स्वास्थ्य क्रांति" शीर्षक से एक राष्ट्रीय शोध परियोजना को मंजूरी दी गई है

आयुष आरोग्य कल्याण निधि

आयुष आरोग्य कल्याण निधि के निर्माण के माध्यम से राज्य भर में स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों (एएचसी) को उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक नई पहल की गई है।

आचार्य चरक योजना

क्षेत्रीय आयुष संस्थानों में निःशुल्क दवाइयां और निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आचार्य चरक योजना तैयार की गई है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2016-20) क्या है?

A) 70.3 वर्ष B) 72.5 वर्ष
C) 75.0 वर्ष D) 77.5 वर्ष

2. हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर (IMR) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 36 (2005-06) से घटकर 2019-21 में कितनी हो गई?

A) 20.1 B) 22.5
C) 25.6 D) 28.9

3. मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

A) ₹2000 B) ₹3000
C) ₹2500 D) ₹3500

4. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है?

A) ₹800 B) ₹1000
C) ₹1100 D) ₹1200

5. आचार्य चरक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A) निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना
B) हर्बल वृक्षारोपण को बढ़ावा देना
C) आयुष संस्थानों में निःशुल्क दवाइयां और प्रयोगशाला परीक्षण
D) आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए वित्तीय सहायता

6. हिमकेयर के अंतर्गत कितने परिवार पंजीकृत हैं?

A) 4.5 लाख B) 5.0 लाख
C) 5.63 लाख D) 6.2 लाख

Answer Key

1	2	3	4	5	6
D	C	B	C	C	C

अध्याय 15

समाज कल्याण

मुख्य अंश:

- **449** मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के अंतर्गत बच्चों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे वे उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
- विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति (40% या अधिक विकलांगता वाले) छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- **इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024** राज्य में पात्र महिलाओं को प्रति माह **₹1500** प्रदान करती है।

परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) सहित सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के कल्याण के लिए समर्पित है।

सामाजिक कल्याण और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

योजनाओं	पात्रता/बजट प्रावधान	₹मात्राप्रति महीने
वृद्धावस्था पेंशन	• सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है, सिवाय इसके कि व्यक्ति या उसका/उसकी पत्नी करदाता न हो या सरकारी पेंशन न ले रहा हो। • **60 से 69 वर्ष।** • **70 वर्ष और उससे अधिक।** • 65-69 वर्ष आयु वर्ग की महिला पेंशनभोगी।	**1,000** **1,700** **1500**
विशेष योग्यता राहत भत्ता	• जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक है • आय संबंधी मानदंड के बिना 70 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यता वाले लोग।	**1,150** **1,700**
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारीपेंशन	• 45 से 69 वर्ष की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है। • **70 वर्ष और उससे अधिक**	**1500** **1,700**
कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता	• 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगी को, चाहे उनकी आयु और वार्षिक आय कुछ भी हो। • 70 वर्ष से अधिक आयु के कुष्ठ रोगी को • महिलाएं आयु-समूह 65 से 69 वर्ष	**1,000** **1,700** **1500**
ट्रांसजेंडर पेंशन	• 69 वर्ष की आयु तक के ट्रांसजेंडर को पेंशन • 70 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर को पेंशन	**1,000** **1,700**
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (बीपीएल)	• 60 से 69 वर्ष के व्यक्ति बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। • 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग बीपीएल परिवार से हैं। • बीपीएल परिवार की 65-69 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं।	**1,000** **1,700** **1500**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	• 40 से 69 वर्ष की आयु वाली विधवाएं बीपीएल श्रेणी में आती हैं। • 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग बीपीएल परिवार से हैं।	**1500** **1,700**
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन	• 80 प्रतिशत विशेष योग्यता वाले दिव्यांगजन जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं।	**1,700**

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष के बीच के परिवार को मुख्य कमाने वाले की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में 20,000 रुपये मिलते हैं।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

- "इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024" के तहत लाहौल-स्पीति की महिलाओं को प्रति माह ₹1500 प्रदान करने की घोषणा की गई है।
- हिमाचल प्रदेश की लगभग 49 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है।
- अब तक 30,929 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और 20.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं

अनुसूचित जाति विकास योजना (एससीडीपी)

- 2023-24 की राज्य विकास योजना में, विकास योजना आवंटन का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) विकास योजना के लिए निर्धारित किया गया है, जो एससी केंद्रित गांवों में व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
- एससीडीपी के लिए परिव्यय ₹2483.20 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय विकास बजट से ₹1345.40 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय शामिल है। दिसंबर, 2024 तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य विकास बजट से अनुमानित ₹1,422.47 करोड़ खर्च किए गए थे।

अनुसूचित जनजाति उप-योजना

- आर्थिक विकास के लिए एसटी उप-दृष्टिकोण योजना क्षेत्र-आधारित है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एसटी विकास योजना के तहत 899.05 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- एसटी विकास योजना के अंतर्गत एसटी के कल्याण के लिए सितंबर, 2024 तक ₹100.47 करोड़ खर्च किए गए।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	
योजनाओं	**संक्षिप्त विवरण**
अंतरजातीय विवाह के लिए पुरस्कार	अंतरजातीय विवाह के लिए ₹ 50,000 दिए जा रहे हैं।
स्वर्ण जयंती आश्रय योजना/आवास सब्सिडी	**एससी, एसटी, ओबीसी** जिन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, उन्हें मकान निर्माण के लिए प्रति परिवार 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
कंप्यूटर अनुप्रयोग और संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण और दक्षता	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, एकल महिला और विधवा अथवा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,350 रुपये प्रतिमाह तथा दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं तथा प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांगों को 1,000

	रुपये प्रतिमाह तथा 1,200 रुपये प्रतिमाह वजीफा भी प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दक्षता हासिल करने के लिए संगठन/कार्यालयों में छह महीने की प्लेसमेंट प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को ₹ 1,500 प्रति माह और विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए ₹ 1,800 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
अनुवर्ती कार्यक्रम	**एससी और ओबीसी** जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें बढ़ईगीरी, बुनाई, लेदर कार्य आदि के लिए उपकरण खरीदने के लिए 1,300 रुपये और सिलाई मशीन खरीदने के लिए 1,800 रुपये दिए जाते हैं।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण (पी.ओ.ए.) अधिनियम-1989 के तहत अत्याचार के पीड़ितों को मुआवजा	अत्याचार के पीड़ितों को ₹ 85,000 से ₹ 8.25 लाख तक की राहत राशि प्रदान की जाती है।
सिविल सेवा कोचिंग में सहायता	सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मूल हिमाचलियों को 30,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम	नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को रोकने और नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य में नशे के आदी लोगों के लिए 03 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) स्थापित किए हैं, जबकि राज्य सरकार ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के सहयोग से 02 आईसीआरएएस स्थापित किए हैं, जिन्हें अनुदान सहायता (जीआईए) प्रदान की जा रही है।
अन्य स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान: जीआईए से वृद्धाश्रम तक	ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए राज्य में गैर सरकारी संगठनों/विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 9 वृद्धाश्रम, 22 डे केयर सेंटर तथा 07 वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।
विशेष रूप से विकलांगों का कल्याण	
दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति	सभी श्रेणियों के विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए **40 प्रतिशत** और उससे अधिक। दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ₹ 625 से ₹ 3,750 प्रति माह और बोर्डर्स के लिए ₹ 1,875 से ₹ 5,000 प्रति माह तक छात्रवृत्ति दी गई है।
विशेष योग्यजनों से विवाह करने वाले व्यक्तियों को विवाह अनुदान	सक्षम युवक या युवतियों को विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना।**40 से**74 प्रतिशत विशेष योग्यता वालों को ₹ 25,000 तथा 75 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यता वालों को ₹ 50,000 दिए जाते हैं।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान	तीन संस्थान **ढली-शिमला, दाड़ी-धर्मशाला और सुंदरनगर** राज्य में दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा एवं व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 1000 से अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं।
विशेष योग्यता पुनर्वास केंद्र	दो विशेष योग्यता पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं **हमीरपुर और धर्मशाला।**
मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पुनर्वास	राज्य में दो हाफ-वे-होम स्थापित किये गये हैं।
विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)	भारत सरकार के निर्देशानुसार, इस यूडीआईडी परियोजना के माध्यम से दिव्यांगजनों की सुविधा एवं पहचान के लिए पूरे देश में दिव्यांगता कार्ड के स्थान पर एक ही यूडीआईडी कार्ड बनाना अनिवार्य है। 31 दिसंबर, 2024 तक राज्य भर में दिव्यांगजनों को 95,105 यूडीआईडी कार्ड जारी

	किए जा चुके हैं। यूडीआईडी कार्ड ऐसे दिव्यांगजनों को जारी किया जाता है जिनकी विकलांगता/विकलांगता स्वास्थ्य विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेडिकल आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 307 जांच के दौरान 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
त्यौहार अनुदान	राज्य सरकार विशेष गृहों/वृद्धाश्रमों में रहने वाले सभी निवासियों को त्यौहार अनुदान के रूप में ₹500 तथा 25 निवासियों की क्षमता वाले संस्थानों को ₹5000 तथा संस्थानों/आश्रमों में त्यौहार मनाने के लिए 25 से अधिक निवासियों की क्षमता वाले संस्थानों को ₹10,000 प्रदान करती है।

महिला एवं बाल कल्याण

2011 में स्थापित, महिला एवं बाल विकास निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है।

राजकीय गृह सह संरक्षण गृह मशोबरा

- इस योजना का मुख्य लक्ष्य युवा लड़कियों, विधवाओं, परित्यक्तों, गरीबों और नैतिक जोखिम वाली महिलाओं को मुफ्त आश्रय, भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य और दवा, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- मशोबरा स्टेट होम में वर्तमान में 22 निवासी हैं।
- **₹25,000 तक की वित्तीय सहायता** पुनर्वास के लिए प्रति महिला 1000 रुपये की पेशकश की जाती है
- विवाह के मामले में महिलाओं को भी ₹ 51,000 दिए जाते हैं।

वन स्टॉप सेंटर

- केंद्र द्वारा प्रायोजित, "वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रम" का प्राथमिक उद्देश्य उन महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा का सामना किया है।
- वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में जरूरतमंद महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित "वन स्टॉप सेंटर" उपलब्ध है।

सक्षम गुड़िया बोर्ड

- इस योजना का मुख्य लक्ष्य बालिकाओं/किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए नीतिगत सिफारिशें करना, सुरक्षा से संबंधित अधिनियम, नियम, नीतियां और कार्यक्रम बनाना तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है।

महिलाओं, बच्चों और बालिकाओं के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएँ	
मिशन वात्सल्य योजना(बाल संरक्षण योजना)	बाल संरक्षण सेवा योजना को 01 अप्रैल, 2022 को संशोधित किया गया और अब इसे मिशन वात्सल्य योजना के रूप में जाना जाता है मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती सीपीएस योजना) 17 सितम्बर, 2012 से राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और कानून से संघर्षरत बच्चों (सीआईसीएल) को सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के आदेश पर संस्थागत देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में संस्थागत देखभाल के तहत 1,327 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है और राज्य में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत 60 बाल देखभाल संस्थानों में आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें 42 बाल गृह, 2 अवलोकन गृह-सह-विशेष गृह-सह-सुरक्षा स्थान, 4 खुले आश्रय और 12 शिशु गृह शामिल हैं। कुल लाभार्थियों अर्थात गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत कवर किए गए 1,316 बच्चों में से

	1,206 बच्चों को पालन-पोषण देखभाल/प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया गया और 110 बच्चों को अप्रैल से सितंबर, 2024 की अवधि के लिए देखभाल के बाद की सेवाओं के तहत लाभान्वित किया गया।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना	अनाथ, अर्ध-अनाथ, विशेष रूप से सक्षम और अन्य बच्चों, एकल नारी/निराश्रित महिलाओं को व्यापक देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए, जब तक कि वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो जाएं, एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्टार्टअप के लिए प्रयासरत कुल 449 बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के अंतर्गत कवर किया गया है।
बाल/बालिका सुरक्षा योजना और पालन-पोषण देखभाल कार्यक्रम	बच्चों के भरण-पोषण के लिए पालक माता-पिता को प्रति बच्चा प्रति माह 4,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है तथा राज्य से अतिरिक्त सहायता के रूप में प्रति बच्चा प्रति माह 500 रुपये स्वीकृत किए जाते हैं।
बलात्कार और बाल दुर्व्यवहार और वस्तुकरण पृष्ठभूमि के नाबालिग पीड़ितों को पुनर्वास सहायता	इस योजना का उद्देश्य गहन परामर्श, वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका सहायता के माध्यम से बलात्कार और बाल दुर्व्यवहार की नाबालिग पीड़िता के आत्मविश्वास और सम्मान को बहाल करना है। अपराध की पुष्टि होने पर पीड़ित को 21 वर्ष की आयु तक ₹ 7,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना	सितंबर, 2024 में अधिसूचित इस योजना के तहत, विधवा/निराश्रित/परित्यक्त महिलाओं और विकलांग माता-पिता के 0-18 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों को ₹1,000 प्रति माह दिए जाएंगे, जिनके परिवार की आय ₹1,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, ताकि इन बच्चों की उचित शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पूरक पोषण कार्यक्रम और बाल पोषण टॉप-अप योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम और बाल पोषण टॉप-अप योजना के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	इस कार्यक्रम के अंतर्गत निराश्रित बालिकाओं के अभिभावकों को उनके विवाह के लिए 51,000 रुपये का विवाह अनुदान दिया जा रहा है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो।
महिलाओं के लिए स्व-रोजगार सहायता	इस योजना के तहत ₹ 50,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को ₹ 5,000 प्रदान किए जाते हैं विवाह अनुदान तलाकशुदा महिलाओं, उनकी बेटियों, अनाथ लड़कियों के लिए स्वीकार्य है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो।
विधवा पुनर्विवाह योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुनर्विवाह के बाद विधवाओं के पुनर्वास में सहायता करना है, इस योजना के तहत दम्पतियों को ₹2.00 लाख दिये जाते हैं।
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना	इस योजना का उद्देश्य निराश्रित विधवाओं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं या ऐसी महिलाओं, जिनके पति पिछले 2 वर्षों से लापता हैं, को उनके बच्चों के भरण-पोषण के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करना है।
विशेष महिला उत्थान योजना	तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक और यौन रूप से प्रताड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए 3,000 रुपये प्रति माह वजीफा और प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रति प्रशिक्षु 800 रुपये का परीक्षण शुल्क प्रदान किया जाता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	यह योजना हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई है।
बेटी है अनमोल योजना	इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों से संबंधित दो लड़कियों के लिए प्रति परिवार 21,000 रुपये का जन्मोत्तर अनुदान प्रदान किया जाता है। 12 अगस्त 2021 से पहले जन्म लेने वाली लड़कियों को प्रथम श्रेणी से स्नातक स्तर तक 450 रुपये से 5000 रुपये की छात्रवृत्ति और 12,000 रुपये का जन्मोत्तर अनुदान भी दिया जाता है।
मुख्यमंत्री शगुन योजना	यह योजना राज्य में 1 अप्रैल, 2021 को लागू की गई है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़की की शादी के लिए ₹ 31,000 का विवाह अनुदान प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	इस योजना के अंतर्गत, पहली संतान के मामले में ₹ 5,000 की राशि दो किस्तों में दी जाती है और दूसरी संतान के लिए ₹ 6,000 का लाभ एक किस्त में प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरी संतान बालिका हो।
सशक्त महिला योजना	पोषण अभियान एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों (6 वर्ष से कम आयु), किशोरियों (14-18) वर्ष और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण की कठिन समस्या का समाधान करना है। इसका उद्देश्य स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना है। विश्व स्तनपान सप्ताह (WBW) का आयोजन अगस्त, 2024 के प्रथम सप्ताह में किया गया। पोषण माह सितम्बर, 2024 में मनाया गया तथा विभिन्न विषयों पर 6,75,014 गतिविधियां आयोजित की गईं। **"3 रंग हिमाचली व्यंजन के संग"** हिमाचल के पौष्टिक भोजन और भोजन के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सितंबर 2024 के महीने में सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान आयोजित किया जाएगा।
'वो दिन योजना'	'वो दिन योजना' (मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, एनीमिया और बच्चे के पहले 1000 दिन) वर्ष 2020-21 में शुरू की गई इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में महिला एवं बाल विकास निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60-69 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन राशि क्या है?

A) ₹1,500 B) ₹1,700
C) ₹1,000 D) ₹1,200

2. विशेष योग्यता राहत भत्ते के अंतर्गत 40-69% विकलांगता वाले व्यक्तियों को कितनी पेंशन दी जाती है?

A) ₹1,000 B) ₹1,150
C) ₹1,700 D) ₹1,500

3. विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन प्राप्त करने के लिए आय सीमा क्या है?

A) ₹40,000 प्रति वर्ष B) ₹50,000 प्रति वर्ष
C) ₹60,000 प्रति वर्ष D) कोई आय सीमा नहीं

4. अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह के लिए कितनी राशि दी जाती है?

A) ₹25,000 B) ₹50,000
C) ₹75,000 D) ₹1,00,000

5. स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत घर निर्माण के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?

A) ₹1,00,000 B) ₹1,25,000
C) ₹1,50,000 D) ₹2,00,000

6. स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत आवास सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय पात्रता सीमा क्या है?

A) ₹40,000 B) ₹50,000
C) ₹60,000 D) ₹70,000

7. कथन 1: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत निराश्रित बालिकाओं के अभिभावकों को 51,000 रुपये का विवाह अनुदान प्रदान किया जाता है।
कथन 2: पात्रता के लिए अभिभावक की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक होनी चाहिए।
A) दोनों कथन सत्य हैं
B) दोनों कथन गलत हैं
C) कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है
D) कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है

8. कथन 1: महिलाओं के लिए स्व-रोजगार सहायता के तहत 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
कथन 2: यह योजना केवल अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
A) दोनों कथन सत्य हैं
B) दोनों कथन गलत हैं
C) कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है
D) कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है

9. कथन 1: विशेष महिला उत्थान योजना शारीरिक और यौन शोषण की शिकार महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये वजीफा प्रदान करती है।
कथन 2: प्रशिक्षण अवधि के अंत में ₹800 का परीक्षण शुल्क प्रदान किया जाता है।
A) दोनों कथन सत्य हैं
B) दोनों कथन गलत हैं
C) कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है
D) कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है

10. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना 2024 के तहत महिलाओं को प्रदान की जाने वाली मासिक राशि क्या है?

A) ₹1,000 B) ₹1,500
C) ₹2,000 D) ₹2,500

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	B	B	C	B	C	C	A	B

अध्याय 16
ग्रामीण विकास और पंचायती राज

मुख्य अंश:

- **स्प्रिंगशेड प्रबंधन कार्यक्रम:** हिमाचल प्रदेश में 23 परियोजना क्षेत्रों में कार्यान्वित, पुनरुद्धार हेतु 414 झरनों की पहचान।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY):** दिसंबर 2024 तक इस पहल के तहत कुल 351 घरों को मंजूरी दी गई है।
- **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी):** 17,630 लक्षित गांवों में से 16,067 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित किया गया है। इसमें 1,857 आकांक्षी गांव, 717 उभरते गांव और 13,493 ओडीएफ प्लस मॉडल गांव शामिल हैं, जो ग्रामीण स्वच्छता में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाते हैं।
- **हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था:** राज्य में 12 जिला परिषदें (ZP), 81 पंचायत समितियां और 3,615 ग्राम पंचायतें हैं, जो स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **15वें केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान:** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल ₹352.00 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से ₹229.19 करोड़ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं और स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वितरित किए गए हैं।
- **मातृ शक्ति बीमा योजना:** यह योजना गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाली 10-75 वर्ष की आयु की महिलाओं को बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह दुर्घटनाओं, शल्यक्रिया (नसबंदी सहित), प्रसव संबंधी जटिलताओं, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं और कीड़ों के काटने के कारण मृत्यु या विकलांगता के मामलों में वित्तीय राहत प्रदान करती है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

- 01 अप्रैल, 2013 से राज्य में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- एनआरएलएम का क्रियान्वयन पूरे राज्य में 91 ब्लॉकों में किया जा रहा है।
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम, जिनका लक्ष्य निम्न आय वाले परिवारों को दीर्घकालिक निर्वाह के लिए उत्पादक स्वरोजगार और कुशल मजदूरी वाली नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करना है।

दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्ययोजना (डीडीयू-जीकेवाई)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजना।
- यह एक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य 15-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न लोकप्रिय ट्रेडों और नौकरी भूमिकाओं के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें न्यूनतम मासिक मजदूरी से अधिक का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ हैं:

- ✓ **डीडीयू-जीकेवाई लक्ष्य जनसंख्या**इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब ग्रामीण युवा, महिलाएं और अन्य कमजोर समूह जैसे विकलांग लोग शामिल हैं; ऊपरी आयु सीमा को घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है।
- ✓ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार भी कौशल कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण लाभ और उम्मीदवारों के अधिकार:

- विभिन्न लोकप्रिय ट्रेडों और नौकरी भूमिकाओं को कवर करते हुए 3 से 12 महीने तक का निःशुल्क प्रशिक्षण।
- भोजन और आवास सहित प्रशिक्षण का निःशुल्क प्रावधान।
- सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

- बोली जाने वाली अंग्रेजी, संचार कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी में 160 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण।
- प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर लैब और डिजी-टेबल का प्रावधान।
- उद्योग अनुभव प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल पर प्रशिक्षण।
- रोजगार प्राप्त होने के बाद कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 2 से 6 महीने तक पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता दी जाएगी, साथ ही प्रति माह 1270 रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा।

उपलब्धि:

हिमाचल प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की शुरुआत (सितंबर, 2017) से दिसंबर, 2024 तक इस योजना के तहत कुल 19442 लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया, जिनमें से 17254 लाभार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया तथा 9656 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला

वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूडीसी-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0)

- राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना संचालित की जा रही है, जिसका लक्ष्य केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 वित्तपोषण पैटर्न पर बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों का पुनर्वास करना है।
- इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-2026 के लिए अनुमोदित किया गया है।

वाटरशेड विकास परियोजनाओं के उद्देश्य

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित/क्षरित भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना;
- आजीविका और वाटरशेड स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना, और
- क्रॉस-लर्निंग और प्रोत्साहन तंत्र के माध्यम से वाटरशेड परियोजनाओं की दक्षता में सुधार करना

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई-2.0 के अंतर्गत पुनर्जीवित किए जाने वाले झरनों की संख्या

स्प्रिंग्स की पहचान	झरने पुनर्जीवित	चल रहे	शुरू नहीं
414	119	30	265

स्रोत: *ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।*

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमए-जी)

- पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी बेघर और कच्चे परिवारों के साथ-साथ पुराने भवनों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराना है।
- एक इकाई (घर) की लागत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के अनुपात में विभाजित की जाती है।
- राज्य को 2023-24 में आपदा का सामना करना पड़ा। 12,940 मकान स्वीकृत किए गए, जिनमें से 6,561 पूरे हो चुके हैं और 6,379 निर्माणाधीन हैं।
- राज्य को 2018 में किए गए आवास+ सर्वेक्षण के आधार पर 69,187 घरों को मंजूरी दी गई थी।
- वित्त वर्ष 2024-25 में, दिसंबर 2024 तक घरों के निर्माण के लिए ₹520.44 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)

दिसंबर 2024 तक 351 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और उनके निर्माण के लिए 2.09 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

मातृ शक्ति बीमा योजना:

- 10-75 वर्ष की गरीब महिलाओं के लिए कवरेज।

- दुर्घटनाओं, शल्यक्रियाओं या प्रसव-संबंधी दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए वित्तीय राहत प्रदान करता है।
- मृत्यु ₹2.00 लाख.
- स्थायी पूर्ण विकलांगता ₹2.00 लाख।
- एक अंग और एक आंख या दोनों आंखों और दोनों अंगों की हानि ₹2.00 लाख।
- एक अंग/एक कान की हानि ₹1.00 लाख।
- पति की मृत्यु की स्थिति में ₹2.00 लाख।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, दिसंबर, 2024 तक 49 परिवारों को कुल ₹97.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी):

- खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई।
- हिमाचल प्रदेश को 28 अक्टूबर 2016 को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
- आईएचएचएल और सीएससी निर्माण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गोबरधन परियोजनाओं और आईईसी के लिए क्षमता निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर व्यापक स्वच्छता समाधान उपलब्ध कराना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

5 सितम्बर, 2005 को भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा को अधिसूचित किया।

वित्त वर्ष 2023-24 (10 जनवरी 2024 तक) के दौरान की गई प्रगति इस प्रकार है:

धन राशि लाख रुमें			संख्या	
केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल व्यय	अर्जित कार्य दिवस (लाख में)	रोजगार प्रदान किया गया
119568.76	22824.12	124641.18	239.70	6,33,569

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज

- इस राज्य में 12 जिला परिषदें (जेडपी), 81 पंचायत समितियां और 3,615 ग्राम पंचायतें हैं।
- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस राज्य के लिए ₹352.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹229.19 करोड़ भारत सरकार द्वारा जारी कर पंचायत राज संस्थाओं को वितरित कर दिए गए हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस राज्य के लिए ₹100.42 करोड़ की केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।
- **1,05,000** प्रतिभागियों को आरजीएसए योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है
- प्रथम चरण में 1,130 ग्राम पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है।
- आर्थिक संवर्द्धन एवं आजीविका सृजन इकोटूरिज्म परियोजनाएं हरेटा (हमीरपुर), काम्याणा (शिमला) और अन्द्रोली (ऊना) ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही हैं।
- **दो जिला पंचायत संसाधन केंद्र** मंडी और बिलासपुर में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए क्रियाशील बना दिया गया है। कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- **8 पंचायत लर्निंग सेंटर** प्रशिक्षण एवं अन्य अनुकरणीय गतिविधियों के लिए इन्हें चालू कर दिया गया है।

- **दो ग्राम पंचायतें** राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत थानाधार, विकास खंड नारकंडा, जिला शिमला को थीम 7: सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ₹75 लाख और समग्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सशक्त विकास पुरस्कार के लिए ₹1.00 करोड़ से सम्मानित किया गया है।
- **ग्राम पंचायत सिकंदर, विकास खंड बमसन, हमीरपुर** थीम 4: जल पर्याप्त ग्राम पंचायत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पंचायती राज संस्थाओं का शत-प्रतिशत ऑनलाइन ऑडिट का लक्ष्य रखा गया है। 31 दिसंबर, 2024 तक इस लक्ष्य का 54 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. कथन 1: मातृ शक्ति बीमा योजना मृत्यु, विकलांगता, शल्यक्रिया या प्रसव संबंधी दुर्घटनाओं के लिए वित्तीय राहत प्रदान करती है।
कथन 2: लाभार्थी के पति की मृत्यु की स्थिति में, इस योजना के तहत ₹2.00 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाता है।
A) केवल कथन 1 सही है
B) केवल कथन 2 सही है
C) दोनों कथन सही हैं
D) दोनों कथन गलत हैं

2. कथन 1: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को भारत सरकार द्वारा 5 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था।
कथन 2: मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है।
A) केवल कथन 1 सही है
B) केवल कथन 2 सही है
C) दोनों कथन सही हैं
D) दोनों कथन गलत हैं

3. इस राज्य में कितनी जिला परिषदें (जेडपी), पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें हैं?
A) 12 जिला परिषद, 81 पंचायत समितियां, 3,615 ग्राम पंचायतें
B) 12 जिला परिषद, 82 पंचायत समितियां, 3,600 ग्राम पंचायतें
C) 13 जिला परिषद, 81 पंचायत समितियाँ, 3,600 ग्राम पंचायतें
D) 12 जिला परिषदें, 80 पंचायत समितियाँ, 3,500 ग्राम पंचायतें

4. समग्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सत्ता विकास पुरस्कार के लिए ₹1.00 करोड़ से सम्मानित किया गया?
A) ग्राम पंचायत सिकंदर B) ग्राम पंचायत थानाधार
C) ग्राम पंचायत बामसन D) ग्राम पंचायत सिंहुता

5. हिमाचल प्रदेश ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कब घोषित किया?
A) 28 अक्टूबर, 2015 B) 28 अक्टूबर, 2016
C) 28 नवंबर, 2016 D) 28 अक्टूबर, 2017

Answer Key

1	2	3	4	5
C	A	A	B	B

अध्याय 17
आवास और शहरी विकास

मुख्य अंश:

- हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ने अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में **13,289 मकान/फ्लैट** और **5,621 प्लॉट** का निर्माण किया है।
- हिमाचल प्रदेश में 74 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) हैं, जिनमें **08 नगर निगम** अर्थात शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर, ऊना और बद्दी, **29 नगर परिषद** और **37 नगर पंचायतें** शामिल हैं। **74 यूएलबी** लगभग **5,000 किलोमीटर** सड़कों, मार्गों, गलियों और जल निकासी का प्रबंधन करते हैं।
- नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (एमएमएसएजीवाई) के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। लाभार्थी नगर पालिका कार्यालय जाए बिना अपना पंजीकरण करा सकता है। इस योजना के तहत दिसंबर, 2024 तक **18,012 लाभार्थियों** को कुल **6,76,846** मानव दिवस का लाभ मिला है और **₹19.20 करोड़** का वितरण किया गया है।
- **214** रियल एस्टेट परियोजनाएं रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत हैं। प्राधिकरण ने **131** रियल एस्टेट एजेंटों को भी पंजीकृत किया है।

आवास

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का गठन 1972 में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, 01 जुलाई, 2004 से इसका नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) कर दिया गया है।

शहरी विकास

हिमाचल प्रदेश में 74 यूएलबी हैं, जिनमें 08 नगर निगम यानी शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी पालमपुर, ऊना, हमीरपुर और बद्दी, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतें शामिल हैं।

शहरी विकास

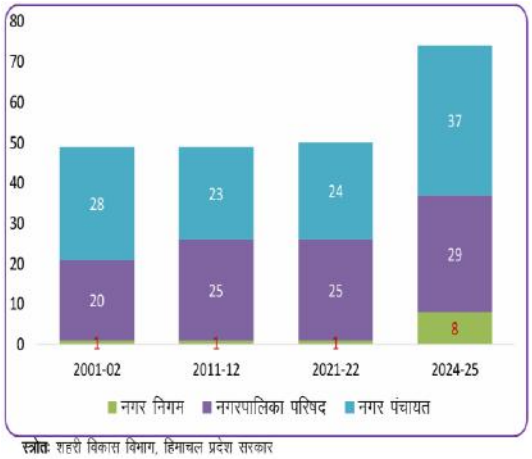

स्त्रोतः शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश और भारत के लिए शहरी जनसंख्या का अनुमानित हिस्सा प्रतिशत में (2011-2036)

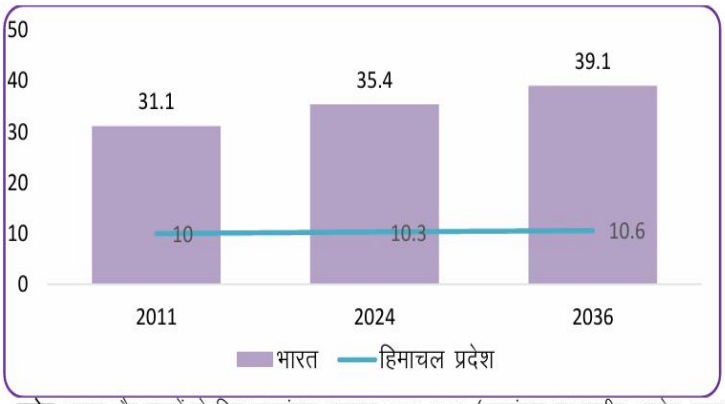

स्त्रोतः भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036 (जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार: 2020)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (दिवस-एनयूएलएम)

यह मिशन विविध और लाभकारी स्वरोजगार तथा कौशल-मजदूरी रोजगार अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबों के बीच गरीबी को कम कर रहा है। इसका उद्देश्य सतत आधार पर आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार लाना है।

2024-25 में प्रगति

- 233 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन।
- 30 क्षेत्र स्तरीय संघों और 13 नगर स्तरीय संघों की स्थापना।
- 227 लाभार्थियों को 3.11 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया गया।
- **₹7.96 करोड़** बैंकों के माध्यम से 367 स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया।
- 4973 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई, उन्हें विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
- 46 नियमित टाउन वेंडिंग समितियों का गठन
- नगर निगम सोलन में ₹80.00 लाख की लागत से वेंडर मार्केट का निर्माण।
- नगर निगम ऊना में ₹1.03 करोड़ की लागत से वेंडर मार्केट का निर्माण कार्य जारी।
- पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 5440 लाभार्थियों को प्रथम अवधि ऋण (₹10 हजार) का प्रावधान।
- 3083 लाभार्थियों को द्वितीय अवधि ऋण (₹20 हजार) का प्रावधान।
- 1449 लाभार्थियों को तृतीय अवधि ऋण (₹50 हजार) का प्रावधान।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की जिलावार दशकीय वृद्धि दर (जनगणना 2001 और 2011)

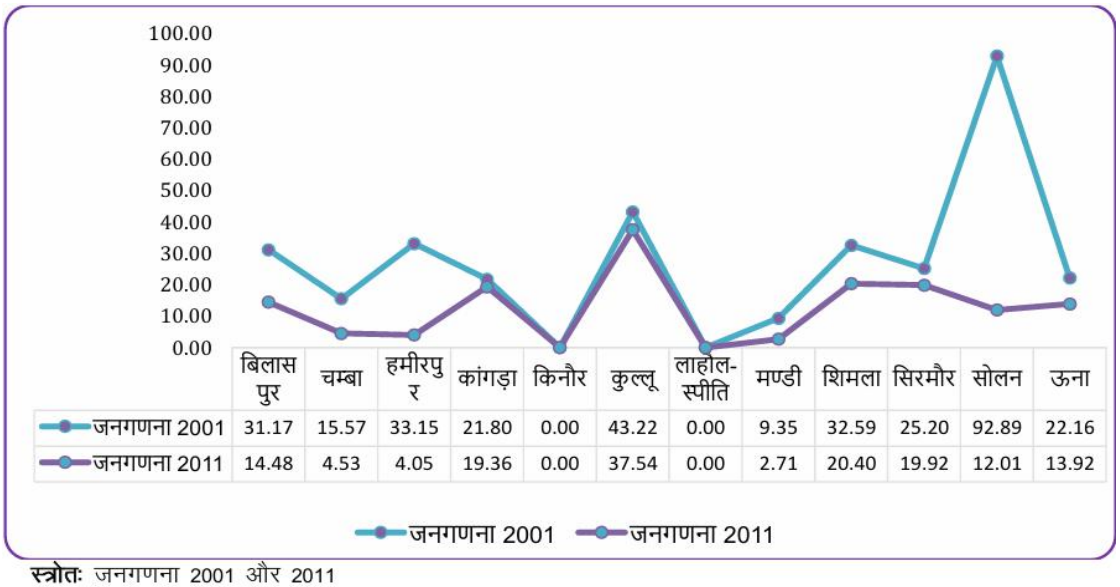

	बिलासपुर	चम्बा	हमीरपुर	कांगड़ा	किनौर	कुल्लू	लाहौल-स्पीति	मण्डी	शिमला	सिरमौर	सोलन	ऊना
जनगणना 2001	31.17	15.57	33.15	21.80	0.00	43.22	0.00	9.35	32.59	25.20	92.89	22.16
जनगणना 2011	14.48	4.53	4.05	19.36	0.00	37.54	0.00	2.71	20.40	19.92	12.01	13.92

स्त्रोतः जनगणना 2001 और 2011

केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान

- 15वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों और छावनी बोर्डों (सीबी) को दो प्रकार के अनुदान जारी करने की सिफारिश की है।
- **अप्रतिबंधित अनुदान (40 प्रतिशत)**
- **बंधा हुआ अनुदान (60 प्रतिशत),** 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹181.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।
- इसके अतिरिक्त, बजट में चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 6.23 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान राशि भी आवंटित की गई है।

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹81.00 करोड़ की राशि के दोनों (अनटाइड और टाईड) अनुदानों की दूसरी किस्त चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यूएलबी और सीबी को जारी कर दी गई है।

अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0

अमृत

उद्देश्य: शहरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- इस योजना में शिमला और कुल्लू दो शहरों को शामिल किया गया है।
- राज्य वार्षिक कार्य योजना का कुल आकार 75 परियोजनाओं के लिए 304.52 करोड़ रुपये है। 75 परियोजनाओं में से 283.66 करोड़ रुपये की 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 20.85 करोड़ रुपये की शेष 4 परियोजनाएं मार्च, 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है।

अमृत 2.0

- **1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया,** चक्रीय जल अर्थव्यवस्था के माध्यम से शहरों को 'जल सुरक्षित' और 'आत्म-टिकाऊ' बनाना।
- **फोकस क्षेत्र** जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जल निकायों का पुनरुद्धार और हरित स्थानों का सृजन।
- मिशन की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है, जिसमें सभी वैधानिक शहर (61 यूएलबी + 7 सीबी) शामिल हैं
- **वित्तपोषण अनुपात: 90:10 (केन्द्र और राज्य)** ₹284.44 करोड़ आबंटन (₹256.00 करोड़ केन्द्र से तथा ₹28.44 करोड़ राज्य से)।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम):

- जून 2015 में लॉन्च किया गया। नगर निगम, धर्मशाला। एस.सी.एम. के तहत चयनित
- **शिमला** 28 जून, 2017 को भारत सरकार द्वारा एस.सी.एम. के तीसरे दौर में चयन किया गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस मिशन के अंतर्गत कोई बजट प्रावधान आवंटित नहीं है।
- भारत सरकार द्वारा ₹465.00 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया।
- **शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एसएससीएल)** 53 प्रस्तावित पहलों में से 28 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई, जिन्हें आगे 204 घटकों में विभाजित किया गया, जिनमें से 182 पूर्ण हो चुके हैं और 22 प्रगति पर हैं
- **धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डीएससीएल): 80** में से 56 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 24 कार्यान्वयन के अधीन हैं

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम।
इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार का बजट प्रावधान ₹6.60 करोड़ है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (शहरी):

- भारत सरकार द्वारा **17 जून 2015** से मिशन का शुभारंभ किया गया
- इसका उद्देश्य निम्नलिखित के लिए आवास समाधान उपलब्ध कराना है:
- झुग्गीवासियों को स्थानीय स्तर पर झुग्गी पुनर्वास के माध्यम से पुनर्वासित करना।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) को ऋण-लिंक्ड सब्सिडी घटक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
- सरकार सब्सिडी के माध्यम से लाभार्थी-आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराती है।
- इस योजना के अंतर्गत **9.64 करोड़ रुपये** की वित्तीय सहायता से **479 मकान** पूरे हो चुके हैं।

पार्किंग का निर्माण:

- शहरी क्षेत्रों में पार्किंग समस्या के समाधान के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान **₹5.00 करोड़** उपलब्ध कराए गए हैं।
- इस योजना के अंतर्गत धनराशि 75:25 के अनुपात में जारी की जाती है (अर्थात् 75 प्रतिशत धनराशि सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत धनराशि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाती है)।

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (MMSAGY):

- **हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16 मई, 2020 को लॉन्च किया गया।**कोविड-19 के बीच.
- प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 120 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
- **पात्रता:** शहरी स्थानीय निकायों में वयस्क
- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल; कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं।
- **प्रभाव:** दिसंबर, 2024 तक 18,012 लाभार्थियों को कुल 6,76,846 मानव दिवसों का लाभ मिला है और ₹19.20 करोड़ वितरित किए गए हैं

नगर एवं ग्राम नियोजन:

- हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 राज्य के 60 नियोजन क्षेत्रों और 36 विशेष क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करता है।
- उच्च जोखिम वर्गीकरण वाले भवनों के मामले में, नाले के 5.0 मीटर के भीतर तथा खड्ड के 7.0 मीटर के भीतर निर्माण निषिद्ध है।
- शिमला योजना क्षेत्र में हरित आवरण को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने हरित क्षेत्र को मौजूदा 17 पॉकेट्स से बढ़ाकर 25 पॉकेट्स कर दिया है।
- शिमला में अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2041 तक के लिए जीआईएस आधारित विकास योजना को सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। शिमला की जनसंख्या 2011 में 3,11,429 से बढ़कर 2041 में 6,25,127 हो जाने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा):

- **हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (एचपीरेरा) ने 1 जनवरी, 2020 को परिचालन शुरू कर दिया।** इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करना और बढ़ावा देना है। यह उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए भूखंडों, अपार्टमेंट और इमारतों की कुशल बिक्री सुनिश्चित करता है।
- **214** रियल एस्टेट परियोजनाएं और 131 रियल एस्टेट एजेंट प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं।

भवन निर्माण एवं लागत सूचकांक:

- राष्ट्रीय भवन संगठन के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश के लिए भवन निर्माण लागत सूचकांक (बीसीसीआई) संकलित करता है।

- विभाग द्वारा 2011-12 आधार वर्ष के साथ त्रैमासिक बीसीसीआई रिपोर्ट तैयार की जाती है और जारी की जाती है, जिससे समय के साथ निर्माण लागत की निगरानी करने में सुविधा होती है।

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिमाचल प्रदेश में कितने शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) हैं?
A) 64 B) 74
C) 84 D) 94

2. निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में नगर निगम नहीं है?
A) शिमला B) धर्मशाला
C) कुल्लू D) बद्दी

3. अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना
B) शहरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना
C) ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना
D) नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

4. हिमाचल प्रदेश के किन दो शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है?
A) शिमला और मनाली B) शिमला और कुल्लू
C) धर्मशाला और कुल्लू D) मंडी और सोलन

5. स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया?
A) जून 2015 B) अक्टूबर 2021
C) मार्च 2020 D) जुलाई 2017

6. जून 2017 में एससीएम के तीसरे दौर में हिमाचल प्रदेश के किस शहर का चयन किया गया था?
A) कुल्लू B) शिमला
C) धर्मशाला D) मंडी

Answer Key

1	2	3	4	5	6
B	C	B	B	A	B

अध्याय 18
डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन

मुख्य अंश:

- **एमएमएसएस@1100 हेल्पलाइन का प्रदर्शन:** मुख्यमंत्री सेवा संकल्प (एमएमएसएस) हेल्पलाइन को 31 दिसंबर 2024 तक 1,21,118 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 1,05,345 शिकायतों (87%) का निपटारा किया जा चुका है और 82,237 शिकायतों (68%) का समाधान संबंधित नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया।
- **ई-ऑफिस एकीकरण:** वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सचिवालय की 108 शाखाएं, 98 निदेशालय, 12 उपायुक्त कार्यालय, 13 पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 457 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय इसमें शामिल हैं।
- **ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार:** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने 77 नई सेवाओं को जोड़कर हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल को उन्नत किया, जिससे सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़कर 294 हो गई।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिसंबर 2024 तक 52 योजनाओं के अंतर्गत 17.45 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से कुल ₹1,274.17 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं।
- **हिमस्वान कनेक्टिविटी:** फरवरी 2008 में स्थापित, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य भर में 1,936 सरकारी कार्यालय इससे जुड़ेंगे।
- **राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली:** कुल 1,21,246 मामले ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 61,353 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।

परिचय

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग (जिसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में जाना जाता था) की स्थापना 2004 में राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी।

डिजिटल अवसंरचना और डेटा शासन

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन @1100 (एमएमएसएस)

- 31 दिसंबर 2024 तक, 2024-25 के दौरान एमएमएसएस हेल्पलाइन के माध्यम से 1,21,118 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 1,05,345 शिकायतों (87 प्रतिशत) का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 82,237 शिकायतों (68 प्रतिशत) का अंतिम रूप से समाधान किया गया है और फीडबैक प्राप्त करने के बाद संबंधित नागरिकों की संतुष्टि के लिए उन्हें बंद कर दिया गया है।

स्थिति स्नैपशॉट 29 नवंबर, 2024

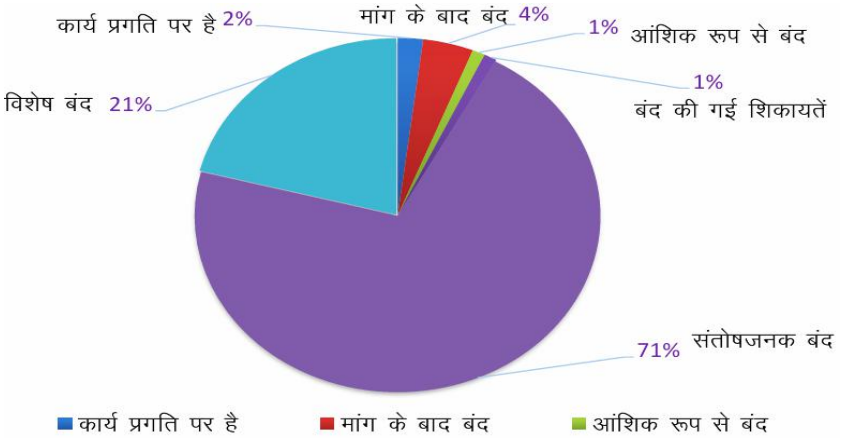

- अपनी शुरुआत के बाद से, एमएमएसएस हेल्पलाइन को 7,78,364 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7,57,354 (97 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसमें 5,53,303 (71 प्रतिशत) शिकायतें शामिल हैं जिनका नागरिकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान किया गया।
- एमएमएसएस हेल्पलाइन विभिन्न विभागीय हेल्पलाइनों के संचालन के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित हेल्पलाइन को एमएमएसएस हेल्पलाइन कॉल सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- 24x7 एचआरटीसी हेल्पलाइन को एमएमएसएस के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे एचआरटीसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को तत्काल सहायता मिल रही है, सभी 18,988 पंजीकृत मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।
- आपदा हेल्पलाइन के लिए एक वैकल्पिक चैनल भी 1 जनवरी 2024 से चालू हो गया है, जिसे एमएमएसएस हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1967 हेल्पलाइन को एमएमएसएस को हस्तांतरित कर दिया गया है, जहां 9,045 मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 9,005 मामले बंद कर दिए गए हैं।

ई-कार्यालय

- वर्तमान में, निम्नलिखित कार्यालयों को सफलतापूर्वक ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है:

क्र. सं.	कार्यालय	ई–ऑफिस	लक्ष्य
1.	हिमाचल प्रदेश सचिवालय	108 शाखा	राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ना
2.	निदेशालय	98	
3.	उपायुक्त कार्यालय	12	
4.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	13	
5.	उप–विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय	69	
6.	ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय	88	
7.	क्षेत्रीय कार्यालय	300	

हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई-जिला) पोर्टल

- सरकारी कार्यालयों में भीड़ को कम करना तथा राज्य के नागरिकों को उनके दरवाजे पर विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग ने ऑनलाइन वितरण के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 77 सेवाएं जोड़ी हैं।
- वर्तमान में राजस्व, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि सहित विभिन्न विभागों की 294 ऑनलाइन सेवाएं इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
- हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिदिन औसतन 6000 लेनदेन होते हैं।
- चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक 15,92,958 लेनदेन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, जब कोई नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन करता है तो दस्तावेज़ की कमियों की पूर्व जांच करने के लिए पोर्टल में एआई को लागू किया गया है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो गई है।

आधार

- आधार संख्या निवासियों को स्वयं की पहचान करने तथा विभिन्न लाभों और सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाती है। राज्य में 104.29 प्रतिशत (जीवित) विशिष्ट पहचान (यूआईडी) सृजित किए जा चुके हैं।
- राज्य में 5 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के लिए आधार संतृप्ति स्तर 100 प्रतिशत से अधिक है।
- आधार निर्माण के मामले में राज्य ने देश में चौथा स्थान तथा 0-5 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- वर्तमान में 215 स्थायी नामांकन केन्द्र (पीईसी) कार्यरत हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

- डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित विभागों के साथ 165 (केंद्र-79; राज्य-86) योजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 52 योजनाओं (केंद्र-17; राज्य-35) में डीबीटी लागू किया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, दिसंबर, 2024 तक 52 योजनाओं के अंतर्गत 17.45 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से ₹1274.17 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।

हिमस्वान

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत फरवरी, 2008 में हिमस्वान (हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया गया है और वर्तमान में राज्य भर में 1,936 सरकारी कार्यालय इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।
- हिमस्वान ब्लॉक स्तर तक सभी राज्य सरकार के विभागों को सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे G2G (सरकार से सरकार), G2C (सरकार से नागरिक) और G2B (सरकार से व्यवसाय) सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी संभव हो पाती है।
- बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, नवीनतम मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) तकनीक का उपयोग करके बैंडविड्थ को अपग्रेड किया गया है। न्यूनतम बैंडविड्थ अब 8 एमबीपीएस है। जिला स्तर पर उच्च इंटरनेट उपयोग वाले सभी निदेशालयों और कार्यालयों को 100 एमबीपीएस तक अपग्रेड किया गया है। श्रेणीवार स्थिति नीचे विस्तार से दी गई है:

क्र. सं.	कार्यालयों की श्रेणी	न्यूनतम बैंड्विडथ (एम.बी.पी.एस.)	जुड़े कार्यालयों की संख्या
1	निदेशालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	100	107
2	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	50	3
3	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	32	76
4	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	20	471
5	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	12	478
6	जिला स्तरीय कार्यालय /अन्य क्षेत्रीय कार्यालय	8	801
कुल योग			1,936

हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर (एचपीएसडीसी)

- हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर (एचपीएसडीसी) डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग (डीटीएंडजी) द्वारा स्थापित एक प्रमुख आईसीटी अवसंरचना है, जिसका उद्देश्य सेवाओं, अनुप्रयोगों और अवसंरचना को समेकित करना तथा सरकार से सरकार (जी2जी), सरकार से नागरिक (जी2सी) और सरकार से व्यवसाय (जी2बी) सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सुविधाजनक बनाना है।
- वर्तमान में, विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की 227 वेबसाइटें और एप्लिकेशन हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर पर होस्ट की गई हैं

सीएम डैशबोर्ड

- प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
- प्रथम चरण में 8 विभागों (राजस्व, महिला बाल एवं विकास, जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विभाग, शिक्षा, जनजातीय एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय शामिल हैं) को सीएम डैशबोर्ड से एकीकरण के लिए चिन्हित किया गया था।

- **जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई)**सीएम डैशबोर्ड एप्लीकेशन के भाग के रूप में उप-राज्य स्तर पर विभिन्न विषयों के अंतर्गत एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य रूपरेखा विकसित की गई है।

हिम परिवार

- हिम परिवार प्रणाली विभिन्न मौजूदा डेटाबेस, जैसे परिवार रजिस्टर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को एकीकृत करके एक व्यापक राज्य सामाजिक रजिस्ट्री बनाती है।
- इस पहल के एक भाग के रूप में, हिमएक्सेस सिंगल साइन-ऑन प्रणाली विकसित की गई है, जो नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को एक ही उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती है।
- आज तक, 1.62 लाख उपयोगकर्ता विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हिमएक्सेस प्लेटफॉर्म पर शामिल हो चुके हैं
- शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर बनाने तथा एचपीएसईबीएल द्वारा बिजली मीटरों को परिवारों से जोड़ने के लिए किए गए सर्वेक्षण वर्तमान में प्रगति पर हैं। शहरी विकास विभाग की पहल के तहत अब तक 1,99,747 परिवारों के 6,28,959 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के सर्वेक्षण के तहत कुल 18,19,955 बिजली मीटरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

मुकदमे निगरानी प्रणाली (एलएमएस):

इस एप्लिकेशन में हाल ही में लागू किए गए नए मॉड्यूल:

- **जिला न्यायालय एपीआई के साथ एकीकरण**: केस विवरण, आदेश और जुड़े हुए मामलों के बारे में जानकारी को स्वचालित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **उपयोगकर्ता मामले वॉचलिस्ट मॉड्यूल:** एक सुव्यवस्थित सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय अपडेट और आसान पहुंच के साथ चयनित मामलों को ट्रैक और मॉनिटर करने की अनुमति देती है।
- **दैनिक एसएमएस सूचनाएं:** साप्ताहिक सुनवाई के संबंध में दैनिक एसएमएस अधिसूचना भेजी जाती है, साथ ही अद्यतन जानकारी के लिए मुख्य सचिव को एक समर्पित एसएमएस भी भेजा जाता है।
- **अद्यतन मॉड्यूल:** हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को विभागों द्वारा हाल ही में की गई सुनवाई के मामलों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित मॉड्यूल विकसित किया गया है।

राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस):

- राजस्व विभाग के सहयोग से विकसित किया गया।
- राजस्व न्यायालय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करता है तथा नागरिकों और अधिवक्ताओं को मामले की जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है।
- अब तक आरसीएमएस पर 1,21,246 मामले ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 61,353 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

राजस्व राहत आवेदन पोर्टल:

- हिमाचल प्रदेश में राहत निधि प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया।
- **69,609** आरएमएस-रिलीफ के माध्यम से 1,00,000 से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37,497 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

शुरू की गई नीतिगत पहलें:

हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर के लिए आवेदन और अवसंरचना होस्टिंग नीति

- हिमाचल प्रदेश राज्य डेटा सेंटर (एचपीएसडीसी) के लिए बुनियादी ढांचा और अनुप्रयोग होस्टिंग नीति अगस्त 2024 में अधिसूचित की गई थी।
- यह नीति एचपीएसडीसी के भीतर सरकारी अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल होस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित करती है।

डिजिटल पहचान और पहुंच प्रबंधन पर नीति

- अगस्त 2024 में प्रस्तुत डिजिटल पहचान और पहुंच प्रबंधन नीति, राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में सिंगल साइन-ऑन को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है।

दस्तावेज़ प्रबंधन नीति

- असंगत दस्तावेज़ प्रबंधन, सुरक्षा अंतराल और पहुंच संबंधी चुनौतियों के वर्तमान मुद्दों को हल करने के लिए, 23 अक्टूबर, 2024 को एक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) नीति शुरू की गई।

4G संतृप्ति परियोजना

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य को विशेष सहायता योजना (दूरसंचार क्षेत्र) के तहत भारत सरकार से प्राप्त 50 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग लाहौल और स्पीति, चंबा और किन्नौर जिलों के वंचित गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। अब तक 500 टावरों का निर्माण किया जा चुका है।

निवेश और उद्योग संवर्धन (एसटीपीआई-शिमला, एसटीपीआई-कांगड़ा, सीओई-आईटी वाकनाघाट: एसटीपीआई/इन्क्यूबेशन)

- आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य में दो एसटीपीआई (सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया) केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- एक एसटीपीआई केंद्र शिमला में तथा दूसरा कांगड़ा में स्थापित किया जा रहा है।
- शिमला के मेहली में एसटीपीआई केन्द्र 18,000 वर्ग फीट में स्थापित किया जा रहा है, तथा कांगड़ा जिले के चेतरू में 35,602 वर्ग फीट में रिकार्ड स्थापित किया जा रहा है, तथा इसका उद्देश्य 25-32 उद्यमियों को सहायता प्रदान करना तथा 500-650 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- **हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एचपीकेवीएन)** ने वाकनाघाट में 47,595.85 वर्ग फीट के कुल निर्मित क्षेत्रफल के साथ एक सीओई-आईटी भवन का निर्माण किया है।
- इस सुविधा के अंतर्गत, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग (डीडीटीएंडजी), एसटीपीआई के सहयोग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करेगा, जो 1,800 वर्ग फीट में फैला होगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री की स्टार्टअप/इनोवेशन परियोजना/नए उद्योग पहल के तहत इनक्यूबेशन सुविधा के लिए 10,000 वर्ग फीट जगह आवंटित की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, शिमला

- हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।

वित्तीय उपलब्धियां

- हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न सेवाएं प्रदान कीं और दिसंबर, 2024 तक निम्नानुसार कारोबार हासिल किया:

क्रमांक	वित्तीय उपलब्धियाँ	(₹करोड में)
1	हार्डवेयर की बिक्री	132.60
2	सेवाओं की बिक्री और अन्य आय	121.69
3	कुल कारोबार	254.29
4	शुध्द लाभ	12.16

स्त्रोतः डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिमस्वान की स्थापना कब हुई?

A) 2004 B) 2008
C) 2010 D) 2012

2. हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के कामकाज की देखरेख कौन सा विभाग करता है?

A) वित्त विभाग
B) डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग
C) उद्योग विभाग
D) शिक्षा विभाग

3. कथन 1: दस्तावेज़ प्रबंधन नीति सुरक्षा खामियों और पहुंच संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू की गई थी।
कथन 2: यह नीति अक्टूबर 2023 में पेश की गई थी।

A) दोनों कथन सत्य हैं
B) दोनों कथन गलत हैं
C) कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है
D) कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है

4. कथन 1: डिजिटल पहचान और पहुंच प्रबंधन नीति अगस्त 2024 में पेश की गई।
कथन 2: यह नीति सरकारी अनुप्रयोगों की सुरक्षित और कुशल होस्टिंग सुनिश्चित करती है।

A) दोनों कथन सत्य हैं
B) दोनों कथन गलत हैं
C) कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है
D) कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है

5. शिमला में एसटीपीआई केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है?

A) चेत्रु B) वाकनाघाट
C) मेहली D) कांगड़ा

Answer Key

1	2	3	4	5
B	B	C	C	C

हिमाचल प्रदेश बजट विश्लेषण 2025-26

बजट की मुख्य बातें

मुख्य बातें:

- वैट को जीएसटी से बदलने और जीएसटी मुआवजा प्रदान करने के बाद भी, राज्य सरकार को **2023-2024 तक कुल 9,478 करोड़** रुपये का राजस्व घाटा हुआ है।
- चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, हमें 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) के रूप में **₹40,624 करोड़** प्राप्त हुए।
- वर्ष 2023-24 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर बढ़कर **7.03%** हो जाएगी। वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व में राज्य के स्वयं के राजस्व का हिस्सा बढ़कर **37.92%** हो जाएगा। इसी प्रकार, कुल और कुल व्यय में राज्य के स्वयं के राजस्व की दर वर्ष 2023-24 में बढ़कर **27.54%** हो जाएगी।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए **राजकोषीय घाटा 3%** है।
- वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का **70%** पुराने ऋणों के मूलधन और ब्याज को चुकाने में उपयोग किया गया।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था:

- 2024-25 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था **6.4%** की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- अनुमान है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में **3.8%** की वृद्धि दर हासिल होगी।

राज्य की अर्थव्यवस्था:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था **6.7%** की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।
- 2024-25 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में **9.6%** की वृद्धि होने का अनुमान है।
- 2024-25 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) **₹2,32,185 करोड़** होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित बजट आवंटन:

क्षेत्र	प्रस्तावित बजट (करोड़ रुपए)
पशुपालन	**673**
शिक्षा	9,849
सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	2,533
शहरी विकास	656
स्वास्थ्य	3,481
ऊर्जा	905

कृषि, बागवानी, पशुपालन और संबद्ध क्षेत्र

- सोलन जिले के **दाड़लाघाट** में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान का संचालन।
- ऊन फेडरेशन के माध्यम से ऊन के उचित रखरखाव हेतु 450 वर्ग मीटर के स्टोर का निर्माण।
- दूध खरीद में शामिल पंजीकृत समितियों के लिए **मालभाड़ा सब्सिडी** ₹1.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3 प्रति लीटर किया गया।

- डेयरी विकास योजना के अंतर्गत कांगड़ा के **डगवार स्थित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र** में नई केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना।
- नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहड़ू में **20,000 लीटर प्रतिदिन (एलपीडी)** क्षमता वाले चार नए संयंत्र तथा ऊना और हमीरपुर में दो दुग्ध शीतलन केंद्र (एमसीसी) स्थापित किए जाएंगे।
- गाय के दूध के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹45 से बढ़ाकर ₹51 प्रति लीटर** और भैंस के दूध के लिए कीमत **₹55 से बढ़ाकर ₹61 प्रति लीटर** कर दी गई है।
- यदि कोई किसान समिति स्वयं 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित अधिसूचित संग्रहण केंद्र पर दूध पहुंचाती है, तो उन्हें 2 रुपये प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सरकार का लक्ष्य एक लाख (100,000) नये किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाना है।
- प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के लिए ₹40 प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए ₹60 प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान किया जाएगा। यदि किसान अपनी उपज 2 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित अधिसूचित संग्रह केंद्र पर लाते हैं, तो उन्हें ₹2 प्रति किलोग्राम की माल ढुलाई सब्सिडी मिलेगी।
- **हमीरपुर** जिले में **स्पाइस पार्क** स्थापित किया जाएगा।
- प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी के लिए **90 रुपये प्रति किलोग्राम** एमएसपी की घोषणा की गई है।
- राज्य में कुल सब्जी उत्पादन का **20%** हिस्सा **आलू** का है।
- **ऊना** जिले में **आलू प्रसंस्करण संयंत्र** स्थापित किया जाएगा।
- 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले **257 क्लस्टरों** के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
- एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत **₹100 करोड़** का व्यय।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत तीन और फल फसलों - लीची, अनार और अमरूद को शामिल किया गया।
- उपोष्णकटिबंधीय फलों को उच्च घनत्व वाले बागान के अंतर्गत लाकर उपोष्णकटिबंधीय बागवानी को बढ़ावा देना।
- जलाशयों से मछली प्राप्त करने वाले मछुआरों और मछली किसानों के लिए रॉयल्टी दरों में कमी का प्रतिशत 7.5% तक पहुंच गया।
- मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत 80% अनुदान पर निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नये मत्स्य तालाबों का निर्माण।
- **120 नई ट्राउट** इकाइयों का निर्माण।
- पतलीकूहल में **ट्राउट मछली ब्रूड बैंक** की स्थापना।
- मछुआरों को पुरानी नावों के स्थान पर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुसार 40% से 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन के माध्यम से विकास की ओर अग्रसर:

- कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार कार्य चल रहा है, भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और 2025-26 के लिए **3,000 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए हैं।
- **नये पर्यटन स्थल:**
  - ✓ मनाली, कुल्लू, नग्गर और नादौन में कल्याण केंद्र;
  - ✓ धर्मशाला, शिमला और मंडी में आइस स्केटिंग रिंक;
  - ✓ पालमपुर और नगरोटा बगवां का सौंदर्यीकरण;
  - ✓ बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में पर्यटन सुविधाएं
  - ✓ नादौन में राफ्टिंग केंद्र
- राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए होमस्टे इकाइयों के लिए एक नई "**मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना**" का शुभारंभ। हिमाचली युवाओं को गैर-जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे तथा होटल ऋण

के लिए **4%** तथा जनजातीय क्षेत्रों में **5%** ब्याज अनुदान मिलेगा, साथ ही राजमार्गों तथा जिला मुख्यालयों पर खाद्य वैन के लिए **30%** अनुदान मिलेगा।

- कांगड़ा के **बनखंडी** स्थित प्राणि उद्यान में तारामंडल की स्थापना।
- पपरोला और शिमला के आयुष अस्पतालों में पायलट आधार पर पर्यटकों और आम जनता के लिए कल्याणकारी पंचकर्म सेवाएं शुरू की जाएंगी।
- सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के मॉडल का अनुसरण करते हुए चाय बागानों को इको-पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाएगा।
- पर्यटन के दृष्टिकोण से कुल्लू के नग्गर में अंतर्राष्ट्रीय रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट क्षेत्र का विकास।

समाज के सभी वर्गों का उत्थान और कल्याण:

- 2025-2026 के दौरान सामाजिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत **37,000** नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
- 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच "**इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना**" के तहत घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली **21 वर्ष** की आयु पूरी करने वाली प्रत्येक लड़की/महिलाओं को भी 1 जून, 2025 से शुरू होने वाली इस योजना का लाभ मिलेगा।
- ढल्ली स्थित विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान (आईसीएसए) को उसके कर्मचारियों सहित सरकारी प्रशासन के अधीन लाना।
- अंतरजातीय विवाह के लिए आर्थिक पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना।
- "**मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना**" के अंतर्गत नये लाभार्थियों को जोड़ना।
- "**वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना**" के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य में विभिन्न स्थानों पर वृद्धाश्रम/वरिष्ठ नागरिक आवासों की स्थापना।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों में जन्मी दो लड़कियों के लिए "इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना" की शुरूआत।
- कामकाजी महिलाओं की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोलन, नीरी, दरूही, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा बगवां, चनौर औद्योगिक क्षेत्र और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में कुल 13 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण।
- 1 अप्रैल, 2025 से सभी **18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों** को "आंगनवाड़ी सह प्रीस्कूल" के रूप में नामित किया जाएगा और जहां भी संभव होगा, उन्हें नजदीकी स्कूलों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना, "इंदिरा गांधी मातृत्व शिशु संकल्प योजना" का शुभारंभ।
- "विंग्स परियोजना" (विश्व-अग्रणी अभिनव अध्ययन कार्यक्रम) का कार्यान्वयन, जिसे नीति आयोग के सहयोग से जिला ऊना में संचालित किया जा रहा है।

स्वरोजगार में नये कदम:

- शहरी क्षेत्रों में छोटे फल-सब्जी विक्रेताओं, चाय की दुकान मालिकों और अन्य लोगों के लिए "मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना" का शुभारंभ।
- ई-टैक्सी खरीदने के लिए पात्र आवेदकों को **राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना** में सब्सिडी प्रदान की जाती रहेगी।
- **हिम-इरा दुकानें, हिमाचली हाट और सड़क किनारे सुविधाएं** का नए स्थानों पर निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में, योजना को राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शिमला के बैंटनी कैसल परिसर में दिल्ली हाट की तर्ज पर स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों के लिए स्टॉल स्थापित किए जाएंगे।

- दिल्ली हाट में राज्य की संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी **"हिम उत्सव"** का आयोजन किया जाएगा।
- जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार, कुपवी, तीसा आदि जैसे चिन्हित स्थानों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए **3-5% ब्याज सब्सिडी** प्रदान की जाएगी।

हरित ऊर्जा, हरित हस्तक्षेप, हरित हिमाचल और स्वच्छ हिमाचल

- **डमटाल**, कांगड़ा में **200 मेगावाट की सौर परियोजना** स्थापित किया जाएगा।
- **'ग्रीन पंचायत योजना'** के तहत 100 पंचायतों में 500 किलोवाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
- शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना (450 मेगावाट) का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक चालू होना है।
- **चंबा** जिले में चार और **शिमला** जिले में दो सरकारी संस्थानों में **डोम थिएटर** की स्थापना की जाएगी।
- विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 5,000 हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वन प्रबंधन और विस्तार में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नई **"राजीव गांधी वन संबर्धन योजना"** लागू की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण और शिक्षा का रूपांतरण

- एआईएमएसएस चमियाना, शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में **रोबोटिक सर्जरी** स्थापित किए जाएंगे।
- आईजीएमसी शिमला में पीईटी स्कैन सुविधा **पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी** उपलब्ध कराई जाएगी।
- आईजीएमसी शिमला, एआईएमएसएस चमियाना शिमला, राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज नैरचौक में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी।
- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी में कैथीटेराइजेशन लैब (कैथ. लैब) स्थापित की जाएंगी।
- "**रोगी मित्र योजना**" के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग एक हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे तथा उन्हें ₹15,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा।
- अब **27 वर्ष तक की आयु के लड़के-लड़कियों** के लिए **निःशुल्क इंसुलिन पंप** उपलब्ध कराए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत, स्वास्थ्य सेवा और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के घरों पर स्वास्थ्य जांच करेंगे।
- "**आचार्य चरक योजना**" शुरू की जाएगी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में मरीजों को मुफ्त जांच और आवश्यक दवाएं मिलेंगी।
- भोरंज, बारा, नादौन, घुमारवीं, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सेराज, ढलियारा, शिलाई, रिकांग पिओ (किन्नौर), केलांग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिंदरनगर को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में एम.टेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
- नवाचार, उद्यमिता, कौशल और व्यावसायिक अध्ययन का डिजिटल विश्वविद्यालय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) और स्व-वित्तपोषण के तहत घुमारवीं, जिला बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा।

नशा मुक्त हिमाचल

- "**स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम**" के अंतर्गत, निकटवर्ती स्कूलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य जांच और परामर्श-सह-जागरूकता सत्र शुरू किए जाएंगे।

परिवहन, उद्योग, पुल और सड़कें

- शिमला शहर में 1,546.40 करोड़ रुपये की लागत से 14.79 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
- **पहला स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ऊना** जिले के हरोली में स्थापित किया जाएगा।
- "**मुख्यमंत्री सड़क योजना**" के अंतर्गत **₹100 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शहरी विकास पहल

- **15वें वित्त आयोग के तहत 2025-2026 के लिए पंचायतों में विकास कार्यों पर ₹452 करोड़ खर्च किए जाएंगे**, और राज्य वित्त आयोग के तहत ₹467 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- **पालमपुर** में **हिमालयी आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र** की स्थापना।

कर्मचारी कल्याण:

- 15 मई से प्रथम चरण में **70 से 75 वर्ष** की आयु के पेंशनभोगियों को इस वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लंबित वेतन बकाया का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
- 15 मई से राज्य के कर्मचारियों को **3% की दर** से महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त मिलेगी।
- दैनिक मजदूर को प्रतिदिन **₹25 की वृद्धि के साथ ₹425** मिलेंगे।
- आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम **₹12,750 प्रतिमाह** मिलेंगे।
- मनरेगा के तहत मजदूरी **₹20 बढ़ाकर ₹320** किया जाएगा।

मानदेय:

वर्ग	पद	मासिक मानदेय (₹)
जिला परिषद	अध्यक्ष	25,000
	उपाध्यक्ष	19,000
	सदस्य	8,300
पंचायत समिति	अध्यक्ष	12,000
	उपाध्यक्ष	9,000
	सदस्य	7,500
ग्राम पंचायत	प्रधान	7,500
	उप-प्रधान	5,100
	सदस्य	प्रति बैठक 1,050
नगर निगम	महापौर	25,000
	उप - मेयर	19,000
	सभासद	9,400
नगर निगम	अध्यक्ष	10,800
	उपाध्यक्ष	8,900
	सभासद	4,500
नगर पंचायत	प्रधान	9,000
	उप-प्रधान	7,000

	सदस्य	4,500
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	10,500
	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	7,300
	आंगनवाड़ी हेल्पर	5,800
स्वास्थ्य कार्यकर्ता	आशा कार्यकर्ता	5,800
	मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता	5,000
जल विभाग	जल वाहक (शिक्षा विभाग)	5,500
	जल रक्षक	5,600
	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (जल शक्ति विभाग)	5,500
	पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर	6,600
राजस्व विभाग	पंचायत चौकीदार	8,500
	राजस्व चौकीदार	6,300
	राजस्व लम्बरदार	4,500
मासिक मानदेय में वृद्धि	सिलाई शिक्षक	+500
	मल्टी-टास्क वर्कर्स (पीडब्ल्यूडी)	+500
	एसएमसी शिक्षक	+500
	आईटी शिक्षक	+500
	एसपीओ	+300
मेडिकल कॉलेज/एआईएमएसएस चमियाना	वरिष्ठ रेजिडेंट/ट्यूटर विशेषज्ञ (पीजी छात्र)	1,00,000
	डीएनबी-सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट-सुपर स्पेशलिस्ट (डीएम/एम.सीएच.)	1,30,000
स्वास्थ्य देखभाल	ऑपरेशन थियेटर सहायक (आउटसोर्स)	25,000
	रेडियोग्राफर (आउटसोर्स)	25,000

अन्य

- शिमला के मेहली और कांगड़ा के चैतडू में स्थापित किए जा रहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) का कार्य पूरा किया जाएगा।
- हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में **ड्रोन स्टेशन** स्थापित किए जाएंगे।
- सोलन में स्टेडियम के साथ-साथ रिकांगपिओ, हरोली और जयसिंहपुर में भी **इनडोर स्टेडियम** का निर्माण किया जाएगा।
- सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली **डाइट मनी ₹10 से बढ़ाकर ₹50** की जाएगी।